राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक रिपोर्ट

(अप्रैल, 2020 से मार्च, 2021)

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण

बी-1 विंग, 7वाँ तल,

पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन,

सीजीओ कॉम्प्लेक्स,

नई दिल्ली - 110 003.

https://ntca.gov.in

विषय सूची

अध्याय 1	**प्रस्तावना**	3
	राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के लक्ष्य	3
अध्याय 2	**राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण का गठन उसके प्रकार्य सहित**	4
	एनटीसीए के प्रकार्य	6
अध्याय 3	**राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की बैठकें और उसमें लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय**	7
	राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की 18वीं बैठक	7
	राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की तकनीकी समिति की 5वीं बैठक	17
	राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की तकनीकी समिति की 6वीं बैठक	21
	राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की तकनीकी समिति की 7वीं बैठक	26
	राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की तकनीकी समिति की 8वीं बैठक	31
	राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की तकनीकी समिति की 9वीं बैठक	33
अध्याय 4	**राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा गठित समितियां**	35
अध्याय 5	**प्रशासनिक मामले**	38
	एनटीसीए मुख्यालय के एनटीसीए अधिकारियों और कर्मचारियों (स्थायी आधार पर) का विवरण	38
	एनटीसीए क्षेत्रीय कार्यालयों के एनटीसीए अधिकारियों (स्थायी आधार पर) का विवरण	39
	एनटीसीए मुख्यालय कर्मचारियों (आउटसोर्स आधार पर) - का विवरण	39
	व्याघ्र संरक्षण के लिए की गयीं महत्वपूर्ण पहलें	41
	विधिक कदम	41
	प्रशासनिक कदम	41
	वित्तीय कदम	42
	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	42
	अन्य विविध कदम	45
	व्याघ्र रिजर्वों की सुरक्षा संपरीक्षा	47
	वर्ष के दौरान आयोजित अन्य महत्वपूर्ण आयोजन/समारोह	49
	पिछले तीन वर्षों के दौरान बजट आवंटन	49
अध्याय 6	**राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के वित्त वर्ष 2020-21 वित्त एवं लेखे**	**50**
अध्याय 7	**राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की वार्षिक योजना**	51
अध्याय 8	**अनुपालन संबंधी मुद्दे**	53
	व्याघ्र संरक्षण योजनाओं की स्थिति (दिनांक 31.03.2021 को यथा स्थिति)	53
	समीक्षाधीन और लंबित टीसीपी का विवरण	53
	अब तक अनुमोदित टीसीपी की सूची	54
	संचालन समिति (दिनांक 31.03.2021 को यथा स्थिति)	56
	व्याघ्र संरक्षण संस्थापना/प्रतिष्ठान (दिनांक 31.03.2021 को यथा स्थिति)	57
	लंबित टीसीएफ :-	58
	मूल और बफर अधिसूचना (दिनांक 31.3.2021 की स्थिति के अनुसार)	59
अध्याय 9	**अनुलग्नक**	61
अनुलग्नक **1**	भारत के व्याघ्र रिजर्वों की सूची	61
अनुलग्नक **2**	व्याघ्र मृत्यु दर (प्राकृतिक एवं अन्य कारण)	63
	व्याघ्र रिजर्वों के अंदर	63
	व्याघ्र रिजर्वों के बाहर	67

अनुलग्नक **3**	सीएसएस-व्याघ्र परियोजना : वर्ष 2020-21 के लिए की गयी संस्वीकृतियों का विवरण	69
	संस्वीकृतियों का टाइगर रिजर्ववार विवरण	69
	संस्वीकृतियों का राज्यवार विवरण	71
अनुलग्नक **4**	- वित्तीय वर्ष 2020-21 का योजनागत व्यय (दिनांक 31.03.2021 को यथा स्थिति)	72
अनुलग्नक **5**	- 31 मार्च, 2021 को यथा स्थिति वित्तीय विवरण/ तुलन पत्र	73
अनुलग्नक **6**	- वित्तीय विवरण - 31 मार्च, 2021 को यथा स्थिति आय एवं व्यय	74
अनुलग्नक **7**	- 31 मार्च, 2021 को यथा स्थिति वित्तीय विवरण (प्राप्तियां एवं भुगतान)	75
अनुसूची - 1	- दिनांक 31.03.2021 को यथा स्थिति समग्र / पूंजीगत निधि - वित्तीय विवरण - तुलन पत्र में शामिल अनुसूचियां	78
अनुसूची - 2	- आरक्षित निधि और अधिशेष	79
अनुसूची - 3	- उद्दिष्ट / स्थायी निधियां	80
अनुसूची - 4	- प्रतिभूत ऋण एवं उधार	81
अनुसूची - 5	- अप्रतिभूत ऋण और उधार	82
अनुसूची - 6	- आस्थगित ऋण और देयताएं	82
अनुसूची - 7	- चालू देयता एवं प्रावधान	83
अनुसूची - 8	- अचल आस्तियां	84
अनुसूची - 9	- उद्दिष्ट / स्थायी निधियों में निवेश	85
अनुसूची - 10	- अन्य निवेश	85
अनुसूची - 11	- मौजूदा आस्तियां, ऋण, अग्रिम इत्यादि	86
अनुसूची-11 ख.	- मौजूदा आस्तियां, ऋण, अग्रिम इत्यादि	87
अनुसूची - 12	- बिक्री / सेवाओं से आय	88
अनुसूची - 13	- अनुदान / सब्सिडी	88
अनुसूची - 14	- शुल्क / अभिदान	88
अनुसूची - 15	- निवेशों से आय	89
अनुसूची - 16	- रॉयल्टी / प्रकाशन से आय	89
अनुसूची - 17	- सावधि जमा / बचत खातों पर अर्जित ब्याज /ऋण से अर्जित ब्याज	90
अनुसूची - 18	- अन्य आय	90
अनुसूची - 19	- तैयार माल के स्टॉक एवं प्रगतिधीन कार्य में वृद्धि / कमी	91
अनुसूची - 20	- स्थापना व्यय	91
अनुसूची - 21	- अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	92
अनुसूची - 22	- अनुदान	93
अनुसूची - 23	- ब्याज	93
अनुसूची-23 अ	- समग्र / पूंजीगत निधि समायोजन	94
अनुसूची - 24	- महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	95
अनुसूची - 25	- लेखाओं संबंधी आकस्मिक देयताएं एवं लेखा टिप्पणियां	96
राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की वर्ष 2020-21 के लेखाओं की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट		97

****

अध्याय 1 : प्रस्तावना

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है, जिसका गठन वर्ष 2006 में यथा संशोधित वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के समर्थकारी उपबंधों के अंतर्गत, उक्त अधिनियम के तहत इसे सौंपी गई शक्तियों एवं प्रकार्यों के अनुसार व्याघ्र संरक्षण को सुदृढ करने के लिए किया गया है।

यह प्राधिकरण व्याघ्र प्रस्थिति के मूल्यांकन पर आधारित परामर्शी / निर्देशात्मक दिशानिर्देश, चालू संरक्षण पहलों और विशेष रूप से गठित समितियों के माध्यम से पर्यवेक्षण प्रतिधारित रखते हुए देश में व्याघ्र संरक्षण को सुदृढ करने के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के दायरे में अपने अधिदेश को पूरा कर रहा है। यह प्राधिकरण वर्तमान में 'व्याघ्र परियोजना' के माध्यम से 18 व्याघ्र रेंज राज्यों में फैले 50 टाइगर रिजर्वों को निधियन सहायता प्रदान करता है। 'व्याघ्र परियोजना' व्याघ्रों के यथा स्थिति संरक्षण के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की केन्द्र प्रायोजित योजना है और इस योजना के माध्यम से विलुप्तप्राय व्याघ्र को विलुप्त होने से बचाकर पुनर्प्राप्ति के सुनिश्चित मार्ग पर लाया गया है, जैसा कि परिष्कृत पद्धति का उपयोग करते हुए अखिल भारतीय व्याघ्र अनुमान के हालिया निष्कर्षों में सामने आया है।

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के लक्ष्य

वैज्ञानिक, आर्थिक, सौन्दर्यीकरण, सांस्कृतिक एवं पारिस्थितिकीय मूल्यों के लिए भारत में व्याघ्रों की संख्या को जीवनक्षम स्तर तक बनाए रखने तथा लोगों को लाभ, उनकी शिक्षा एवं आनंद के लिए जैविक महत्व के क्षेत्रों का सदैव राष्ट्रीय धरोहर के रुप में संरक्षण करना।

1. व्याघ्र परियोजना को सांविधिक प्राधिकार प्रदान कराना ताकि इसके निर्देशों के अनुपालन को कानूनी दायरे में लाया जा सके।
2. हमारे संघीय ढांचे के अंतर्गत, राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन के लिए एक आधार प्रदान कर टाइगर रिजर्वों के प्रबंधन में केन्द्र-राज्य उत्तरदायित्व कायम हो।
3. संसद द्वारा निगरानी की व्यवस्था करना।
4. टाइगर रिजर्वों के आसपास के क्षेत्रों के स्थानीय लोगों की आजीविका के हितों पर ध्यान देना।

*****

अध्याय 2 : राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण का गठन

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण का गठन दिनांक 04.09.2006 को, अन्य बातों के साथ - साथ व्याघ्र संरक्षण प्रबंधन में निर्देशात्मक मानकों को सुनिश्चित कर, आरक्षित क्षेत्र विशिष्ट व्याघ्र संरक्षण योजना तैयार कर, संसद के पटल पर वार्षिक / लेखापरीक्षा रिपोर्ट रखकर, मुख्य मंत्रियों की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संचालन समितियों का गठन कर और व्याघ्र संरक्षण प्रतिष्ठान की स्थापना कर व्याघ्र संरक्षण की सुदृढ़ व्यवस्था करने के लिए किया गया था। राजपत्र अधिसूचना द्वारा गठित राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के सदस्यों की सूची इस प्रकार है:

1.	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रभारी मंत्री	- अध्यक्ष
2.	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री	- उपाध्यक्ष
3.	संसद सदस्य (लोक सभा) : सुश्री दीया कुमारी	- सदस्य
4.	संसद सदस्य (लोक सभा) : श्री राजीव प्रताप रुडी	- सदस्य
5.	संसद सदस्य (राज्य सभा): श्री हर्षवर्द्धन सिंह डुंगरपुर	- सदस्य
6.	श्री पी. आर. सिन्हा, पूर्व निदेशक, भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून, मकान सं. के-1-12, सेक्टर-डी, प्रसाद लैब, कंकड़बाग कॉलोनी, पटना, बिहार-800020	- सदस्य
7.	डॉ. तिष्यरक्षित चटर्जी, सेवा निवृत्त सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय प्लॉट नं. 208 - ए, रोड नं. 14ए, जुबिली हिल्स, तेलंगना - 500033	- सदस्य
8.	श्री हेमेन्द्र कोठारी, अध्यक्ष, डीएसपी ब्लैक रॉक, मफतलाल सेन्टर, दसवां तल, नरीमन प्वाइंट, मुम्बई - 400021, महाराष्ट्र	- सदस्य
9.	डॉ. इराच भरूचा, निदेशक, भारती विद्यापीठ इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंट, एजुकेशन एंड रिसर्च, कटराज - धानकावाडी कैंपस, पुणे-सतारा रोड, पुणे - 411043	- सदस्य
10.	श्री बी. के. पटनायक, सेवा निवृत्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं मुख्य वन्यजीव वार्डन, उत्तर प्रदेश, 105, सुरेखा विल्ला, मिगमानन्दा नगर, लेन-2, बोमीखाल, भुवनेश्वर, ओडिशा -751012	- सदस्य
11.	श्री एस. एस. श्रीवास्तव, आईएफएस, सेवानिवृत्त पीसीसीएफ एवं एचओएफएफ, ओडिशा, फ्लैट नं. बी-031, राहेजा अटलाटिस, सेक्टर - 31, गुड़गांव (हरियाणा) - 122001	- सदस्य
12.	श्री अनिश अंधेरिया (पीएचडी), वन्यजीव संरक्षण न्यास, 11वां तल, मफतलाल सेंटर, नारीमन पोइंट, मुंबई - 400021	- सदस्य
13.	श्री खगेश्वर नायक, सेवानिवृत्त क्षेत्र निदेशक, कान्हा टाइगर रिजर्व, एस.वी. 19, श्रीखेत्र विहार, ऐगिनिया, जिला खुर्दा, भुवनेश्वर, ओडिशा - 751019	- सदस्य
14.	सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	- सदस्य

15.	वन महानिदेशक एवं विशेष सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	- सदस्य
16.	सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय	- सदस्य
17.	सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	- सदस्य
18.	अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग	- सदस्य
19.	अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग	- सदस्य
20.	सचिव, पंचायती राज मंत्रालय	- सदस्य
21.	निदेशक, वन्य जीव परिरक्षण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	- सदस्य
22.	मुख्य वन्यजीव वार्डन, उत्तर प्रदेश	- सदस्य
23.	मुख्य वन्यजीव वार्डन, तेलंगना	- सदस्य
24.	मुख्य वन्यजीव वार्डन, असम	- सदस्य
25.	मुख्य वन्यजीव वार्डन, ओडिशा	- सदस्य
26.	मुख्य वन्यजीव वार्डन, झारखंड	- सदस्य
27.	मुख्य वन्यजीव वार्डन, महाराष्ट्र	- सदस्य
28.	संयुक्त सचिव एवं विधायी सलाहकार, विधायी विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली	- सदस्य
29.	अपर महानिदेशक (व्याघ्र परियोजना), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	- सदस्य सचिव

एनटीसीए के प्रकार्य :

वर्ष 2006 में यथा-संशोधित वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38(ण) के तहत राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की शक्तियां और प्रकार्य इस प्रकार हैं :

(क) इस अधिनियम की धारा 38र की उप-धारा (3) के तहत राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई व्याघ्र संरक्षण योजना को अनुमोदित करना;

(ख) संधारणीय विकास पारिस्थितिकी के विभिन्न पहलुओं का आकलन और मूल्यांकन करना तथा व्याघ्र आरक्षित क्षेत्र के भीतर खनन, उद्योग और इसी प्रकार की अन्य परियोजनाओं के लिए पारिस्थितिकी रूप से बेढंग भूमि उपयोग को रोकना;

(ग) समय-समय पर व्याघ्र आरक्षित क्षेत्र के सुरक्षित और प्रमुख क्षेत्र में व्याघ्र संरक्षण के प्रयोजन से व्याघ्र परियोजना के लिए दिशा-निर्देश तथा पर्यटन कार्यकलापों के लिए निर्देशात्मक मानक निर्धारित करना तथा उनका विधिवत अनुपालन सुनिश्चित करना;

(घ) कार्य-योजना संहिता में राष्ट्रीय पार्कों, पक्षी अभ्यारण्यों अथवा टाइगर रिजर्व के बाहर वन क्षेत्रों में मानव और वन्यजीव से संबंधित संघर्ष का समाधान करने के प्रबंधन की व्यवस्था करना तथा उपाय सुझाना और इनके सह-अस्तित्व पर विशेष ध्यान देना;

(ङ) भावी संरक्षण योजना, व्याघ्र और इसकी प्राकृतिक भक्ष्य पशु प्रजातियों के आकलन, प्राकृतिक वास प्रस्थिति, बीमारी सर्वेक्षण, मृत्यु सर्वेक्षण, पेट्रोलिंग, अनुचित घटनाओं से संबंधित रिपोर्ट और भावी संरक्षण योजना के लिए यथा-उपयुक्त अन्य प्रबंधन पहलुओं सहित संरक्षण उपायों के संबंध में सूचना प्रदान करना;

(च) व्याघ्र, सह-परभक्षी, भक्ष्य पशु पर्यावास, सम्बद्ध पारिस्थितिकी और सामाजिक-आर्थिक मापदंडों के संबंध में अनुसंधान तथा निगरानी को अनुमोदित, समेकित करना तथा इनका मूल्यांकन करना;

(छ) यह सुनिश्चित करना कि टाइगर रिजर्व और एक संरक्षित क्षेत्र अथवा व्याघ्र आरक्षित क्षेत्र के किसी अन्य संरक्षित क्षेत्र अथवा टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाले क्षेत्रों को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के अनुमोदन तथा व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की सलाह से जनहित के अलावा, अन्य किसी बेढ़ंग पारिस्थितिकी उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाता है;

(ज) अनुमोदित प्रबंधन योजनाओं के अनुसार पारि-विकास और जनता की सहभागिता के माध्यम से राज्य में जैव-विविधता संरक्षण पहलों के लिए व्याघ्र संरक्षण प्रबंधन को सुकर बनाना और सहायता प्रदान करना तथा केन्द्र और राज्य कानूनों के अनुसार इनसे संबंधित क्षेत्रों में इसी प्रकार की पहलों के लिए सहायता प्रदान करना;

(झ) व्याघ्र संरक्षण योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए वैज्ञानिक, सूचना प्रौद्योगिकी और विधिक सहायता सहित अत्यधिक महत्वपूर्ण सहायता की उपलब्धता सुनिश्चित करना;

(ञ) व्याघ्र आरक्षित क्षेत्र के अधिकारियों और कर्मचारियों के कौशल विकास के लिए जारी क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को सुकर बनाना; और

(ट) व्याघ्रों और उनके निवास स्थान के संरक्षण के संबंध में इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए यथा-आवश्यक अन्य कार्यों को निष्पादित करना।

******

अध्याय-3 राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की बैठकें और उन बैठकों में लिये गये महत्वपूर्ण निर्णय

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की 18वीं बैठक

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (रा.व्या.सं.प्रा.) की 18 वीं बैठक दिनांक 8 दिसंबर, 2020 को श्री प्रकाश जावड़ेकर, माननीय मंत्री पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन और अध्यक्ष, रा.व्या.सं.प्रा. की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की गई थी।

2. इस बैठक के प्रतिभागियों की सूची अनुलग्नक -1 में दी गयी है।

3. माननीय मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय/अध्यक्ष एनटीसीए ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। अतिरिक्त वन महानिदेशक (व्याघ्र परियोजना) एवं सदस्य सचिव (एनटीसीए) ने प्रतिभागियों को कोविड-19 महामारी और संयुक्त राज्य अमेरिका में ब्रोंक्स चिड़ियाघर के बाघों में कोविड-19 संक्रमण के मद्देनजर एडवाइजरी जारी करने, एनटीसीए द्वारा टाइगर रिजर्व को भ्रमण हेतु बंद करने जैसे उपायों के बारे में अवगत कराया। इन निवारक उपायों और समय पर हस्तक्षेप के कारण भारत के वन्य बाघों में एक भी मामला सामने नहीं आया है।

उन्होंने एनटीसीए की हालिया उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला, जिसमें: माननीय माननीय मंत्री पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन और अध्यक्ष, एनटीसीए द्वारा 28 जुलाई 2020 को अखिल भारतीय बाघ अनुमान (एआईटीई) रिपोर्ट जारी करना: बाघों और उनके शिकार आधार की निगरानी के लिए सबसे बड़ी संख्या में कैमरा ट्रैप का उपयोग करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड; पीलीभीत टाइगर रिजर्व और मानस टाइगर रिजर्व को जीईएफ, यूएनडीपी, आईयूसीएन, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ और ग्लोबल टाइगर फोरम के संघ द्वारा टीx2 अवार्ड, आदि शामिल हैं।

सदस्य सचिव, एनटीसीए ने प्रतिभागियों को श्री राजीव प्रताप रूडी, माननीय सदस्य, एनटीसीए की वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की यात्रा और सचिव, एमओईएफएंडसीसी के कॉर्बेट और रणथंभौर टाइगर रिजर्व के दौरे के बारे में भी अवगत कराया और इस दौरान टाइगर रिजर्व प्रबंधन में सुधार के लिए प्राप्त बहुमूल्य सुझावों / फीडबैक के बारे में बताया।

4. इसके बाद नीचे दी गई कार्यसूची वार चर्चा हुई।

(1) कार्यसूची क्रमांक 1: दिनांक 06.01.2020 को आयोजित 17वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

सदस्यों ने एनटीसीए की 17वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की

(2) कार्यसूची क्रमांक 2: एनटीसीए की 17वीं बैठक पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट।

अतिरिक्त वन महानिदेशक (व्याघ्र परियोजना) एवं सदस्य सचिव (एनटीसीए) ने कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) के मुख्य अंशों को संक्षेप में समझाया।
सदस्यों ने एनटीसीए की 17वीं बैठक में एटीआर को मंजूरी दी।

(3) कार्यसूची क्रमांक 3: 2019-20 के लिए वार्षिक रिपोर्ट और बजट / व्यय अनुसूचियों का अनुमोदन ।

अतिरिक्त वन महानिदेशक (व्याघ्र परियोजना) एवं सदस्य सचिव (एनटीसीए) ने सूचित किया कि 2019-20 के दौरान सहायता अनुदान और सहायता अनुदान (वेतन) के तहत स्वीकृत बजट का 100% उपयोग किया गया है।

सदस्यों ने 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट और बजट/व्यय अनुसूचियों को मंजूरी दी

(4) कार्यसूची क्रमांक 4: एनटीसीए की तकनीकी समिति के निर्णयों का मूल्यांकन और अनुसमर्थन और राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (एनबीडब्ल्यूएल) को की गई सिफारिशें।

अतिरिक्त वन महानिदेशक (व्याघ्र परियोजना) एवं सदस्य सचिव (एनटीसीए) ने प्रस्तुत किया कि एनटीसीए के वर्तमान कार्यकाल के दौरान, छह तकनीकी समितियों का आयोजन किया गया और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38ओ के तहत एनबीडब्ल्यूएल की स्थायी समिति (एससी) को कुल 42 विकास कार्यों के प्रस्ताव के लिए सिफारिशें की गईं।

सदस्यों ने तकनीकी समितियों के निर्णयों और एनबीडब्ल्यूएल की स्थायी समिति को की गई सिफारिशों की पुष्टि की।

(5) कार्यसूची क्रमांक 5: श्री हर्षवर्धन सिंह डूंगरपुर, माननीय सांसद और सदस्य एनटीसीए द्वारा प्रस्तावित एजेंडा आइटम।

(क) कुंबलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचना:

अतिरिक्त वन महानिदेशक (व्याघ्र परियोजना) एवं सदस्य सचिव (एनटीसीए) ने माननीय सदस्य को टाइगर रिजर्व की घोषणा और महत्वपूर्ण बाघ आवासों की अधिसूचना की प्रक्रिया के बारे में सूचित किया जिसमें राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करना शामिल है।

उन्होंने आगे कहा कि कुंबलगढ़ वन्यजीव को टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित करने के संबंध में प्रस्ताव राजस्थान राज्य से प्रतीक्षित है।

माननीय सदस्य ने पूरे भारत में बाघ अभ्यारण्यों में आक्रामक खरपतवार लैंटाना की समस्या पर भी प्रकाश डाला। इस मुद्दे को संज्ञान में लेते हुए, माननीय अध्यक्ष ने बताया कि चरागाह विकास, पानी और चारा वृद्धि गतिविधियों के अलावा, प्रोजेक्ट टाइगर की चल रही केंद्र प्रायोजित योजना के तहत प्रदान की जाने वाली फंडिंग सहायता के अलावा कैम्पा फंड का उपयोग करके लैंटाना हटाने और इको-बहाली का काम किया जाएगा।

(ख) राजस्थान राज्य में नए महत्वपूर्ण बाघ आवासों की अधिसूचना।

अतिरिक्त वन महानिदेशक (व्याघ्र परियोजना) एवं सदस्य सचिव (एनटीसीए), ने सूचित किया कि राजस्थान सरकार के संभावित क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जानी है।

(ग) बाघ अभ्यारण्य से गांवों के स्थानांतरण की स्थिति

अतिरिक्त वन महानिदेशक (व्याघ्र परियोजना) एवं सदस्य सचिव (एनटीसीए) ने कहा कि लगभग 46,000 परिवार अभी भी टाइगर रिजर्व के अंदर रह रहे हैं एवं वित्तीय संसाधनों के उपलब्ध होने पर इन ग्रामीणों के स्वैच्छिक आधार पर पुनर्वास को चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। एक मोटे अनुमान से संकेत मिलता है कि स्वैच्छिक ग्राम पुनर्वास गतिविधि के लिए लगभग 6,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।

सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सुझाव दिया कि गांव पुनर्वास प्रक्रिया में निजी क्षेत्र / गैर सरकारी संस्थानों को शामिल करने की संभावना का पता लगाया जा सकता है। श्री हेमेंद्र कोठारी, सदस्य, एनटीसीए ने अतिक्रमण क्षेत्र बनाने में गांव के स्थानांतरण के महत्व पर प्रकाश डाला जैसा कि महाराष्ट्र में ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व जैसे कुछ बाघ अभयारण्यों में यह विभिन्नता पहले ही बना दिया है। उन्होंने आगे सुझाव दिया कि कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) फंड का उपयोग गांव के पुनर्वास कार्य के लिए भी किया जा सकता है।

मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, महाराष्ट्र ने उल्लेख किया कि महाराष्ट्र के मामले में, अधिकांश संभावित ग्राम स्थानांतरण स्थल आदिवासी बहुल क्षेत्रों में हैं और स्वैच्छिक ग्राम पुनर्वास के लिए, जनजातीय विभाग से धन का उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने सुझाव दिया कि महत्वपूर्ण जनजातीय आबादी वाले क्षेत्रों में भी इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है।

(घ) टाइगर रिजर्व में स्वीकृत संख्या के अनुसार स्टाफ की तैनाती

अतिरिक्त वन महानिदेशक (व्याघ्र परियोजना) एवं सदस्य सचिव (एनटीसीए) ने अवगत कराया कि सभी टाइगर रिजर्व से कर्मचारियों संख्याबल का विवरण एकत्र किया गया है और एचएमईएफ द्वारा

मुख्यमंत्रियों, राज्यों के मुख्य सचिवों के सचिव को टाइगर रिजर्व में मौजूदा रिक्तियों को भरने के लिए पत्र जारी किए गए हैं। इसके अलावा, एनटीसीए द्वारा समय-समय पर बाघ अभयारण्यों में कर्मचारियों की स्थिति की निगरानी की जा रही है।

क) बाघों की आवाजाही के लिए टाइगर कॉरिडोर की अधिसूचना

अतिरिक्त वन महानिदेशक (व्याघ्र परियोजना) एवं सदस्य सचिव (एनटीसीए) ने बताया कि वर्तमान में टाइगर कॉरिडोर की अधिसूचना के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत कोई प्रावधान नहीं है। हालाँकि, बाघ अभ्यारण्यों के बाघ संरक्षण योजना के प्रावधानों, जो कि एक वैधानिक आवश्यकता है, को सक्षम करके इन गलियारों को सुरक्षित किया जा रहा है भंडार ।

उपरोक्त एजेंडा बिंदुओं के अलावा, माननीय सदस्य ने मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और राजस्थान में अन्य स्थानों पर जहर, खर्राटों और स्थानीय रूप से बने विस्फोटकों के कारण और लैंटाना आक्रामक खरपतवार संक्रमण के कारण बाघों की मौत के मुद्दे को उठाया।

अतिरिक्त वन महानिदेशक (व्याघ्र परियोजना) एवं सदस्य सचिव (एनटीसीए) ने बताया कि एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) है और प्रथम दृष्टया सभी बाघों की मौत को अवैध शिकार के रूप में माना जाता है, जब तक कि अन्यथा साबित न हो। उन्होंने उल्लेख किया कि राजस्थान के सभी बाघों की मौत विशेष रूप से मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में हुई बाघों की मौत की एनटीसीए टीम द्वारा जॉच की गई है जिसके निष्कर्षों को उचित कार्रवाई करने के लिए राज्य को भेजा जाएगा।

(6) कार्यसूची क्रमांक 6: श्री राजीव प्रताप रूडी, माननीय सांसद और सदस्य एनटीसीए द्वारा प्रस्तावित एजेंडा आइटम।

क) बाघ संरक्षण फाउंडेशन के लिए एक समान परिचालन दिशानिर्देश

अतिरिक्त वन महानिदेशक (व्याघ्र परियोजना) एवं सदस्य सचिव (एनटीसीए) ने कहा कि अब तक कुल 41 बाघ संरक्षण फाउंडेशन (टीसीएफ) बनाए गए हैं और टीसीएफ के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। माननीय अध्यक्ष ने निर्देश दिया कि टीसीएफ को कार्यात्मक रूप से संचालित करने के लिए एक समान दिशा-निर्देश / संचालन के मैनुअल एक महीने के भीतर जारी किए जा सकते हैं।

सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ने टिप्पणी की कि कॉर्बेट और रणथंभौर टाइगर रिजर्व की उनकी हालिया यात्राओं के दौरान यह उनके ध्यान में लाया गया था कि इको-टूरिज्म गतिविधियों से उत्पन्न टाइगर रिजर्व की गेट रसीदें को वापस फाउंडेशन में लेने के बजाय राज्य कोषागार में जमा की जा रही हैं।

इसके अलावा सचिव ने कहा कि उन्होंने उत्तराखंड और राजस्थान के मुख्य सचिवों को पहले ही पत्र लिखकर बाघ अभयारण्य राजस्व को टीसीएफ खाते में जमा करने का अनुरोध किया था और इसी तरह का पत्राचार माननीय अध्यक्ष महोदय की तरफ़ से राज्य के वन मंत्रियों को भी जारी किया जा सकता है।

माननीय अध्यक्ष जी, श्री राजीव प्रताप रूडी, माननीय सदस्य ने सुझाव दिया कि नमामि गंगे फाउंडेशन के समान, जो सीएसआर योगदान प्राप्त करता है, बाघ संरक्षण पहल करने के लिए सीएसआर दान प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय बाघ संरक्षण फाउंडेशन बनाया जा सकता है।
सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सुझाव दिया कि नकदी योगदान के प्रावधान के अलावा, वस्तु के रूप में योगदान प्राप्त करने के लिए भी प्रावधान किया जा सकता है।

ख) राज्य संचालन समितियों की दक्षता और संचालन में सुधार

श्री राजीव प्रताप रूडी, माननीय सदस्य ने प्रतिभागियों को सूचित किया कि यद्यपि टाइगर रेंज राज्यों द्वारा संचालन समितियों का गठन किया गया है, लेकिन इन संचालन समितियों की अब तक एक भी बैठक नहीं हुई है। सदस्य ने कहा कि इसके अलावा, संचालन समितियों में संसद सदस्य को शामिल करने का कोई प्रावधान नहीं है। माननीय अध्यक्ष ने एडीजी (पीटी) और एमएस, एनटीसीए को संचालन समितियों को कार्यात्मक बनाने के लिए नियम बनाने के लिए एक समिति गठित करने का निर्देश दिया।

ग) बाघ संरक्षण योजनाओं का नियमन (टीसीपी)

अतिरिक्त वन महानिदेशक (व्याघ्र परियोजना) एवं सदस्य सचिव (एनटीसीए) ने सदस्यों को सूचित किया कि 50 टाइगर रिजर्व में से 38 टाइगर रिजर्व के टीसीपी को एनटीसीए द्वारा अनुमोदित किया गया है और केवल 12 टाइगर रिजर्व के टीसीपी राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न चरणों में तैयार किए जा रहे हैं।

घ) एनटीसीए की 16वीं और 17वीं बैठक के दौरान लिए गए निर्णयों का अनुपालन

श्री राजीव प्रताप रूडी, माननीय सदस्य ने टिप्पणी की कि एनटीसीए की 17वीं बैठक की रिपोर्ट की गई कार्रवाई के संबंध में, टाइगर रिजर्व में जल प्रबंधन और एनटीसीए द्वारा जारी इको-टूरिज्म दिशानिर्देशों के सरलीकरण जैसे मुद्दों के संबंध में अभी भी सूचना वांछित है।

एलएसी सदस्यों के और वहन क्षमता दिशानिर्देशों को सरल बनाने के संदर्भ में एनटीसीए दिशानिर्देशों को अद्यतन करने के लिए गठित एक समिति द्वारा संबोधित किया जा रहा है।

माननीय सदस्य ने सुझाव दिया कि टाइगर रिजर्व में जल प्रबंधन पर एक व्यापक रिपोर्ट टाइगर रिजर्व से मांगी जा सकती है और सभी लंबित गतिविधियों जैसे पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों को सरल बनाने आदि में तेजी लाई जानी चाहिए। माननीय सदस्य ने यह भी सुझाव दिया कि संरक्षण के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व जैसे विषयगत क्षेत्रों पर दिशानिर्देश जारी करने से पहले फीडबैक के लिए सदस्यों से परामर्श किया जा सकता है।

माननीय अध्यक्ष, एनटीसीए ने सदस्यों को सूचित किया कि मंत्रालय द्वारा वन संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए एलआईडीएआर प्रौद्योगिकी के उपयोग का पता लगाया जा रहा है और यह नवीनतम तकनीकी उपकरण बाघ अभयारण्यों के जल संसाधनों के मानचित्रण में भी मदद कर सकता है।

इस कार्यसूची के तहत अनुपालन के लिए माननीय महोदय द्वारा अन्य बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया:

- राज्यों के साथ बेहतर समन्वय के लिए उप-समिति के सदस्यों का पुन: पदनाम।
- स्थानीय सलाहकार समिति (एलएसी) के दिशा-निर्देशों में संशोधन क्योंकि इनमें एलएसी में संसद सदस्य को शामिल किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है
- टाइगर रिजर्व के निरीक्षण बंगलों वन विश्राम गृहों की निर्देशिका तैयार करना।
- टूर ऑपरेटरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना
- प्राधिकरण ने बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए एनटीसीए के अधिकारियों को टूर ऑपरेटरों के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण मॉड्यूल/कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए ।

ड़) बाघ अभयारण्यों में पशु चिकित्सा अवसंरचना

माननीय सदस्य ने सुझाव दिया कि वन्यजीवों के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए प्रत्येक बाघ अभयारण्य में उपयुक्त पशु चिकित्सा ढांचा तैयार किया जाना चाहिए। प्राधिकरण द्वारा सुझाव को नोट किया गया और बाघ अभयारण्यों में मौजूदा पशु चिकित्सा बुनियादी ढांचे के बारे में जानकारी एकत्र करने के निर्देश दिए गए। सचिव, ईएफ एंड सीसी ने मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे अनुभवी राज्यों से वन्यजीव प्रक्रियाओं में पशु चिकित्सकों के प्रशिक्षण का सुझाव दिया|

च) सभी सदस्यों को वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, बिहार के दौरे के बारे में संक्षिप्त जानकारी

माननीय सदस्य ने वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की अपनी यात्रा से संबंधित एक संक्षिप्त रिपोर्ट साझा की और बाघ अभ्यारण्यों में किए जा रहे संरक्षण कार्यों पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने सुझाव दिया कि एनटीसीए सदस्यों द्वारा इस तरह के दौरे सभी संबंधितों के साथ प्रभावी समन्वय और संपर्क के माध्यम से बाघ संरक्षण को आगे बढ़ाने के निमित्त होंगे।

छ) कैमूर राष्ट्रीय उद्यान, बिहार की स्थिति चर्चा के लिए

अतिरिक्त वन महानिदेशक (व्याघ्र परियोजना) एवं सदस्य सचिव (एनटीसीए) ने बताया कि इस संबंध में राज्य सरकार से इसे बाघ अभयारण्य घोषित करने पर विचार करने के लिए एक प्रस्ताव की प्रतीक्षा है।

ज) बाघ संरक्षण फाउंडेशन में संसद के सदस्यों को शामिल करना

माननीय सदस्य द्वारा बाघ संरक्षण फाउंडेशन (टीसीएफ) में संसद सदस्यों को शामिल करने और टीसीएफ के लिए संचालन मैनुअल तैयार करने के सुझावों को माननीय अध्यक्ष द्वारा नोट किया गया था।

माननीय सदस्य ने एनटीसीए के अधिकारियों के अच्छे काम की सराहना करते हुए चालू वित्त वर्ष में प्रोजेक्ट टाइगर बजट को 350 करोड़ रुपये से घटाकर 195 करोड़ रुपये करने के मुद्दों पर स्पष्ट रूप से प्रकाश डाला। उन्होंने जोर देकर कहा कि टाइगर रिजर्व को आवंटित धन का एक बड़ा हिस्सा स्थानीय समुदायों के वन पर्यवेक्षकों, वन और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए ट्रैकर के रूप में रोजगार पर खर्च किया जा रहा है। सीएसएस प्रोजेक्ट टाइगर बजट में यह अचानक कटौती कोविड-19 महामारी के दौरान गरीब और कमजोर लोगों की आजीविका को प्रभावित कर सकती है। माननीय सदस्य ने अध्यक्ष से एनटीसीए और टाइगर रिजर्व को पर्याप्त धन सहायता सुनिश्चित करने का आग्रह किया ताकि वन और वन्यजीवों की सुरक्षा से समझौता न हो।

प्राधिकरण ने बजट संबंधी मुद्दों पर ध्यान दिया और एमएस, एनटीसीए को वित्त मंत्री को निधि की आवश्यकता से अवगत कराने के लिए एक संक्षिप्त नोट तैयार करने का निर्देश दिया।

(7) **कार्यसूची क्रमांक 7**: श्री पी.आर सिन्हा, सदस्य एनटीसीए द्वारा प्रस्तावित

श्री सिन्हा, सदस्य एनटीसीए ने अखिल भारतीय बाघ अनुमान-2018 रिपोर्ट में चिह्नित किए गए कई महत्वपूर्ण बाघ रिजर्व प्रबंधन मुद्दों के बारे में उल्लेख किया, जिन पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि 50 में से 39 रिजर्व में आत्मनिर्भर आबादी नहीं है। इन अभ्यारण्यों का दीर्घकालिक अस्तित्व इन अभ्यारण्यों को जोड़ने वाले फ्रिंज और कॉरिडोर में सक्रिय नकारात्मक कारकों को संबोधित करने पर निर्भर करेगा। इन आबादी के प्रबंधन के लिए उपयुक्त रणनीति विकसित करने के लिए पार्श्व सोच की आवश्यकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसी आबादी पर काम कर रहे नकारात्मक कारकों को दूर करने के लिए संबंधित एजेंसियों के साथ एक दिमाग पर जोर डालने वाले सत्र का आयोजन किया जा सकता है।

सदस्य सचिव (एनटीसीए) ने सदस्य को बताया कि एआईटीई और 2018 के प्रबंधन प्रभावी मूल्यांकन अभ्यास में हाइलाइट किए गए सभी मुद्दों को सभी टाइगर रेंज राज्यों को उचित कार्रवाई के लिए सूचित किया गया है और इसकी विधिवत समीक्षा की जाएगी।

(8) कार्यसूची क्रमांक 8: डॉ एस एस श्रीवास्तव, सदस्य एनटीसीए द्वारा प्रस्तावित

डॉ श्रीवास्तव ने प्रस्तावित किया कि स्वैच्छिक गांव स्थानांतरण के कारण टाइगर रिजर्व के अंदर खाली हुई भूमि को शिकार की स्थिति, आवास और प्रबंधन के हस्तक्षेप, जो वन्यजीवों द्वारा उपयोग के लिए आवश्यक हो सकती है, के लिए निगरानी की जानी चाहिए । एमएस, एनटीसीए ने इस बिंदु पर ध्यान देते हुए दोहराया कि इस मुद्दे को भारतीय वन्यजीव संस्थान के सहयोग से संबोधित किया जाएगा।

सदस्य एनटीसीए ने विशेष रूप से वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित बाघ अभ्यारण्यों में विशेष रूप से बाघ अभयारण्यों के लिए कम वित्त पोषण सहायता के निहितार्थों को भी इंगित किया। उन्होंने अध्यक्ष, एनटीसीए से चालू वित्त वर्ष में अतिरिक्त बजट उपलब्ध कराने का आग्रह किया।

(9) कार्यसूची क्रमांक 9: अध्यक्ष के अनुमोदन से कोई अन्य मद।

(क) अतिरिक्त वन महानिदेशक (व्याघ्र परियोजना) एवं सदस्य सचिव (एनटीसीए):

अध्यक्ष के अनुमोदन से, अतिरिक्त वन महानिदेशक (व्याघ्र परियोजना) एवं सदस्य सचिव (एनटीसीए) ने अगले 10 वर्षों के लिए बाघ संरक्षण के लिए एक विजन प्लान की आवश्यकता के बारे में बताया, जिस पर प्राधिकरण द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी।

(ख) श्री हेमेंद्र कोठारी

सदस्य ने पुनर्वास पैकेज को बढ़ाकर स्वैच्छिक गांव स्थानांतरण के महत्व और टाइगर रिजर्व की गेट रसीदों को टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन में वापस प्रयुक्त किए जाने की आवश्यकता से संबंधित बिंदुओं को दोहराया।

(ग) डॉ अनीश अंधेरिया

सदस्य ने सुझाव दिया कि एनटीसीए बाघ रेंज राज्यों को तितर-बितर बाघों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए गलियारों का प्रबंधन करने के लिए एक सलाह जारी करने पर विचार कर सकता है। उनके अनुसार, कभी-कभी गलियारों का प्रबंधन बाघ अभ्यारण्य के 'कोर क्षेत्र' के लिए इस्तेमाल किए गए दृष्टिकोण का पालन करके किया जाता है जिससे मानव-वन्यजीव संघर्ष बढ़ सकता

है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि कॉरिडोर क्षेत्रों में 'प्रतिपूरक वनारोपण' किया जा सकता है क्योंकि यह परियोजना प्रस्तावक के लिए और बाघ अभयारण्यों के लिए भी एक जीत की स्थिति होगी। सदस्य ने बताया कि सीएसएस-प्रोजेक्ट टाइगर फंड टाइगर रिजर्व प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और फंडिंग में किसी भी कटौती का बाघ संरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

(घ) श्री राजीव प्रताप रूडी, माननीय सांसद और सदस्य एनटीसीए

माननीय सदस्य ने सुझाव दिया कि रैखिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की स्थिति में तेजी लाई जा सकती है क्योंकि निर्माण में देरी से जंगली जानवरों की आवाजाही प्रभावित होती है। माननीय सदस्य ने देश में बाघ संरक्षण के लिए एनटीसीए द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की और नियमित आधार पर एनटीसीए की त्रैमासिक बैठक के लिए अनुरोध किया।

(ड़) मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, ओडिशा

मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, ओडिशा ने स्वैच्छिक ग्राम स्थानांतरण के लिए पैकेज बढ़ाने का अनुरोध किया। बताया गया कि इस संबंध में प्रस्ताव पहले से ही विचाराधीन है।

माननीय मंत्री, ईएफ एंड सीसी और अध्यक्ष, एनटीसीए ने एनटीसीए के प्रयासों पर संतोष व्यक्त किया। बैठक अध्यक्ष और प्रतिभागियों को धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

अनुलग्नक-1 प्रतियोगियों की सूची	
क्र.	**नाम/पद एवं पता**
1	प्रभारी मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
2	राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
3	सुश्री दीया कुमारी संसद, सदस्य (लोक सभा)
4	श्री राजीव प्रताप रुडी, संसद सदस्य (लोक सभा)
5	श्री हर्षवर्द्धन सिंह डुंगरपुर, संसद सदस्य (राज्य सभा)
6	श्री पी. आर. सिन्हा, पूर्व निदेशक, भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून, मकान सं. के-1-12, सेक्टर-डी, प्रसाद लैब, कंकड़बाग कॉलोनी, पटना, बिहार-800020
7	डॉ. तिष्यरक्षित चटर्जी, सेवा निवृत्त सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय प्लॉट नं. 208 - ए, रोड नं. 14ए, जुबिली हिल्स, तेलंगना - 500033
8	श्री हेमेन्द्र कोठारी, अध्यक्ष, डीएसपी ब्लैक रॉक, मफतलाल सेन्टर, दसवां तल, नरीमन प्वाइंट, मुम्बई - 400021, महाराष्ट्र
9	डॉ. इराच भरूचा, निदेशक, भारती विद्यापीठ इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंट, एजुकेशन एंड रिसर्च, कटराज - धानकावाडी कैंपस, पुणे - सतारा रोड, पुणे - 411043
10	श्री बी. के. पटनायक, सेवा निवृत्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं मुख्य वन्यजीव वार्डन, उत्तर प्रदेश, 105, सुरेखा विल्ला, मिगमानन्दा नगर, लेन-2, बोमीखाल, भुवनेश्वर, ओडिशा -751012
11	श्री एस. एस. श्रीवास्तव, आईएफएस, सेवानिवृत्त पीसीसीएफ एवं एचओएफएफ, ओडिशा, फ्लैट नं. बी-031, राहेजा अटलाटिस, सेक्टर - 31, गुड़गांव (हरियाणा) - 122001
12	श्री अनिश अंधेरिया (पीएचडी), वन्यजीव संरक्षण न्यास, 11वां तल, मफतलाल सेंटर, नारीमन पोइंट, मुंबई - 400021
13	श्री खगेश्वर नायक, सेवानिवृत्त क्षेत्र निदेशक, कान्हा टाइगर रिजर्व, एस.वी. 19, श्रीखेत्र विहार, ऐगिनिया, जिला खुर्दा, भुवनेश्वर, ओडिशा - 751019
14	सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
15	वन महानिदेशक एवं विशेष सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
16	सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय
17	सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
18	अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
19	अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
20	सचिव, पंचायती राज मंत्रालय
21	निदेशक, वन्यजीव परिरक्षण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
22	मुख्य वन्यजीव वार्डन, उत्तर प्रदेश
23	मुख्य वन्यजीव वार्डन, तेलंगना
24	मुख्य वन्यजीव वार्डन, असम
25	मुख्य वन्यजीव वार्डन, ओडिशा
26	मुख्य वन्यजीव वार्डन, झारखंड
27	मुख्य वन्यजीव वार्डन, महाराष्ट्र
28	संयुक्त सचिव एवं विधायी सलाहकार, विधायी विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली
29	अपर महानिदेशक (व्याघ्र परियोजना), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
30	एनटीसीए (मुख्यालय) और क्षेत्रीय कार्यालयों (एनटीसीए) (मुख्यालय) के सभी अधिकारी, बेंगलुरु, गुवाहाटी और नागपुर

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की तकनीकी समिति

एनटीसीए तकनीकी समिति की 5वीं बैठक

कोविड-19 के मद्देनजर अतिरिक्त वन महानिदेशक (व्याघ्र परियोजना) एवं सदस्य सचिव (एनटीसीए) की अध्यक्षता में परिसंचरण के माध्यम से आयोजित एनटीसीए तकनीकी समिति की 5वीं बैठक का कार्यवृत्त

बैठक में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:

1. डॉ. इराच भरूचा, निदेशक, भारत विद्यापीठ पर्यावरण, शिक्षा संस्थान एंड रिसर्च, कात्रज-धनकवाड़ी कैंपस, पुणे-सतारा रोड, पुणे- 411043।
2. श्री एसएस श्रीवास्तव, आईएफएस, सेवानिवृत्त, पीसीसीएफ और एचओएफएफ, ओडिशा, फ्लैट नंबर बी-031, रहेजा अटलांटिस, सेक्टर-31, गुड़गांव (हरियाणा)-122001।
3. निदेशक (आईएफडी), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय।
4. निदेशक, भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून।
5. मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, महाराष्ट्र, नागपुर।
7. मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, ओडिशा, कर्नाटक।
8. मुख्य वन्यजीव वार्डन, मध्य प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़
9. डॉ. उमा रामकृष्णन, नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस (एनसीबीएस), बेंगलुरु।

कार्यसूची 1:

लॉकडाउन प्रचलित होने के कारण अखिल भारतीय बाघ अनुमान-2018 परियोजना के 30 जून 2020 तक बिना लागत विस्तार के संबंध में निदेशक, डब्ल्यू आई आई, देहरादून से प्रस्ताव प्राप्त हुआ:

निदेशक, डब्ल्यू आई आई कार्यालय के 16 अप्रैल, 2020 के पत्र के माध्यम से ऊपर उल्लिखित प्रस्ताव प्राप्त हुआ। इस परियोजना का विवरण इस प्रकार है: यह भारत में बाघों, सह-शिकारियों और शिकार प्रजातियों के देशव्यापी मूल्यांकन के लिए एक परियोजना है। यह 2017-19 से 2 साल की परियोजना है, जिसे तकनीकी समिति की पिछली बैठकों में अनुमोदन से पहले 31 मार्च 2020 तक बढ़ा दिया गया था। कुल परियोजना लागत: 1045.21 लाख, जारी की गई राशि: 1001.42 लाख, शेष: 43.79 लाख (2019 के आवंटन की भौतिक/वित्तीय प्रगति रिपोर्ट प्रतीक्षित) देश में प्रचलित लॉकडाउन के कारण, 30 जून, 2020 तक बिना लागत विस्तार एनटीसीए द्वारा पत्र सं. 11-1/2-17-एनटीसीए (वॉल्यूम 15) दिनांक 27 अप्रैल, 2020 के द्वारा अनुमोदित किया गया था जिसका तकनीकी समिति से कार्योत्तर अनुमोदन अपेक्षित है।

निर्णय: अनुमोदित।

कार्यसूची 2:

लॉकडाउन प्रचलित होने के कारण एम-स्ट्रिप्स (Ver2) परियोजना के 30 जून, 2020 तक बिना लागत विस्तार के संबंध में निदेशक, डब्ल्यू आई आई, देहरादून से प्रस्ताव प्राप्त हुआ:

निदेशक, डब्ल्यू आई आई कार्यालय के 16 अप्रैल, 2020 के पत्र के माध्यम से ऊपर उल्लिखित प्रस्ताव प्राप्त हुआ। इस परियोजना का विवरण इस प्रकार है: यह **एम-स्ट्रिप्स** के देशव्यापी कार्यान्वयन के लिए एक परियोजना है, जो स्मार्ट गश्त और क्षेत्र से पारिस्थितिक डेटा के संग्रह के लिए एक एंड्रॉइड एप्लिकेशन है। यह 2016-19 से 3 साल की परियोजना है जिसे तकनीकी समिति की पिछली बैठकों में अनुमोदन से पहले 31 मार्च, 2020 तक बढ़ा दिया गया था। कुल परियोजना लागत: 366.10 लाख, जारी की गई राशि: 301.70 लाख, शेष: 64.4 लाख। (2019-20 के आवंटन की यूसी और भौतिक/वित्तीय प्रगति रिपोर्ट प्रतीक्षित) देश में लॉकडाउन के कारण, 30 जून 2020 तक बिना लागत विस्तार एनटीसीए द्वारा पत्र संख्या 11-1/2-17-एनटीसीए (वॉल्यूम 15) दिनांक 27 अप्रैल, 2020 के माध्यम से दिया गया था और अब तकनीकी समिति से कार्योत्तर अनुमोदन अपेक्षित है।

निर्णय: अनुमोदित।

कार्यसूची 3:

संजय टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश की बाघ संरक्षण योजना - संजय टाइगर रिजर्व, संजय राष्ट्रीय उद्यान और दुबरी वन्यजीव अभयारण्य को मिलाकर 812.58 वर्ग किलोमीटर के कोर क्षेत्र से बना है। बफर क्षेत्र 861.93 वर्ग किलोमीटर है, और सिद्धि प्रादेशिक प्रभाग उत्तर शहडोल प्रादेशिक प्रभाग के कुछ हिस्सों और दुबरी वन्यजीव अभयारण्य और संजय राष्ट्रीय उद्यान के कुछ हिस्सों से बना है।

टीसीपी की प्रारंभिक प्रस्तुति के बाद, इस प्राधिकरण द्वारा उसमें कुछ सुधार करने के लिए कहा गया था। राज्य के अधिकारियों ने सुधार को शामिल किया है और अंत में उपरोक्त विषयों के साथ टीसीपी जमा किया है। उपरोक्त हाइलाइट किए गए विषयों के साथ टीसीपी को तकनीकी समिति द्वारा उपरोक्त के रूप में अनुमोदित करने की आवश्यकता है

निर्णय: अनुमोदित।

कार्यसूची 4:

सुंदरबन टाइगर रिजर्व, पश्चिम बंगाल की बाघ संरक्षण योजना - सुंदरबन टाइगर रिजर्व, 1973 के दौरान घोषित शुरुआती नौ बाघ अभयारण्यों में से एक है और 2584.89 वर्ग किमी के कुल क्षेत्र को शामिल करता

है, जिसमें से 1699.62 वर्ग किमी को क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट और 885.27 वर्ग किमी बफर क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है:

सजनेखली वन्यजीव अभयारण्य	-	362.40 वर्ग किमी।
सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान	-	1330.10 वर्ग किमी।
रिजर्व वन	-	892.43 वर्ग किमी।

टीसीपी की प्रारंभिक प्रस्तुति के बाद, इस प्राधिकरण द्वारा उसमें कुछ सुधार करने के लिए कहा गया था। राज्य के अधिकारियों ने सुधार को शामिल किया है और अंत में उपरोक्त विषयों के साथ टीसीपी जमा किया है। उपरोक्त हाइलाइट किए गए विषयों के साथ टीसीपी को तकनीकी समिति द्वारा उपरोक्त के रूप में अनुमोदित करने की आवश्यकता है जैसा की उपर बताया गया है।

निर्णय: अनुमोदित।

कार्यसूची 5:

दुर्लभ जेनेटिक तत्व की उपस्थिति और वितरण की पहचान करने के लिए भारत भर में अलग-अलग आबादी से बाघों का आनुवंशिक नमूनाकरण:

इस संबंध में एक प्रस्ताव उमा रामकृष्णन, राष्ट्रीय जीव विज्ञान केंद्र(एनसीबीएस), टीआईएफआर, बेंगलुरु से प्राप्त हुआ है, जिसमें गैर-आक्रामक विधि (स्कैट कलेक्शन) का उपयोग करके दुर्लभ एलील की उपस्थिति और वितरण की पहचान करने के लिए भारत भर में अलग-थलग आबादी से बाघों के आनुवंशिक नमूने के बारे में बताया गया है।

बड़े पैमाने पर वन हानि और परिदृश्य कनेक्टिविटी में परिवर्तन के परिणामस्वरूप कम आनुवंशिक भिन्नता विश्व स्तर पर जंगली, वन-निर्भर प्रजातियों के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक है (श्लाएफ़र एट अल। 2018)।

बाघ आबादी में इन एलील की उपस्थिति और दृढ़ता का आकलन करने के लिए परियोजना प्रस्तावक का लक्ष्य उन क्षेत्रों में नमूना लेना है जहां ऐतिहासिक रिकॉर्ड में इन दुर्लभ फेनोटाइप की रिपोर्ट शामिल है, और परीक्षण करें कि क्या ये एलील छोटी, पृथक आबादी में आवृत्ति में बढ़ रहे हैं। एलील आवृत्ति में परिवर्तन और दुर्लभ फेनोटाइप्स की अभिव्यक्ति इन आबादी के भीतर होने वाली इनब्रीडिंग का संकेतक हो सकती है।

ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि ये दुर्लभ एलील दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत में मौजूद हो सकते हैं। प्रस्तावक ने असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और सिक्किम सहित पूर्वोत्तर के राज्यों में जहां बाघ मौजूद हैं, नमूना लेने का प्रस्ताव किया है। वे केरल और तमिलनाडु से नमूने लेंगे जहां क्रमशः काले

बाघ और एक तेंदुए और सफेद बाघों की ऐतिहासिक रिपोर्ट मिली है। सिमिलिपाल के भीतर उच्च आवृत्ति पर छद्म-मेलेनिस्टिक एलील्स की ज्ञात उपस्थिति को देखते हुए, प्रस्तावक का लक्ष्य झारखंड और छत्तीसगढ़ से नमूना लेना है जो इस क्षेत्र के निकट हैं।

परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार एनटीसीए पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है। तकनीकी समिति के सदस्यों की टिप्पणियों के लिए परियोजना प्रस्ताव भी संलग्न है।

निर्णय: बिना वित्तीय सहायता के स्वीकृत और संबंधित राज्य प्राधिकरण से अपेक्षित अनुमति के अधीन अनुमोदित।

एनटीसीए तकनीकी समिति की छठी बैठक

अतिरिक्त वन महानिदेशक (व्याघ्र परियोजना) एवं सदस्य सचिव (एनटीसीए) की अध्यक्षता में वीडियो सम्मेलन के माध्यम से 14.08.2020 को आयोजित एनटीसीए की छठी तकनीकी समिति बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:

1. डॉ. इराच भरूचा, निदेशक, भारत विद्यापीठ पर्यावरण संस्थान, शिक्षा और अनुसंधान, कात्रज-धनकवाड़ी परिसर, पुणे-सतारा रोड, पुणे 411043।
2. श्री एसएस श्रीवास्तव, आईएफएस, सेवानिवृत्त। पीसीसीएफ और एचओएफएफ, ओडिशा, फ्लैट नंबर बी-031, रहेजा अटलांटिस, सेक्टर-31, गुड़गांव (हरियाणा) - 122001।
3. निदेशक (आईएफडी), पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय।
4. निदेशक, भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून।
5. मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तर प्रदेश/महाराष्ट्र/मध्य प्रदेश/उत्तराखंड।
6. महासचिव, ग्लोबल टाइगर फोरम, नई दिल्ली
7. फील्ड निदेशक (ओं), कॉर्बेट, कान्हा और नवेगांव-नागजीरा टाइगर रिजर्व।

1. कान्हा टाइगर रिजर्व के उल्लंघन क्षेत्र में टाइगर सफारी की स्थापना का प्रस्ताव।

संक्षिप्त : कान्हा बाघ अभ्यारण्य के किनारे बामनी रेंज (पौदी बीट) में मंडला (टी) डिवीजन में टाइगर सफारी की स्थापना के संबंध में फील्ड डायरेक्टर, कान्हा बाघ अभ्यारण्य से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। इसके अलावा इस प्राधिकरण द्वारा फा.सं. 7-23/2015-एनटीसीए दिनांक 11.06.2020 के अंतर्गत उठाए गए प्रश्न के उत्तर में, मुख्य वन्यजीव मध्य प्रदेश ने प्रस्तुत किया है कि प्रस्तावित स्थल के समानांतर बहने वाली एक बारहमासी नदी बंजार है। यह कान्हा टाइगर रिजर्व के खटिया गेट से 8 किमी की दूरी पर स्थित है। जैसा कि मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक द्वारा सूचित किया गया है, प्रस्तावित क्षेत्र बाघ संरक्षण के लिए किसी भी गलियारे/महत्वपूर्ण आवास में नहीं आता है। मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, मध्य प्रदेश ने "टाइगर रिजर्व के बफर और फ्रिंज क्षेत्रों में टाइगर सफारी स्थापित करने के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए टाइगर सफारी स्थापित करने के लिए उक्त क्षेत्र की मंजूरी के लिए अनुरोध किया है। (विस्तृत प्रस्ताव संलग्न)। इसे अनुमोदन के लिए तकनीकी समिति के समक्ष रखा गया था।

निर्णय: स्वीकृत, कैंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा आवश्यक मंजूरी के अधीन।

3. रिजर्व फॉरेस्ट के रूप में घोषित होने के परिणामस्वरूप स्थानांतरित गांवों (धरा, झिरना, कोथिरो और लालढांग) के क्षेत्रों को कॉर्बेट बाघ अभ्यारण्य में शामिल करना।

संक्षिप्त: निदेशक, कॉर्बेट बाघ अभ्यारण्य से, स्थानांतरित गांवों (धरा, झिरना, कोथिरो और लालढांग) के 514.075 हे. अतिरिक्त क्षेत्र को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। ।

टाइगर रिजर्व की दक्षिणी परिधि में चार गांवों धरा, झिरना, कोथिरो और लालढांग को स्थानांतरित कर दिया गया है और तत्कालीन ग्रामीणों से संबंधित निजी भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 20 के तहत अधिसूचना द्वारा आरक्षित वन घोषित कर दिया गया है। अब इन क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व में बफर क्षेत्र के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव है। क्षेत्र विवरण नीचे दी गई तालिका के अनुसार है। (क्षेत्र हेक्टेयर में)

1. लालढ़ांग	-	243.429
2. कोथिरो	-	34.478
3. झिरना	-	129.938
4. धरा	-	106.230
कुल क्षेत्रफल		514.075 हेक्टेयर।

राज्य सरकार को किसी क्षेत्र को टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र के रूप में घोषित करने के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के तहत सक्षम अधिसूचना जारी करने के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 38V(1) के तहत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की सिफारिश आवश्यक है।

निर्णय: तकनीकी समिति ने लालढांग, कोथिरो, झिरना और धरा के 514.075 हेक्टेयर आरक्षित वन क्षेत्र को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बफर एरिया के रूप में शामिल करने को मंजूरी दी।

3. नवेगांव-नागजीरा टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र के लिए बाघ संरक्षण योजना 2020-21 से 2029-30।

संक्षिप्त: मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, महाराष्ट्र से नवेगांव-नागजीरा टाइगर रिजर्व की बाघ संरक्षण योजना प्राप्त हुई थी। जिस पर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38V के तहत के अनुमोदन की अनुसंसा दिया जाने हेतु तकनीकी समिति द्वारा चर्चा की गई ।

निर्णय: बफर क्षेत्र के बाघ संरक्षण योजना को प्रस्तुत न करने के मद्देनजर विलिम्बित।

4. भारत के उच्च ऊंचाई वाले बाघ (एचएटी) स्थलों के लिए मास्टर प्लान तैयार करने का प्रस्ताव।

संक्षिप्त: हाल ही में जीटीएफ द्वारा तीन देशों अर्थात भूटान, भारत और नेपाल को कवर करने वाले उच्च ऊंचाई वाले बाघों के आवासों पर स्थिति विश्लेषण संबंधित सरकारों एनटीसीए, डब्ल्यूआईआई, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंडिया, एनटीएनसी नेपाल, वैश्विक बाघ केंद्र, भूटान को शामिल करते हुए एक सहयोगी पहल के रूप में किया गया था । निष्कर्ष, बाघ की उपस्थिति और पूर्वी और पश्चिमी हिमालयी परिदृश्य में संभावित बाघ का निवास स्थान का एक स्नैपशॉट प्रदान करते हैं ।

ग्लोबल टाइगर फोरम ने उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्यों में भारत में उच्च ऊंचाई वाले बाघों के आवासों के स्वस्थानी संरक्षण के लिए मास्टर प्लान तैयार करने का प्रस्ताव

प्रस्तुत किया है। परियोजना की कुल अवधि 18 महीने है और अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड में परियोजना कार्यान्वयन के लिए आंशिक वित्त पोषण के रूप में परियोजना की लागत रु. 60.65 लाख है। परियोजना जीटीएफ द्वारा सिक्किम और सीमा पार (नेपाल और भूटान) में अपने संसाधनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी।

निर्णय: स्वीकृत।

5. टाइगर रेंज देशों (टीआरसी) के वरिष्ठ अधिकारियों/क्षेत्र प्रबंधकों के लिए क्षमता निर्माण की दिशा में सहयोगात्मक प्रस्ताव।

संक्षिप्त: भारत में व्यापक बाघ संरक्षण का एक लंबे समय से सफल ट्रैक रिकॉर्ड है और यह वैश्विक जंगली बाघों के 70% से अधिक का घर है। भारत सहित वैश्विक स्तर पर 13 टाइगर रेंज देश (टीआरसी) हैं। टाइगर रेंज देशों खासकर दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में जंगली बाघों की स्थिति खतरे में बनी हुई है।

भारत अपने बाघ संरक्षण को मजबूत करने के लिए कई मील के पत्थर पहलों के लिए जाना जाता है। जिसमें कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहल शामिल हैं। पड़ोसी टाइगर रेंज देश से द्विपक्षीय के अलावा भारत एकमात्र अंतर-सरकारी, बाघ के लिए अंतर्राष्ट्रीय निकाय- ग्लोबल टाइगर फोरम (जीटीएफ), जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, का संस्थापक सदस्य भी है।

उपरोक्त प्रदर्शनकारी कार्रवाई शुरू करने के लिए, और कोविड-19 की मौजूदा स्थिति को देखते हुए, जीटीएफ द्वारा बाघ रेंज देशों के अधिकारियों के लिए एक सप्ताह का ऑनलाइन प्रमाणपत्र प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (लेक डेम फील्ड वीडियो सहित) प्रस्तावित है। परियोजना की अवधि **4 महीने है और कुल परियोजना लागत 14.45 लाख है।**

निर्णय: स्वीकृत।

6. चीता-परिचय पर अध्ययन के लिए प्रारंभिक निधि जारी करना।

संक्षिप्त: माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 28 जनवरी, 2020 के आदेश में प्रायोगिक आधार पर अफ्रीकी चीता की शुरूआत और अफ्रीकी चीता को भारत लाने के लिए एनटीसीए के साथ मार्गदर्शन और समन्वय करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किये जाने को मंजूरी दे दी है। विशेषज्ञ समिति की पहली बैठक 6 मार्च, 2020 को हुई थी, जिसमें चीता को भारत लाने के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक हस्तक्षेप के लिए एनटीसीए और डब्ल्यूआईआई से एक प्रस्ताव मांगा गया था। इस बीच परियोजना प्रस्ताव की शुरूआत सुनिश्चित करने के लिए जिसमें क्षेत्र सर्वेक्षण, मूल्यांकन/पुनर्मूल्यांकन शामिल है, के लिए तत्काल वित्त पोषण आवश्यक है। ड्ब्ल्यू.आइ.आइ. के माध्यम से परियोजना कार्यान्वयन की तत्काल शुरुआत की सुविधा के लिए

एनटीसीए से रुपए 10.00 लाख की स्वीकृति प्रदान करने का प्रस्ताव है जिसे मंत्रालय द्वारा चीता के लिए अतिरिक्त आवंटन में समायोजित किया जाएगा।

निर्णय: स्वीकृत।

अतिरिक्त एजेंडा

1 भारत में बाघ गलियारों का बेहतर पैमाने पर मानचित्रण और प्राथमिकता:

इस संबंध में भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा एनटीसीए की तकनीकी समिति की पहली बैठक दिनांक 11.04.2019 के दौरान एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। यह प्रस्ताव आवास सुविधाओं और जानवरों की अत्यधिक गतिशील प्रकृति को देखते हुए नवीनतम क्षेत्र टिप्पणियों के साथ आवश्यक बाघ गलियारों के पुनर्मूल्यांकन की मांग करता है। चूंकि ये आबादी छोटी और अलग-थलग हैं, इसलिए उनकी दीर्घकालिक दृढ़ता गलियारों / लिंकेज के माध्यम से आबादी के बीच व्यक्तियों का आदान-प्रदान करके जीन प्रवाह को बनाए रखने पर निर्भर करती है। इसलिए, लैंडस्केप स्तर पर सुरक्षित कनेक्टिविटी के माध्यम से बड़ी मेटा-आबादी को बनाए रखते हुए बाघों का दीर्घकालिक निर्वाह सुनिश्चित किया जा सकता है। उक्त बैठक में विस्तृत प्रस्ताव समय सीमा और वित्तीय परिव्यय के साथ के अधीन "सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन" का निर्णय लिया गया।

अब, एक बेहतर संकल्प पर नए डेटा के साथ एक पाठ्यक्रम संकल्प पर 2010 में मैप किए गए गलियारों को फिर से देखने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। साथ ही उन क्षेत्रों की पहचान करते हुए जहां इन गलियारों को क्रियाशील रखने के लिए पुनर्स्थापनात्मक प्रबंधन की आवश्यकता है। अंतिम अनुमोदन के लिए समय सीमा के साथ लागत विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है।

निदेशक/अध्यक्ष, भारतीय वन्यजीव संस्थान परियोजना शुरू करने के तौर-तरीकों और अनुमोदन पर निर्णय लेने के लिए इस संबंध में तकनीकी समिति के समक्ष विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं। कुल अवधि परियोजना 24 महीने है और परियोजना लागत रुपये 36.28 लाख है।

नोट: (क) प्रस्ताव को "सैद्धांतिक रूप से" अनुमोदित किया गया था, जो भारतीय वन्यजीव संस्थान (पहली तकनीकी समिति की बैठक) में एनटीसीए टाइगर सेल द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले समय और वित्तीय परिव्यय के साथ विस्तृत प्रस्ताव के अधीन था
(ख) प्रस्ताव को इस अवलोकन के साथ स्थगित कर दिया गया कि अखिल भारतीय बाघ अनुमान, 2018 की रिपोर्ट बाघ कॉरिडोर मैपिंग रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करने के बाद ही प्रस्ताव पर विचार किया जा सकाता है । (तीसरी तकनीकी समिति।)

निर्णय: स्वीकृत।

2. भारत में बाघ संरक्षण की तुलना में वनस्पति और आवास की गुणवत्ता में परिवर्तन पर अध्ययन ।

यह ध्यान देने योग्य है कि 2006, 2010, 2014 और 2018 के अखिल भारतीय बाघ अनुमान अभ्यास चक्रों ने सभी बाघ अभयारण्यों और बाघ वाले क्षेत्रों से संबंधित वनस्पति, आवास की स्थिति, पुष्प विविधता आदि पर भारी डेटा उत्पन्न किया है। लंबे समय तक बाघों की सुविधा के लिए बाघ संरक्षण योजनाओं / आवास प्रबंधन के लिए प्रबंधन योजनाओं के माध्यम से निहित ऐसे हस्तक्षेपों के प्रभावों को समझने के लिए बाघ अभयारण्यों में आवास की गुणवत्ता और वनस्पति में परिवर्तन का अध्ययन करना आवश्यक है।

उक्त संदर्भ में, एनटीसीए, भारतीय वन्यजीव संस्थान से वनस्पति और आवास गुणवत्ता परिवर्तनों का आकलन करने के लिए देश में बाघ अभ्यारण्य और बाघ प्रभावित क्षेत्रों के संदर्भ में उक्त अध्ययन की सुविधा के लिए एक परियोजना प्रस्ताव विकसित करने का अनुरोध करेगा।

निर्णय: "सैद्धांतिक रूप से" स्वीकृत, निदेशक, भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून द्वारा विस्तृत बजट एवं प्रस्ताव की समय सीमा के प्रस्तुत करने अधीन। ।

एनटीसीए तकनीकी समिति की 7वीं बैठक

अतिरिक्त वन महानिदेशक (व्याघ्र परियोजना) एवं सदस्य सचिव (एनटीसीए) की अध्यक्षता में वीडियो सम्मेलन के माध्यम से 27 नवंबर, 2020 को आयोजित एनटीसीए की 7 वीं तकनीकी समिति बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:

1. डॉ. इराच भरूचा, निदेशक, भारत विद्यापीठ पर्यावरण संस्थान, शिक्षा और अनुसंधान, कात्रज-धनकवाड़ी परिसर, पुणे-सतारा रोड, पुणे-411043।
2. श्री एस.एस. श्रीवास्तव, आईएफएस, सेवानिवृत्त। पीसीसीएफ और एचओएफएफ, ओडिशा, फ्लैट नंबर बी-031, रहेजा अटलांटिस, सेक्टर-31, गुड़गांव (हरियाणा) - 122001।
3. निदेशक (आईएफडी), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय।
4. निदेशक, भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून।
5. मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, महाराष्ट्र, नागपुर।
7. मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, मध्य प्रदेश।
8. फील्ड निदेशक, संजय-दुबरी/पेंच/बंधवगढ़ टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश।

कार्यसूची 1: टाइगर रिजर्व के लिए स्वैच्छिक कार्बन बाजार परियोजनाओं का भारत में विकास ।

1. प्रस्ताव डॉ जे वी शर्मा, निदेशक, वानिकी और जैव विविधता डिवीजन, टेरी, नई दिल्ली द्वारा प्रस्तुत किया गया है ।

2. यह परियोजना बाघ अभ्यारण्यों के लिए नवोन्मेषी वित्तपोषण तंत्र के बारे में है जिसका प्रमुख उद्देश्य बढ़ते मानव-वन्यजीव संघर्षों के प्रबंधन, बाघ अभयारण्यों में कार्बन जब्ती के माध्यम से स्थानीय समुदायों की संसाधन निर्भरता को कम करना है।

3. डीआईजी, एनटीसीए द्वारा परियोजना कार्यान्वयन और लाभ साझा करने के लिए संभावनाओं, विधियों और संस्थागत तंत्र को शामिल करने वाली परियोजना के बारे में एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी गई।

4 पायलट परियोजना स्थल हैं: दुधवा, सुंदरबन, पेंच और पेरियार टाइगर रिजर्व और परियोजना का अपेक्षित समय 20 वर्ष (4 चक्र @ 5 वर्ष के अंतराल) है।

5. सदस्य डॉ एस एस श्रीवास्तव द्वारा परियोजना की आवश्यकता, जब पारिस्थितिकी तंत्र मूल्यांकन अध्ययन पहले ही किए जा चुके हैं के संबंध में एक प्रश्न उठाया गया था। एडीजी (पीटी) और एमएस, एनटीसीए द्वारा यह दोहराया गया था कि वर्तमान में परियोजना निर्माण में क्षमता की कमी के कारण भारत में ऐसी

परियोजनाओं को लागू करने का कोई उदाहरण नहीं है। प्रस्तावित परियोजना एक पायलट अध्ययन है, जिसका उद्देश्य टाइगर संरक्षण फाउंडेशनों, जिनके पास कोविड-19 महामारी के कारण पर्यटन राजस्व नहीं है और वर्षों से आय के स्थिर स्रोत का आश्वासन देता है, की आय को पूरक बनाना है।

निर्णय: अनुमोदन के लिए अनुशंसित।

कार्यसूची 2: जंगली बाघिन पीटीआर84_एफ उपनाम पीकेटी1-सी2 की रिहाई

1. प्रस्ताव सीसीएफ और फील्ड निदेशक, पेंच टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ है और इसमें जंगली बाघिन पीटीआर 84 एफ उर्फ पीकेटी1-सी2 को जंगल में छोड़ना शामिल है।

2. एफडी, पेंच टाइगर रिजर्व ने शावक के इतिहास, अपनाई गई रीवाइल्डिंग दृष्टिकोण, तैनात निगरानी तंत्र, उक्त शावक की रीवाइल्डिंग में एसओपी / एनटीसीए के दिशानिर्देशों का अनुपालन पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी ।

3. प्रो. कमर कुरैशी ने सुझाव दिया कि जंगली बाघिन को एक साल के लिए सैटेलाइट कॉलर और बाद में 2-3 साल के लिए वीएचएफ कॉलर लगाया जा सकता है।

4. सदस्यों ने सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की कि जंगली बाघिन को पेंच टाइगर रिजर्व में छोड़ा जाना चाहिए जहां रीवाइल्डिंग कवायद की गई है।

निर्णय : पन्ना एवं सरिस्का टाइगर रिजर्व की चौबीसों घंटे निगरानी प्रणाली की तैनाती के अधीन अनुमोदन के लिए अनुशंसित।

कार्यसूची 3: नवेगांव- नागजीरा टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र की बाघ संरक्षण योजना प्रस्तुत करना ।

1. पीसीसीएफ (वन्यजीव), महाराष्ट्र से प्राप्त नवेगांव नागजीरा टाइगर (एनएनटीआर) रिजर्व की बाघ संरक्षण योजना (टीसीपी) के अनुमोदन के संबंध में प्रस्ताव।

2. उप निदेशक, एनएनटीआर द्वारा टीसीपी के मसौदे की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए एक प्रस्तुति दी गई।

3. एनटीसीए द्वारा टीसीपी के मसौदे की विस्तार से समीक्षा के पश्चात अवलोकन अनुपालन के लिए फील्ड निदेशक को परिचालित किया जाएगा।

निर्णय : स्थगित।

कार्यसूची 4: "टाइगर हैबिटेट्स में बड़ी मांसाहारी आबादी के लिए लैंडस्केप स्केल पर जेनेटिक कनेक्टिविटी परियोजना का बिना लागत विस्तार ।

1. प्रस्ताव निदेशक, भारतीय वन्यजीव संस्थान से प्राप्त हुआ है।

2. परियोजना को शुरू में 68.482 लाख रुपये की राशि के लिए मंजूरी दी गई थी, लेकिन निधि की कमी के कारण एनटीसीए द्वारा अब तक केवल 26 लाख रुपये ही जारी किए गए हैं। निधियों की सीमित रिलीज और परियोजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त समय और धन की आवश्यकता के कारण, परियोजना के एक और वर्ष के लिए बिना लागत विस्तार की मांग की गई है।

3. परियोजना के पीएल से अनुरोध किया गया है कि परियोजना से जुड़ी अन्य एजेंसियों/संस्थानों के सहयोग से स्कैट नमूनों (परियोजना के उद्देश्यों में से एक) से बाघ/तेंदुए की पहचान के लिए प्राइमरों को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाए।

निर्णय: अनुमोदन के लिए अनुशंसित।

कार्यसूची 5: संजय दुबरी टाइगर रिजर्व में दो उप वयस्क बाघों की रेडियो-कॉलरिंग।

1. मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, मध्य प्रदेश से प्राप्त प्रस्ताव संजय-दुबरी टाइगर रिजर्व में टी-11 बाघिन के दो उपवयस्कों की रेडियो-कॉलरिंग के संबंध में है।

2. मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक ने बताया कि दो उप वयस्क बाघ पिछले 2-3 महीनों से लगातार मानव बस्तियों में आ रहे हैं जिससे स्थानीय समुदायों में दहशत की स्थिति पैदा हो रही है और अक्सर कानून और व्यवस्था के गंभीर मुद्दे पैदा होते हैं। बाघों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और संभावित मानव-बाघ संघर्षों को रोकने के लिए रेडियो कॉलरिंग प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

3. श्री एस एस श्रीवास्तव, सदस्य, की राय थी कि रेडियो कॉलरिंग से मानव वन्यजीव संघर्ष के मुद्दे हल नहीं होंगे बल्कि इसके बजाय प्रभावित क्षेत्रों में कैमरा ट्रैप का उपयोग करके गहन निगरानी और गांव के पास शिविर की स्थापना के लिए फील्ड स्टाफ की तैनाती पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

4. प्रो0 कमर कुरैशी ने सुझाव दिया कि रेडियो- कॉलरिंग के लिए उपग्रह और वीएचएफ कॉलर दोनों का उपयोग किया जा सकता उन्होंने आगे सुझाव दिया कि बाघों को मानव बहुल क्षेत्रों में प्रवेश करने से रोकने हेतु बाघों के लिए मनुष्यों के साथ नकारात्मक प्रयोग की कोशिश की जा सकती है।

निर्णय: समेकित कार्य बाघ संरक्षण को नकारने में मानव-बाघ संघर्ष की संभावना को ध्यान में रखते हुए।

कार्यसूची 6: दो घड़ियाल का स्थानान्तरण

1. मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, मध्य प्रदेश द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव दो घड़ियालों के राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य से सोन घड़ियाल अभयारण्य में स्थानान्तरण के बारे में है।

2. वन्यजीव प्रभाग, एमओईएफ और सीसी द्वारा अनुमति पहले ही दी जा चुकी है और परियोजना क्षेत्र बाघ अभयारण्य के बाहर है।

निर्णय: कोई टिप्पणी नहीं क्योंकि क्षेत्र टाइगर रिजर्व के बाहर है।

कार्यसूची 7: पेंच और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में टाइगर सफारी का विकास।

1. पेंच और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में टाइगर सफारी स्थापित करने के लिए मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, मध्य प्रदेश से दो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

2. प्रस्तावित क्षेत्र टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्रों में और कॉरिडोर से दूर हैं। सफारी का मुख्य उद्देश्य टाइगर रिजर्व के मुख्य क्षेत्रों से पर्यटन के दबाव को कम करना है।

निर्णय: अनुमोदन के लिए अनुशंसित केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण और अन्य एजेंसियां से वैधानिक अनुमोदन / मंजूरी के अधीन ।

कार्यसूची 8: एम-स्ट्रिप्स चरण 2 का समापन और विकास पर प्रस्ताव और एम-स्ट्रिप्स चरण 2 का कार्यान्वयन।

1. एनटीसीए द्वारा दिए गए जनादेश के अनुसार, डब्ल्यूआईआई ने एम-स्ट्रिप्स कार्यक्रम विकसित किया है और 2011 से इसके कार्यान्वयन की शुरुआत की है। सर्वर स्तर पर मोबाइल आधारित डेटा संग्रह और डेटा सिंक्रनाइज़ेशन को शामिल करने के लिए 2016 में कार्यक्रम को फिर से डिजाइन और रिकॉर्ड किया गया था। यह कार्यक्रम देश भर में बाघ अभयारण्यों की सुरक्षा के लिए राज्य वन विभागों द्वारा किए गए प्रवर्तन प्रयासों को उजागर करने में सहायक रहा है।

2 प्रथम चरण के सभी सुपुर्दगी योग्य जिसमें परियोजना पूर्णता रिपोर्ट, मोबाइल एप्लिकेशन और डेस्कटॉप विश्लेषण उपकरण शामिल हैं, एनटीसीए को जमा कर दिए गए हैं और एनटीसीए द्वारा डब्ल्यूआईआई को 64.4 लाख रुपये की राशि जारी करने की आवश्यकता है।

3. चरण 1 के परिणाम और प्रतिक्रिया के आधार पर, अब डब्ल्यूआईआई निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ **एम-स्ट्रिप्स** परियोजना के चरण 2 का प्रस्ताव कर रहा है और प्रो0 कमर कुरैशी द्वारा एक विस्तृत प्रस्तुति दी गई थी:

- बदलते एण्ड्र्योइड संस्करणों के साथ **एम-स्ट्रिप्स** ऐप्स को अपडेट करना
- बड़े डेटा को संसाधित करने के लिए उन्नत डेटाबेस का उपयोग करके डेस्कटॉप सॉफ़्टवेयर विकसित करना।
- चरण 4 और देशव्यापी निगरानी में सहायता के लिए क्लाउड आधारित कैमरा ट्रैप इमेज रिकग्निशन सॉफ्टवेयर विकसित करना।
- मल्टी स्केल डेटा के लिए ऑनलाइन रिपोर्ट के लिए वेब-एनालिटिक्स विकसित करना।
- सुंदरबन के लिए ऐप्स विकसित करना।
- अपडेटेड एम स्ट्राइप्स सॉफ्टवेयर को लागू करने के लिए टाइगर रिजर्व का प्रशिक्षण और हैंड-होल्डिंग।
- एनटीसीए क्षेत्रीय केंद्रों के माध्यम से एम-स्ट्रिप्स कार्यान्वयन को संस्थागत बनाना।
- एम-स्ट्रिप्स पर 24x7 सेवाओं के लिए सेवा केंद्र की स्थापना।
- एनटीसीए और डब्ल्यूआईआई में मिरर डेटाबेस सर्वर विकसित करना।
- एमस्ट्राईप पर उपयोगकर्ता मैनुअल, रिपोर्ट, लेख और वेबसाइट विकसित करना।

निर्णय: संशोधित चरण 2 बजट के अनुसार अनुमोदन के लिए अनुशंसित।

एनटीसीए तकनीकी समिति की 8वीं बैठक

अतिरिक्त वन महानिदेशक (व्याघ्र परियोजना) एवं सदस्य सचिव (एनटीसीए) की अध्यक्षता में वीडियो सम्मेलन के माध्यम से 22 जनवरी, 2021 को आयोजित एनटीसीए की तकनीकी समिति की 8वीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:

1. डॉ. इराच भरूचा, निदेशक, भारत विद्यापीठ पर्यावरण, शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, काटराज-धनकवाड़ी परिसर, पुणे-सतारा रोड, पुणे 411043।
2 श्री एसएस श्रीवास्तव, आईएफएस, सेवानिवृत्त। पीसीसीएफ और एचओएफएफ, ओडिशा, फ्लैट नंबर बी-031, रहेजा अटलांटिस, सेक्टर -31, गुड़गांव (हरियाणा) - 122001।
3. निदेशक (आईएफडी), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय।
4. निदेशक, भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून।
5. मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6 मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, महाराष्ट्र, नागपुर।
7. मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान।
8. डॉ. संदीप सक्सेना, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चेन्नई सरकार,।
9. डॉ हरीश कुमार, वैज्ञानिक ई, विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी), नई दिल्ली।
10. फील्ड निदेशक, सरिस्का/रणथंभौर टाइगर रिजर्व।

क्र.	**कार्यसूची**	**वित्तीय निहितार्थ**	**एजेंसी**	**निर्णय**
1.	अखिल भारतीय बाघ का आंकलन का 5वां चक्र 2022 में देय है	18.24 करोड़ रूपये	निर्देशक, भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून	अनुमोदन के लिए अनुशंसित।
2	सरिस्का टाइगर रिजर्व, राजस्थान में बाघिन एसटी -10 के रेडियो कॉलर को बदलना	शून्य	मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान	अनुमोदन के लिए अनुशंसित।

3	रणथंभौर टाइगर रिजर्व में नर बाघ टी-108 को ट्रैंक्यूलाइज़ करने के लिए कार्योत्तर अनुमति	शून्य	मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान	अनुमोदन के लिए अनुशंसित।
4	12 बारासिंघा को कान्हा टाइगर रिजर्व से सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित	शून्य	मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, मध्य प्रदेश	अनुमोदन के लिए अनुशंसित और साथ ही बारासिंघा पुनरुत्पादन परियोजना के लिए टीम का गठन किया जाये
5.	मानवजनित अशांति सहित चुनिंदा टाइगर रिजर्व में पर्यटन के संदर्भ में बाघ की आबादी पर शारीरिक तनाव और बाघ की प्रजनन क्षमता का आकलन	शून्य	डॉ हरीश कुमार, वैज्ञानिक - ई विज्ञान & अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी) 5 और एसए, निचली सतह तल, वसंत स्क्वायर मॉल प्लॉट नंबर ए, समुदाय केंद्र क्षेत्र-बी, पॉकेट-5, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070	शर्तों के अधीन अनुमोदन के लिए अनुशंसित: (i) विस्तृत अवधारणा और नमूना ढांचा एनटीसीए के परामर्श से डिजाइन किया जाएगा (ii) सभी शोध निष्कर्षों को प्रकाशन और सार्वजनिक डोमेन में जारी करने से पहले एनटीसीए के साथ साझा किया जाएगा (iii)शोध से निकलने वाले सभी प्रकाशनों में टाइगर रिजर्व, राज्य सरकारों के साथ-साथ एनटीसीए को अभिस्वीकृति दी जाएगी।
6.	पीलीभीत टाइगर रिजर्व, उत्तर प्रदेश की बाघ संरक्षण योजना	शून्य	मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तर प्रदेश	अनुमोदन के लिए अनुशंसित।

एनटीसीए तकनीकी समिति की 9वीं बैठक

अतिरिक्त वन महानिदेशक (व्याघ्र परियोजना) एवं सदस्य सचिव (एनटीसीए) की अध्यक्षता में वीडियो सम्मेलन के माध्यम से 22 फरवरी, 2021 को आयोजित एनटीसीए की 9वीं तकनीकी समिति बैठक का कार्यवृत्त

बैठक में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:

1. डॉ. एस.पी. यादव, अतिरिक्त वन महानिदेशक (व्याघ्र परियोजना) एवं सदस्य सचिव (एनटीसीए)
2. डॉ. अमित मलिक, आईजीएफ, एनटीसीए
3. डॉ. धनंजय मोहन, निदेशक, डब्ल्यूआईआई, देहरादून।
4. नितिन काकोडकर, मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, महाराष्ट्र
5. एस.एस. श्रीवास्तव, सदस्य, एनटीसीए
6. एराच भरूचा, सदस्य, एनटीसीए
7. जेरोम मिंज, निदेशक, आईएफडी, एमओईएफसीसी
8. आरबी सिन्हा, एफएओ
9. हेमंत कामदी, एआईजीएफ (एनटीसीए), आरओ, नागपुर

क्र.	**कार्यसूची**	**वित्तीय निहितार्थ**	**एजेंसी**	**निर्णय**
1	टाइगर रेंज राज्यों के मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक और दक्षिण भारत, मध्य भारत और पूर्व और उत्तर पूर्व भारत के टाइगर रिजर्व के फील्ड निदेशकों की बैठकों के लिए कार्योत्तर स्वीकृति।	**31.05 लाख रूपये** (11.60 लाख + 8.95 लाख + 10.50 लाख)	मुदुमलाई, काजीरंगा, पेंच (महाराष्ट्र) के टाइगर कंजरवेशन फाउंडेशन	अनुमोदन के लिए अनुशंसित।
2.	टाइगर रिजर्व वाले परिदृश्य में जीईएफ -6 वित्त पोषित ग्रीन-एजी परियोजना की योजना, कार्यान्वयन और निगरानी के	**शून्य**	श्री टोमियो शिचिरी, भोजन और कृषि संगठन (एफएओ) भारत में प्रतिनिधि	एनटीसीए को बिना लागत के अनुमोदन के लिए अनुशंसित, इस शर्त के अधीन कि बाघ अभ्यारण्यों में कोई

	लिए एनटीसीए, एमओईएफ और सीसी के साथ सहयोग			हस्तक्षेप/गतिविधि न हो और उक्त टाइगर रिजर्व की बाघ संरक्षण योजनाएँ के नुस्खे से भिन्न।
3.	इस प्राधिकरण द्वारा टाइगर सेल के लिए कार्यालय स्थान की पूर्ति	**रु.75,050/- प्रति माह (2207.36 वर्गफुट X 34 वर्गफुट)**	नेफेड	अनुमोदन के लिए अनुशंसित।
4.	नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र की बाघ संरक्षण योजना	**शून्य**	महाराष्ट्र सरकार	अनुमोदन के लिए अनुशंसित इस शर्त के अधीन कि कोर/क्रिटिकल बाघ आवास में कोई कटाई नहीं की जाएगी ।
5.	सरिस्का टाइगर रिजर्व, राजस्थान में बाघिन टी-124 का स्थानांतरण	**शून्य**	राजस्थान सरकार	अनुमोदन के लिए अनुशंसित।
6.	मलाई महादेश्वर हिल्स टाइगर रिजर्व, कर्नाटक की अधिसूचना	**शून्य**	कर्नाटक सरकार	अनुमोदन के लिए अनुशंसित।

अध्याय 4 : एनटीसीए द्वारा गठित समितियाँ

एनटीसीए की धारा 38ण (क) और (छ) के तहत एनटीसीए को संधारणीय पारिस्थितिकी के विभिन्न पहलूओं का मूल्यांकन और आकलन करने और व्याघ्र रिजर्वों के अंदर खनन, उद्योग और अन्य परियोजनाओं जैसे किसी पारिस्थितिकीय असंधारणीय भूमि उपयोग अननुमत करने की शक्तियां दी गयीं हैं।

इसके अलावा, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण को यह सुनिश्चित करना होता है कि टाइगर रिजर्व और एक संरक्षित क्षेत्र से जोड़ने वाला क्षेत्र या किसी संरक्षित क्षेत्र के साथ टाइगर रिजर्व या टाइगर रिजर्व को, सिवाय राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की मंजूरी से और व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की सलाह पर जनहित के मामले में, पारिस्थितिकी की दृष्टि से असंधारणीय उपयोग में नहीं लाया जाता है।

तदनुसार, एनटीसीए ने वर्ष 2020-21 के दौरान एनटीसीए ने व्याघ्र प्रसार / परिक्षेपण / गलियारों के सापेक्ष विकास परियोजनाओं की स्थल समीक्षा और मूल्यांकन की कार्यवाही करने के लिए और प्रतिकूल प्रभाव, यदि कोई हो, से निपटने के लिए प्रशामक उपायों की सलाह देने के लिए निम्नलिखित समितियों का गठन किया है :-

1. **पन्ना टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश से गुजरने वाले मड़ला, नेहरी, सलैया आदि के ग्रामीणों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए हरसा मोड़ (एनएच-75) से सलैया तक सड़क के उन्नयन के लिए प्रस्ताव संख्या एफपी/एमपी/रोड/5182/2020**

   श्री हेमंत कामदी, एआईजीएफ, एनटीसीए, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर को पन्ना टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश के मुख्य क्षेत्र के बचाव / न्यूनीकरण के लिए वैकल्पिक संरेखण की व्यवहार्यता के संबंध में साइट मूल्यांकन करने के लिए नामित किया गया था।

2. **मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, राजस्थान में बाघ आंदोलन पारिस्थितिकी की तुलना में प्रबंधन प्रथाओं का आकलन के लिए समिति का गठन**

   मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, राजस्थान के प्रबंधन की जॉच के किए निम्नलिखित सदस्यों की एक समिति का गठन किया गया था:

   i. एन.के. वासु, पूर्व एचओएफएफ और मुख्य वन्यजीव वार्डन, असम: सदस्य
   ii. डॉ. राजीव श्रीवास्तव, पूर्व पीसीसीएफ तमिलनाडु: सदस्य

iii. भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून के नामित सदस्य: सदस्य
iv. वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के नामित सदस्य: सदस्य
v. वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के नामित सदस्य: सदस्य
vi. राजेंद्र जी. गरवाड़, एआईजीएफ, एनटीसीए: संयोजक

समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं:

मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, राजस्थान में बाघ आंदोलन पारिस्थितिकी की तुलना में उक्त परिदृश्य में प्रबंधन प्रथाओं का आकलन करना और अन्य हस्तक्षेपों के अलावा आधुनिकतम प्रोटोकॉल का उपयोग करके इस निरंतर परिवर्तन में बाघों के प्रबंधन के लिए आगे का रास्ता सुझाना।

3. सतत केंद्रीय प्रायोजित योजना - प्रोजेक्ट टाइगर के दिशा-निर्देशों और बाघ संरक्षण योजना (टीसीपी) तैयार करने के लिए दिशा-निर्देशों को अद्यतन करने के लिए समिति का गठन ।

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के परिणामस्वरूप, सतत केंद्रीय प्रायोजित योजना - प्रोजेक्ट टाइगर के दिशा-निर्देशों और बाघ संरक्षण योजना (टीसीपी) तैयार करने के लिए दिशा-निर्देशों को अद्यतन करने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की एक समिति का गठन किया गया

i. डॉ राजेश गोपाल, महासचिव, ग्लोबल टाइगर फोरम, नई दिल्ली-अध्यक्ष
ii. श्री एन एच काकोडकर, पीसीसीएफ (वन्यजीव), महाराष्ट्र - सदस्य
iii. श्री सुरेंद्र कुमार, पीसीसीएफ (वन्यजीव), और सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू, केरल - सदस्य
iv. श्री श्रीनिवास आर. रेड्डी, एपीसीसीएफ सह प्रबंध निदेशक((TANTEA), कुन्नूर, ऊटी-सदस्य
v. श्री संजय पाठक, फील्ड निदेशक, दुधवा टाइगर रिजर्व - सदस्य
vi. श्री पी. शिवकुमार, फील्ड निदेशक, काजीरंगा टाइगर रिजर्व - सदस्य
vii. निदेशक, भारतीय वन्यजीव संस्थान के नामित - सदस्य
viii. डॉ वैभव सी. माथुर, एआईजीएफ संयोजक/सदस्य सचिव

समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार होंगे:

क) सतत केंद्रीय प्रायोजित योजना - प्रोजेक्ट टाइगर के दिशा-निर्देशों का अद्यतनीकरण
ख) बाघ संरक्षण योजना (टीसीपी) की तैयारी के लिए दिशा-निर्देशों का अद्यतन
ग) बाघ संरक्षण पर व्यापक प्रभाव वाले कोई अन्य दिशानिर्देश/सहायक मुद्दे

4. "जंगल में उपयुक्त आवासों में बाघों की पुनर्प्रतिष्ठा" के लिए मानक संचालन प्रक्रिया

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से एतद्द्वारा निम्नलिखित सदस्यों वाली एक समिति गठित की जाती है:

(क) डॉ राजेश गोपाल - सदस्य

(ख) आर एन मेहरोत्रा - सदस्य

(ग) पीआर सिन्हा - सदस्य

(घ) आर श्रीनिवास मूर्ति - सदस्य

(ङ) डॉ ए. के. नायक - सदस्य

(च) मुख्य वन्यजीव वार्डन, मध्य प्रदेश - सदस्य

(छ) मुख्य वन्यजीव वार्डन, राजस्थान - सदस्य

(ज) निदेशक, भारतीय वन्यजीव संस्थान के नामित सदस्य - सदस्य

(झ) डॉ वैभव सी. माथुर - सदस्य संयोजक

पूर्वोक्त समिति के लिए विचारार्थ विषय:

एनटीसीए द्वारा जारी अन्य मा. सं. प्र (SOP) और इस विषय पर प्राधिकरण द्वारा जारी सलाह के अलावा “जंगल में उपयुक्त आवासों में बाघों की पुनर्प्रतिष्ठा" की तुलना में बाघों की पुनर्प्रतिष्ठा के लिए रा. व्या. सं. प्रा. द्वारा जारी प्रोटोकॉल के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करना।

समिति कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

****

<u>अध्याय 5 : प्रशासनिक मामले</u>

सदस्य सचिव को अपने दायित्वों का निर्वहन करने में सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की अवस्थापना में 12 नियमित / 34 संविदा आधारित प्रशासनिक कार्मिक हैं। राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की कार्यालय अवस्थापना से संबंधित पदों और पदधारियों (2020-21) का ब्यौरा इस प्रकार है:

एनटीसीए मुख्यालय में एनटीसीए अधिकारियों और कर्मचारियों (स्थायी आधार पर) का विवरण

क्र. सं.	पद का नाम	पदधारी का नाम	वेतन श्रेणी / वेतन (रु.)
<u>मुख्यालय</u>			
1.	सदस्य सचिव	डॉ. एस.पी. यादव	श्रेणी - 16 (205400- 224400)
2.	वन महानिरीक्षक (एनटीसीए - मुख्यालय)	डॉ. अमित मल्लिक	श्रेणी - 14 (144200-218200)
3.	उप महानिरीक्षक (एनटीसीए - मुख्यालय)	श्री सुरेन्द्र मेहरा	श्रेणी - 14 (144200-218200)
4.	उप महानिरीक्षक (एनटीसीए - मुख्यालय)	श्री राजेंद्र जी गारवाड़	श्रेणी - 14 (144200-218200)
5.	सहायक महानिरीक्षक (एनटीसीए - मुख्यालय)	डॉ. वैभव सी. माथुर	श्रेणी - 13 (123100-215900)
6.	सहायक महानिरीक्षक (एनटीसीए - मुख्यालय)	रिक्त	
7.	सहायक महानिरीक्षक (एनटीसीए - मुख्यालय)	रिक्त	
8.	उप निदेशक (वित्त) (एनटीसीए - मुख्यालय)	श्री गोपाल प्रसाद अग्रवाल	श्रेणी - 11 (56100-177500)
9.	निजी सचिव	रिक्त	
10.	अनुभाग अधिकारी	रिक्त	
11.	सहायक	श्री चंद्र भल्लव नेथानी	श्रेणी - 7 (44900-142400)
12.	स्टाफ कार चालक	रिक्त	
13.	चौकीदार	श्री मदन सिंह	श्रेणी - 4 (25500-81100)
14.	चौकीदार	श्री सुरेश पंडित	श्रेणी - 4 (25500-81100)

एनटीसीए क्षेत्रीय कार्यालयों के एनटीसीए अधिकारियों (स्थायी आधार पर) के विवरण

	क्षेत्रीय कार्यालय (गुवाहाटी)		
15.	वन महानिरीक्षक (एनटीसीए) क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी	श्री डब्ल्यू. लौंग्वा	श्रेणी -14 (144200-218200)
16.	सहायक महानिरीक्षक (एनटीसीए) क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी	रिक्त	
	क्षेत्रीय कार्यालय (नागपुर)		
17.	वन महानिरीक्षक (एनटीसीए) क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर	रिक्त	
18.	सहायक महानिरीक्षक (एनटीसीए) क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर	श्री हेमंत कामदी भास्कर	श्रेणी -12 (78800-209200)
	क्षेत्रीय कार्यालय (बैंगलोर)		
19.	वन महानिरीक्षक (एनटीसीए) बंगलौर	श्री एन एस मुरली	श्रेणी -14 (144200- 218200)
20.	सहायक महानिरीक्षक (एनटीसीए) क्षेत्रीय कार्यालय, बैंगलोर	रिक्त	

मुख्यालय के एनटीसीए कर्मचारियों (आउटसोर्स के आधार पर) के विवरण

क्र.सं.	**पद**	**पदधारी का नाम**	**वेतन**
		एनटीसीए मुख्यालय, नई दिल्ली	
1.	लेखाकार	आशीष हरबोला	रुपये 30,300/-
2.	डाटा विश्लेषक	कुंदन कुमार	रुपये 35,400/-
3.	डाटा इंट्री ऑपरेटर	शीतल बिष्ट	रुपये 35,005/-
4.	डाटा इंट्री ऑपरेटर	स्वाति कश्यप	रुपये 20,790/-
5.	डाटा एंट्री असिस्टेंट	ख़ुशी राम	रुपये 21,215/-

6.	डाटा एंट्री असिस्टेंट	धीरेंद्र कुमार पांडे	रुपये 19,385/-
7.	डाटा एंट्री असिस्टेंट	आरती	रुपये 19,572/-
8.	डाटा एंट्री असिस्टेंट	राहुल भंडारी	रुपये 19,572/-
9.	डाटा एंट्री असिस्टेंट	मोनिका	रुपये 19,572/-
10.	डाटा एंट्री असिस्टेंट	अंकित कुमार	रुपये 19,572/-
11.	डाटा एंट्री असिस्टेंट	अलिशा	रुपये 17,991/-
12.	कार्यालय सहायक	लक्ष्मण सिंह	रुपये 30,143/-
13.	कार्यालय सहायक	मुकेश कुमार	रुपये 30,143/-
14.	डिस्पैचर	राधा	रुपये 30,143/-
15.	ड्राइवर	मो. अकबर	रुपये 22,977/-
16.	ड्राइवर	सिया राम	रुपये 20,986/-
17.	संदेशवाहक	शिव सिंह	रुपये 21,720/-
18	ऑफिस ब्वॉय	दीपक सिंह	रुपये 17,688/-
19	एमटीएस	राजिन्दर	रुपये 17,688/-
20	सफाई कर्मचारी	राहुल	रुपये 15,050/-
21	अनुभाग अधिकारी	स्वपन बनेर्जी	रुपये 37,700/-
एनटीसीए, क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी			
22	वन्यजीव जीव विज्ञानी	अगथा सी मोमिन	रुपये 29,400/-
23	लेखापाल	दूरदर्शनी	रुपये 24,751/-
24	डाटा एंट्री असिस्टेंट	जीतूमणि महंता	रुपये 18,462/-
25.	चपरासी	अमर दोर्जी	रुपये 15,050/-
26.	चौकीदार	माइकल कुमार राभा	रुपये 15,050/-
एनटीसीए, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर			
27.	डाटा एंट्री असिस्टेंट	कृनाल रमेश	रुपये 18,462/-
28.	चपरासी	योगेश जी. सकरडे	रुपये 15,050/-
29.	चौकीदार	राहुल खडसे	रुपये 15,050/-
30.	चौकीदार	धीरज श्रवण राउत	रुपये 15,050/-
एनटीसीए, क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरु			
31.	डाटा एंट्री असिस्टेंट	राधा	रुपये 18,462/-
32.	चौकीदार	धनज्योति डेका	रुपये 15,050/-
33.	चपरासी	अनिल डेका	रुपये 15,050/-
34.	चपरासी	सुनील बोरदोलोइ	रुपये 15,050/-

व्याघ्र संरक्षण के लिए उल्लेखनीय पहल

व्याघ्र और अन्य वन्य जीवों के संरक्षण और प्रतिरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से निम्नलिखित उल्लेखनीय पहलें की गयीं

विधिक कदम

1. वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के खण्ड 38 IV ख के तहत राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण और खण्ड 38 IV ग के तहत व्याघ्र और अन्य विलुप्त होती प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो का गठन करने हेतु समर्थकारी प्रावधान शामिल करने के लिए वर्ष 2006 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया।

2. किसी टाइगर रिजर्व के मूल क्षेत्र में किए गए अपराध अथवा टाइगर रिजर्व में शिकार करने से संबंधित अपराध अथवा टाइगर रिजर्व की सीमाओं में परिवर्तन करने इत्यादि से संबंधित अपराध में दिए जाने वाले दण्ड में वृद्धि की गई है।

3. 15 अक्तूबर, 2012 को वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38ण 1(ग) के तहत व्याघ्र परियोजना एवं टाइगर रिजर्वों में पर्यटन संबंधी व्यापक दिशानिर्देश जारी किए गए।

प्रशासनिक कदम

1. अन्य बातों के साथ-साथ टाइगर रिजर्व प्रबंधन में निर्देशात्मक मानकों को सुनिश्चित करके, आरक्षित क्षेत्र विनिर्दिष्ट व्याघ्र संरक्षण योजना तैयार कर, संसद को वार्षिक/लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत कर, मुख्यमंत्रियों की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संचालन समितियों का गठन कर और व्याघ्र संरक्षण प्रतिष्ठान की स्थापना कर व्याघ्र संरक्षण को सुदृढ़ करने के लिए दिनांक 4 सितम्बर, 2006 को राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) का गठन किया गया।

2. वन्य जीवों के अवैध व्यापार को कारगर ढंग से रोकने के लिए 6 जून, 2007 को बहु -विषयक व्याघ्र और अन्य विलुप्त हो रही प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो (वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो) का गठन किया गया।

3. संचार और बेतार सुविधाओं को सुदृढ़ करने के अलावा स्थानीय जनता को शामिल करके कार्यबल गठित करने, टाइगर रिजर्व वाले राज्यों की ओर से पूर्व-सैनिक कार्मिकों अथवा होमगार्ड्स को शामिल करके व्याघ्र आखेट रोधी दस्ते को तैनात करने के लिए यथा-प्रस्तावित वित्तीय सहायता प्रदान करके मानसून के मौसम में गश्त की विशेष कार्यनीति सहित व्याघ्र आखेट रोधी कार्यकलापों को सुदृढ़ किया गया है।

4. राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण ने सैद्धांतिक रूप से नए टाइगर रिजर्वों के लिए अनुमोदन प्रदान किया है, और ये स्थान हैं: सुनाबेदा (ओडिशा), नंधौर (उत्तराखंड) और गुरू घासीदास (छत्तीसगढ़) है। राज्य

सरकारों को निम्नलिखित क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व घोषित करने के प्रस्ताव भेजने की सलाह दी गई है : **(1)** म्हादेई वन्य जीव अभ्यारण्य (गोवा) **(2)** श्रीविल्लीपुथुर ग्रिजल्ड जाइंट स्क्वैरल/मेगामलाई वन्यजीव अभ्यारण्य / वर्शुनादु घाटी (तमिलनाडु), **(3)** दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य (अरूणाचल प्रदेश) **(4)** कावेरी - एम. एम. हिल्स वन्य जीव अभ्यारण्य (कर्नाटक) और **(5)** नंधौर वन्य जीव अभ्यारण्य (उत्तराखंड)।

5. राजाजी राष्ट्रीय उद्यान (उत्तरांखंड), ओरांग राष्ट्रीय उद्यान (असम) एवं कामलांग वन्य जीव अभ्यारण्य (अरुणाचल प्रदेश) को क्रमश: 48वें, 49वें और 50वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है।

6. व्याघ्र संरक्षण को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकारों को संशोधित व्याघ्र परियोजना दिशानिर्देश जारी किए गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ चालू कार्यकलापों के अतिरिक्त टाइगर रिजर्व के मुख्य अथवा नाजुक व्याघ्र पर्यावास में रहने वाले व्यक्तियों के लिए बढ़ा हुआ ग्राम पुनर्स्थापन या पुनर्वास पैकेज (1 लाख रूपए प्रति परिवार से लेकर 10 लाख रूपए प्रति परिवार तक) के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता, परम्परागत आखेट में संलिप्त समुदायों का पुनर्वास अथवा पुनर्स्थापना, टाइगर रिजर्व के बाहर मुख्य धारा में जीवन-यापन और वन्यजीव सरोकार और प्राकृत्वास विखण्डन को रोकने के लिए पुन: बहाली कार्यनीति के माध्यम से कोरिडोर संरक्षण का पोषण करना शामिल है।

7. व्याघ्र का आकलन करने के लिए (सह-परभक्षी, भक्ष्य पशु और प्राकृत्वास प्रस्थिति के मूल्यांकन सहित) वैज्ञानिक पद्धति विकसित की गई है तथा इसे मुख्यधारा में शामिल किया गया है। इस आकलन और मूल्यांकन के निष्कर्षों को भावी व्याघ्र संरक्षण कार्यनीतियों के लिए बेंचमार्क बनाया गया है।

8. वर्ष 2006 में यथा-संशोधित, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के खण्ड 38फ के तहत 18 व्याघ्र राज्यों ने देश के सभी 50 टाइगर रिजर्वों के मूल / नाजुक व्याघ्र प्राकृत्वास (40,145.30 वर्ग कि.मी.) और बफर / उपांत क्षेत्र (32,603.72 वर्ग कि.मी.) को अधिसूचित कर दिया है।

9. राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर, बेंगलुरु और गुवाहाटी में कार्यात्मक हो गए हैं, जो वन महानिरीक्षक के नेतृत्व में कार्य कर रहें हैं।

वित्तीय कदम

1. वन्य जीवों के प्रभावी संरक्षण की व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकारों को उनकी क्षमता और अवसंरचना में वृद्धि करने के लिए **"व्याघ्र परियोजना"** और **"एकीकृत वन्यजीव पर्यावास विकास**" जैसी विभिन्न केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के तहत वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

1. भारत का चीन के साथ व्याघ्र संरक्षण के संबंध में संलेख (प्रोटोकॉल) के अतिरिक्त वन्यजीव के सीमापार अवैध व्यापार को रोकने के लिए नेपाल के साथ द्विपक्षीय समझौता है।

2. सुन्दरबन के रॉयल बंगाल टाइगर के संरक्षण के लिए बंग्लादेश के साथ सितम्बर, 2011 में एक प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

3. रूसी संघ के साथ सहयोग हेतु व्याघ्र और तेंदुआ संरक्षण के लिए एक उप-समूह गठित किया गया है। सितंबर, 2018 में मास्को में भारत - रूसी द्विपक्षीय बैठक की गयी थी, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, भारतीय वन्य जीव संस्थान और ए. एन. सेवेरस्तोव इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इवेलुएशन के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता किया गया था और दिनांक 4.12.2018 को हस्ताक्षर किए गए थे।

4. भारत व्याघ्र संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का समाधान करने के लिए व्याघ्र क्षेत्र देशों के वैश्विक व्याघ्र मंच का संस्थापक-सदस्य है।

5. हेग में 3 से 15 जून, 2007 तक आयोजित सी. आई. टी. ई. एस. के पक्षकारों के सम्मेलन की 14वीं बैठक के दौरान भारत ने चीन, नेपाल और रूसी संघ के साथ एक संकल्प प्रस्तुत किया जिसमें वाणिज्यिक स्तर पर व्याघ्र प्रजनन अभियान चलाने वाले पक्षकारों को इस प्रकार की अधिकतम सीमा को उस स्तर तक सीमित रखने का निर्देश देने का उल्लेख किया गया जो वन्य व्याघ्र के संरक्षण में सहायक हो। कुछ संशोधन के साथ इस संकल्प को निर्णय के रूप में स्वीकार किया गया। इसके अतिरिक्त भारत ने चीन से व्याघ्र फार्मिंग को बंद करने और एशियाई बड़े बिलाव प्रजातियों के शरीर के अंगों का संचय करने तथा कृत्रिम प्रजनन को रोकने की अपील की। व्याघ्र के शरीर के अंगों के व्यापार पर रोक को जारी रखने के महत्व पर जोर दिया गया।

6. वन्य प्राणी समूह और वनस्पति की विलुप्त हो रही प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में सम्मेलन की स्थाई समिति (सी.आई.टी.ई.एस.) की 23 से 27 जुलाई, 2012 तक जेनेवा में आयोजित की गई 62वीं बैठक के दौरान भारत के जोरदार हस्तक्षेप के आधार पर वन्य प्राणी समूह और वनस्पति की विलुप्त हो रही प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित सम्मेलन सचिवालय ने अधिसूचना, संख्या 2012/054 दिनांक 3 सितम्बर, 2012 जारी की, जिसके माध्यम से पक्षकारों को निर्णय संख्या 14.69 पूर्णत: कार्यान्वित करने और दिनांक 25 सितम्बर, 2012 तक सचिवालय को सूचित करने के लिए (व्याघ्रों के बंदी प्रजनन कार्यकलाप को सीमित करने के बारे में की गई प्रगति इत्यादि) कहा।

7. अगस्त, 2019 में जेनेवा में आयोजित 18वीं सीओपी के दौरान, भारत के एक अंतर्क्षेप के आधार पर, उन क्षेत्रों में अंतर्क्षेप करने पर कुछ निर्णय अंगीकृत किए गए थे जिनमें निर्णय 14.69 के प्रवर्तन के रूप में बड़े बिलाव को रखने की सुविधा थी।

8. भारत गणराज्य की सरकार और म्यांमार गणराज्य की सरकार के बीच इमारती लकड़ी की तस्करी का मुकाबला करने और बाघों और अन्य वन्यजीवों के संरक्षण पर सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर 27 फरवरी, 2020 को हस्ताक्षर किए गए हैं।

9. तृतीय एशिया मंत्रालयी सम्मेलन (3 एएमसी) का आयोजन 12-14 अप्रैल, 2016 के दौरान नई दिल्ली में किया गया था। इस सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के इस कथन कि "व्याघ्रों का संरक्षण विकल्प नहीं है, अपितु यह एक अनिवार्यता है' से प्रेरित हो कर वर्ष 2022 तक जंगलों में व्याघ्रों और उनके पर्यावासों का संरक्षण सुनिश्चित करने के ठोस परिणाम प्राप्त करने के लिये व्याघ्र रेंज राष्ट्रों (टीआरसी) के सरकारी प्रतिनिधियों ने संकल्प लिया किः

- वैश्विक व्याघ्र पुन:प्राप्ति कार्यक्रम (जीटीआरपी) / राष्ट्रीय व्याघ्र पुन:प्राप्ति कार्यक्रम (एनटीआरपी) और ऊपर उल्लिखित घोषणाओं से सहमत कार्रवाइयों के **कार्यान्वयन में तेजी लायेंगे**, प्राथमिकता और विभेदीकरण वाली कार्ययोजनाओं की समीक्षा करेंगे तथा उन्हें अद्यतन करेंगे और पारस्परिक और सुव्यवस्थित रिपोर्टिंग और मूल्यांकन के माध्यम से प्रगति पर नजर रखेंगे।
- व्याघ्र संरक्षण के सरोकारों को मुख्य धारा में लाने के लिये विकास कार्यनीतियों के पुनर्भिविन्यास द्वारा पारस्परिक संपूरक रीति से **विकास और व्याघ्र संरक्षण को साथ-साथ** लेकर चलेंगे, जैसे कि भूदृश्य स्तर पर अवसंरचना में व्याघ्र और वन्यजीव सुरक्षोपाय एकीकरण, व्यापारी समूहों के साथ सहभागिता विकसित करना तथा स्थानीय हितधारकों के साथ मजबूत सहलग्नता।
- टीआरसी सरकारों के अतिरिक्त, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों, संघों, सिविल सोसाइटी संगठनों, निजी क्षेत्र और जलवायु निधियों से **निधियन और तकनीकी सहायता का इस्तेमाल करेंगे।**
- **व्याघ्र पर्यावासों को पारिप्रणाली सेवाएं प्रदान करने, आर्थिक विकास तथा जलवायु परिवर्तन का निराकरण करने में सहायता प्रदान करने वाले इंजन के रूप में प्रचारित करके** इनके महत्व को मान्यता देंगे और इनका संवर्धन करेंगे।
- व्याघ्रों को पुनर्स्थापित करने तथा उनके पर्यावासों और भक्ष्य पशु को पुनर्वासित करने संबंधी सफल कार्यक्रमों का उपयोग करते हुये **कम व्याघ्र घनत्व वाले क्षेत्रों में व्याघ्रों की संख्या की पुनर्बहाली करेंगे** तथा ऐसे क्षेत्रों में पुरानी स्थिति बहाल करेंगे, जहां पर ये बिल्कुल खत्म हो चुके हैं।
- वन्यजीव अपराध को कम करने, व्याघ्र उत्पादों की मांग का निराकरण करने तथा औपचारिक और अनौपचारिक सीमापारीय समन्वय में वृद्धि करने हेतु **सरकार के उच्चतम स्तरों पर सहयोग को सुदृढ़ करेंगे।**
- **सभी हितधारकों के लिए ज्ञान साझाकरण में वृद्धि करेंगे तथा क्षमता निर्माण में संवर्धन करेंगे** और स्मार्ट उपकरणों, निगरानी प्रोटोकॉल्स और सूचना प्रणालियों सहित प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ायेंगे।

अन्य विविध कदम

1. **विशेष व्याघ्र संरक्षण बल का सृजन (एस.टी.पी.एफ.)** : सतत केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम व्याघ्र परियोजना के तहत 60 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता एवं काजीरंगा (असम) 90 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से प्रारंभ में चयनित 13 टाइगर रिजर्वों में से कर्नाटक (बांदीपुर), महाराष्ट्र (पेंच, तदोबा-अंधेरी, नवेगॉव-नागजिरा, मेलघाट), राजस्थान (रणथम्भौर) और ओडिशा (सिमिलिपाल) राज्यों में विशेष व्याघ्र संरक्षण बल (एस.टी.पी.एफ.) को सक्रिय किया गया है।

2. ट्रैफिक-इंडिया के सहयोग से **ऑनलाइन व्याघ्र मर्त्यता डाटाबेस** शुरू किया गया है और आरक्षित क्षेत्र विशिष्ट सुरक्षा योजना तैयार करने के लिए व्यापक दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं, जो अति महत्वपूर्ण व्याघ्र संरक्षण योजना में अवैध भक्ष्य पशु रणनीतियों के लिए आधार बनते है।

3. व्याघ्र राज्यों के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) के क्रियान्वयन को व्याघ्र संरक्षण पहलों के कारगर क्रियान्वयन के लिए निधि प्रवाह से जोड़ दिया गया है।

4. प्रभावी क्षेत्र गश्त और निगरानी के लिए 'व्याघ्र निगरानी प्रणाली-गहन संरक्षण और पारिस्थितिकी प्रस्थिति' (एम-स्ट्राइप्स) शुरू करने के अलावा अवसंरचना और क्षेत्र संरक्षण को आधुनिक बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं। एम-स्ट्राइप्स अनुप्रयोग को तीन विशिष्ट मॉड्यूलों अर्थात गश्त, पारिस्थितिकी और संघर्ष के साथ एंड्रॉयड आधारित बनाया गया है।

5. प्रोत्साहन प्रदान करने के अलावा क्षेत्रीय पदाधिकारियों के क्षमता निर्माण के माध्यम से क्षेत्र डिलिवरी में सुधार करने की पहल की गई है।

6. सरिस्का एवं पन्ना टाइगर रिजर्वों, जहॉ व्याघ्र स्थानीय रूप से विलुप्त हो गए हैं, के पुनर्बहाली के लिए सक्रिय प्रबंधन के भाग के रूप में बाघ एवं बाघिनों को पुनः छोड़ा गया है। पन्ना में वन्य बाघों का सफलतापूर्वक पुनर्स्थापन विश्व में अपने तरह की पहली एवं अनूठी घटना है। पुनर्स्थापित बाघिनें प्रजनन कर रही है।

7. **अखिल भारतीय व्याघ्र, सह-भक्षी और भक्ष्य आकलन, 2018** :- राष्ट्र स्तरीय व्याघ्र प्रस्थिति मूल्यांकन का चौथा चक्र वर्ष 2018 में पूरा किया गया है जिसमें वर्ष 2014 के राष्ट्र स्तरीय आकलन के अनुमानित 2226 (निचली और ऊपरी सीमा क्रमश: 1945 और 2491), वर्ष 2010 के आकलन में अनुमानित 1706 (निचली और ऊपरी सीमा क्रमश: 1507 और 1896) और वर्ष 2006 के आकलन में अनुमानित 1411 (निचली और ऊपरी सीमा क्रमश: 1165 और 1657) की तुलना में वर्ष 2018 के आकलन में अनुमानित व्याघ्र संख्या 2967 (निचली और ऊपरी सीमा क्रमश: 2603 और 2226) के साथ वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है। विश्व के 13 व्याघ्र क्षेत्र देशों में से इस समय भारत में लगभग 75 प्रतिशत व्याघ्र आबादी और इसका स्रोत क्षेत्र है तथा ऐसा व्याघ्र परियोजना के माध्यम से इस प्रजाति का लम्बे समय से संरक्षण किए जाने के कारण (देश का 2.21 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र 18 राज्यों के 50 टाइगर रिजर्वों में फैला हुआ है) संभव हो पाया है।

8. **प्रबंधन प्रभाविता मूल्यांकन (एमईई) :** जुलाई, 2019 में टाइगर रिजर्वों के लिए प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन (एम.ई.ई.) से संबंधित रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें 50 टाइगर रिजर्वों के लिए वर्ष 2018 में

संशोधित मानदण्ड के आधार पर स्वतंत्र मूल्यांकन का चौथा चक्र शामिल है। 50 टाइगर रिजर्वों में से 21 को 'बहुत अच्छा', 17 को 'अच्छा' और 12 को 'साधारण' श्रेणी के तहत रखा गया।

9. समस्याग्रस्त क्षेत्रों में मानव - व्याघ्र संघर्ष के उपशमन के लिए विशेष सहायता प्रदान करना

10. **मानक प्रचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) :** वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, राज्यों के पदाधिकारियों तथा विशेषज्ञों से प्राप्त जानकारी के आधार पर, व्याघ्र परियोजना / राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की सलाह के आधार पर व्याघ्र की मौतों से निपटने के लिए एक 'मानक प्रचालन प्रक्रियाविधि' जारी की गयी है, जिसको वर्तमान चुनौतियों से निपटने के लिए परिष्कृत किया गया है।

    - मानव बहुल भूभाग में घूमने वाले बाघों से निपटने के लिए 'मानक प्रचालन प्रक्रियाविधि' जारी की गई है।
    - व्याघ्र / तेंदुआ के शव / शरीर के भागों का निपटान करने की एक 'मानक प्रचालन प्रक्रियाविधि' जारी की गई है।
    - टाइगर रिजर्व में वृद्ध/चोटिल बाघों और पिंजडे में रखे गए/छोड़े गए व्याघ्र शावकों से संबंधित मामलों का समाधान करने के लिए एक 'मानक प्रचालन प्रक्रियाविधि' जारी की गई है।
    - पशुधन पर व्याघ्र कारित विनाश से निपटने के लिए एक 'मानक प्रचालन प्रक्रियाविधि' जारी की गई है।
    - राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा ऐसे टाइगर रिजर्व जिनकी सीमाएं परस्पर सटी हैं, उनके मध्य अंतरराज्यीय समन्वयन हेतु एक मानक परिचालन प्रक्रियाविधि जारी की है।
    - भू-भाग स्तर पर स्रोत क्षेत्रों से व्याघ्र के पुनर्वास के सक्रिय प्रबंधन के लिए एक 'मानक प्रचालन प्रक्रियाविधि' जारी की गई है।

11. टाइगर रिजर्व स्तरीय चरण-IV, कैमरा निगरानी का उपयोग करके व्याघ्र की सतत् निगरानी करना और अलग-अलग बाघों के फोटो लेकर डाटा सृजन कार्य संस्थागत किया गया है।

12. अलग-अलग बाघों की कैमरा निगरानी फोटो आई.डी. का राष्ट्रीय संग्रह तैयार कर लिया गया है।

13. भटक जाने वाले बाघों से निपटने के प्रयोजन से फील्ड अधिकारियों के क्षमता निर्माण के लिए फील्ड स्तरीय कार्यशाला।

14. कॉर्बेट टाइगर रिजर्व (उत्तराखण्ड) में ई-निगरानी परियोजना पूरी करने के उपरांत काजीरंगा टाइगर रिजर्व (असम) और रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य (मध्य प्रदेश) के सीमावर्ती क्षेत्र में 24X7 ई-निगरानी की व्यवस्था करने के लिए केन्द्रीय सहायता (100 प्रतिशत) प्रदान की गई है।

15. टाइगर रिजर्वों द्वारा प्रदान की जाने वाली पारि-प्रणाली सेवाओं के मूल्य का आकलन करने के लिए और जलवायु परिवर्तन उपशमन में उनके सामर्थ्य का आकलन करने के लिए भारतीय वन प्रबंध संस्थान के सहयोग से **16 टाइगर रिजर्वों का आर्थिक मूल्यांकन** किया गया है।

16. भारतीय वन्य जीव संस्थान के सहयोग से पन्ना टाइगर रिजर्व (मध्य प्रदेश) में निगरानी के लिए मानव रहित हवाई यान का परीक्षण किया गया एवं अब इसका विस्तार अन्य 13 टाइगर रिजर्वों में किया जा

रहा है। फ्रंटलाइन कर्मचारियों का क्षमता निर्माण किया गया है और पन्ना टाइगर रिजर्व को इस उपकरण का प्रथम सेट सौंप दिया गया है।

17. भारतीय वन सर्वेक्षण के सहयोग से शिवालिक-गंगा मैदानी भू-भाग के टाइगर रिजर्वों में और उसके आसपास वन आच्छादन की प्रस्थिति, घनत्व और परिवर्तन का मूल्यांकन किया गया है।
18. सुंदरबन में व्याघ्र प्रस्थिति के मूल्यांकन पर बांग्लादेश की एक संयुक्त रिपोर्ट प्रकाशित की गयी है।
19. राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण और वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो ने टाइगर रिजर्वों में एक ऑनलाइन व्याघ्र / वन्य जीव अपराध ट्रैकिंग / रिपोर्टिंग प्रणाली स्थापित की है।
20. अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर, एनटीसीए की सुरक्षा संपरीक्षा फ्रेमवर्क को सभी टाइगर रिजर्वों में क्रियान्वित करने के लिए विधिमान्य किया गया है। इस फ्रेमवर्क के माध्यम से 25 टाइगर रिजर्वों के सुरक्षा प्रोटोकॉल का मूल्यांकन किया गया है।
21. टाइगर रिजर्वों के बाहर व्याघ्र बहुल क्षेत्रों की स्थिति का आकलन करने के लिए, सीए।टीएस (आश्वस्त संरक्षण | व्याघ्र मानक) ढांचे का उपयोग किया जा रहा है, जो ऐसे क्षेत्रों में प्रबंधन मध्यवर्तनों में अपर्याप्तता की पहचान करने में मदद करता है ताकि उपयुक्त रणनीतियों के माध्यम से इन कमियों को दूर किया जा सके। सीए।टीएस प्रमाण-पत्र से प्रत्यायित विश्व के 4 स्थलों में से 2 भारत में हैं, जिनका नाम रामनगर और लैसडाउन वन प्रभाग, उत्तराखंड है।
22. नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ एक उप-महाद्वीपीय स्तर की व्याघ्र आकलन रिपोर्ट लाने के लिए एक पहल की गई है।
23. उच्च तृंगता भू-भाग में व्याघ्रों के अधिभोग का आकलन करने के लिए ग्लोबल टाइगर फोरम के साथ एक सहयोगात्मक परियोजना शुरू की गयी है।

टाइगर रिजर्वों की सुरक्षा संपरीक्षा

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (वर्ष 2006 में यथा संशोधित) के अनुसार, भारत में प्रत्येक टीआर से एक व्याघ्र संरक्षण योजना तैयार करना अपेक्षित होती है, जिसमें "संरक्षण" एक प्रमुख घटक होता है। एनटीसीए ने आरक्षित क्षेत्र विशिष्ट सुरक्षा योजनाओं (एसपी) के लिए सामान्य दिशानिर्देश भी जारी किए हैं, जो टीसीपी के भाग हैं। एनटीसीए की सुरक्षा योजना प्रोटोकॉल दो टाइगर रिजर्वों, अर्थात् मध्य प्रदेश में - कान्हा और ओडिशा में सतकोसिया टाइगर रिजर्व में जीटीएफ दल द्वारा किए गए प्रोटोकॉल सत्यापन प्रक्रिया पर आधारित हैं।

सुरक्षा संपरीक्षा मूलत: विभिन्न खतरों/आशंकाओं का हल निकालने के लिए किसी क्षेत्र संरचना की तैयारी का आकलन करने का कार्य है। सुरक्षा संपरीक्षा का कार्य पिछले वित्तीय वर्ष (2018-19) में शुरू किया गया और इसमें निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया गया :

1. टाइगर रिजर्वों की सुरक्षा संपरीक्षा हेतु दलों का गठन और प्रशिक्षण।
2. क्षेत्र निदेशकों द्वारा टाइगर रिजर्वों के लिए सुरक्षा संपरीक्षा नोडल बिन्दु का निर्धारण, सुरक्षा संपरीक्षा दल सुरक्षा संपरीक्षा योजना पर नोडल बिन्दु से कार्य करते हैं।

3. टाइगर रिजर्व में अधिकतम संभव संख्या में कर्मचारी प्रतिभागिता के साथ परामर्श कार्यशाला। इस कार्यशाला के लिए अपेक्षित प्रतिभागियों में क्षेत्र निदेशक, मंडल वन अधिकारी / उप-निदेश, सहायक वन संरक्षक / रेंज अधिकारी, उप-रेंज अधिकारी, और वन प्रहरी शामिल हैं।
4. आखेट रोधी शिविरों / रेंज अधिकारियों / चेक पोस्ट का सत्यापन (कम से कम 50 प्रतिशत)। टाइगर रिजर्व की क्षेत्र संपरीक्षा में 2 से 5 दिन लगेंगे और उसके बाद समर्थनकारी अभिलेखों का सत्यापन किया जाएगा।
5. टाइगर रिजर्व की सुरक्षा संपरीक्षा का परितुलन / अंतिम रूप दिया जाना।

ऊपर उल्लिखित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए, निम्नलिखित टाइगर रिजर्वों की सुरक्षा संपरीक्षा संपन्न की गयी है :

1. काजीरंगा टाइगर रिजर्व
2. मानस टाइगर रिजर्व
3. ओरंग टाइगर रिजर्व
4. वाल्मीकि टाइगर रिजर्व
5. बांदीपुर टाइगर रिजर्व
6. बिलिगिरी रंगनाथ मंदिर टाइगर रिजर्व
7. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व
8. पन्ना टाइगर रिजर्व
9. पेंच टाइगर रिजर्व
10. संजय-डुबरी टाइगर रिजर्व
11. सतपुड़ा टाइगर रिजर्व
12. मेलघाट टाइगर रिजर्व
13. नवेगांव-नागजिरा टाइगर रिजर्व
14. पेंच टाइगर रिजर्व
15. तडोबा-अंधारी टाइगर रिजर्व
16. सिमिलिपाल टाइगर रिजर्व
17. मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व
18. रणथंभौर टाइगर रिजर्व
19. सरिस्का टाइगर रिजर्व
20. सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व
21. कॉर्बेट टाइगर रिजर्व
22. राजाजी टाइगर रिजर्व
23. दुधवा टाइगर रिजर्व
24. पीलीभीत टाइगर रिजर्व
25. सुंदरवन टाइगर रिजर्व

वर्ष के दौरान आयोजित अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम :

वर्ष 2020-21 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।

क्र.	कार्यक्रम	स्थान एवं तिथि
1.	वैश्विक बाघ दिवस का उत्सव और माननीय मंत्री और माननीय MoS, MoEF&CC द्वारा अखिल भारतीय बाघ अनुमान -2018 की अंतिम रिपोर्ट का विमोचन	एमओईएफएंडसीसी 28 जुलाई, 2020
2.	वन शहीद दिवस मनाया गया	आईपीबी, नई दिल्ली, 11 सितंबर, 2020
3.	राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 18वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गयी	आईपीबी, नई दिल्ली, 7 दिसंबर, 2020
4.	माननीय मंत्री, एमओईएफ और सीसी द्वारा "भारत में तेंदुए की स्थिति 2018" रिपोर्ट का विमोचन किया गया	आईपीबी, नई दिल्ली, 21 दिसंबर, 2020
5.	माननीय मंत्री, एमओईएफ और सीसी द्वारा टाइगर रिजर्व में आवारा/जंगली कुत्तों के साथ व्यवहार के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का विमोचन किया गया	दिसंबर, 2020
6.	**उत्तरी क्षेत्र** के टाइगर रेंज राज्यों के मुख्य वन्यजीव प्रतिपालकों और टाइगर रिजर्वों के क्षेत्र निदेशकों की दो दिवसीय समीक्षा बैठक	दुधवा टाइगर रिजर्व, 27/28 जनवरी, 2021
7.	**मध्य क्षेत्र** के टाइगर रेंज राज्यों के मुख्य वन्यजीव प्रतिपालकों और टाइगर रिजर्वों के क्षेत्र निदेशकों की दो दिवसीय समीक्षा बैठक	नागपुर, 17/18 फरवरी, 2021
8.	**दक्षिण क्षेत्र** के टाइगर रेंज राज्यों के मुख्य वन्यजीव प्रतिपालकों और टाइगर रिजर्वों के क्षेत्र निदेशकों की दो दिवसीय समीक्षा बैठक	ऊटी, 24/25 फरवरी, 2021
9.	**पूर्वी क्षेत्र** के टाइगर रेंज राज्यों के मुख्य वन्यजीव प्रतिपालकों और टाइगर रिजर्वों के क्षेत्र निदेशकों की दो दिवसीय समीक्षा बैठक	काजीरंगा टाइगर रिजर्व, 1 और 2 मार्च, 2021
10.	कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के साथ हुई अंतरराज्यीय समन्वय बैठक	बांदीपुर टाइगर रिजर्व, 19 मार्च, 2021

पिछले तीन वर्षों के दौरान बजट आवंटन :

2018 से 2021 की अवधि के लिए एनटीसीए का बजट आवंटन नीचे दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 के बजट में 8917 लाख रुपये की कमी आयी है। (**लाख रुपये में**)

शीर्ष	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**
एनटीसीए	1000.00	900.00	740.00
सीएसएस (पीटी)	35000.00	28257.00	19500.00
कुल	**36000.00**	**29157.00**	**20240.00**

****

अध्याय 6 : राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2020-21 के वित्त और लेखे

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, अनुदान सहायता के रूप में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से निधि सहायता प्राप्त करता है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान रा.व्या.सं.प्रा. द्वारा किए गए प्राप्तियों एवं भुगतानों का विवरण नीचे दिया गया है:

. सं.	प्राप्तियां	राशि(रुपये में)	भुगतान	राशि (रुपये में)
1.	अग्रदाय राशि :	1,75,000.00	व्यय	7,36,32,067.00
2.	बैंक शेष : (1) जमा खाता (2) बचत बैंक खाता	- 1,00,13,032.10	परियोजनाओं और प्रशिक्षण कार्यशालाओं और सम्मेलनों के लिए निधि	33,90,273.00
3.	प्राप्त ब्याज	2,30,234.00	अचल आस्तियों पर व्यय	37,35,416.00
4.	अग्रिम की वसूली	30,69,396.00	वित्त प्रभार : जमा किया ब्याज	23,50,037.00
5.	प्रतिभूति जमा राशि	-	वसूली योग्य अग्रिम	27,43,386.00
6.	एनटीसीए को अनुदान सहायता	7,40,00,000.00	अग्रिम	1,75,000.00
7.	बिक्री राशि आस्तियां (कम: सरकारी खाते में जमा)	18,475.00 (-) 18,475.00	बैंक शेष :- जमा खाता	-
8.	विविध प्राप्तियां	-	बैंक शेष :- बचत खाता	14,61,483.10
9.	--	-	भारत सरकार को आधिक्य राशि की वापसी	-
	कुल	**8,74,87,662.10**	**कुल**	**8,74,87,662.10**

****

अध्याय 7 : राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की वार्षिक योजना

1. प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा गठित किए गए कार्यबल की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण का गठन करने के लिए अलग से एक अध्याय (अध्याय IV ख) जोड़ने हेतु वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन किया गया है। 4 सितंबर, 2006 से उक्त प्राधिकरण का गठन कर लिया गया है।

2. वर्ष 2006 में यथा-संशोधित वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38ओ के तहत एनटीसीए के प्रकार्य तय किए गए है। एनटीसीए पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों और विलुप्त हो रही प्रजातियों के संरक्षण के लिए सुदृढ़ सांस्थानिक तंत्र की व्यवस्था करने के अतिरिक्त टाइगर रिजर्वों के संरक्षण को सांविधिक आधार प्रदान करके व्याघ्र संरक्षण से संबंधित पारिस्थितिकीय और प्रशासनिक सरोकारों का समाधान करेगा। प्राधिकरण पिछले बेहतर रिकार्ड रखने वाले सक्षम और प्रशिक्षित अधिकारियों को टाइगर रिजर्वों के क्षेत्रीय निदेशक नियुक्त करने के अतिरिक्त व्याघ्र संरक्षण के दिशानिर्देशों को लागू करना तथा इनके अनुपालन की निगरानी को भी सुनिश्चित करेगा। यह समयबद्ध कर्मचारी विकास योजना के अतिरिक्त टाइगर रिजर्वों में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने में भी सहायता प्रदान करेगा।

3. वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान एनटीसीए को सहायता-अनुदान के रूप में 740.00 लाख रूपए की राशि प्रदान की गई है।

4. वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 वर्ष 2006 में किए गए संशोधन को दिनांक 04.09.2006 से प्रवृत्त किए जाने के परिणामस्वरूप इस अधिनियम की धारा 38एन के तहत समर्थकारी प्रावधानों के आधार पर पर्यावरण और वन मंत्रालय की स्थापना क्षमता पर वहन किए जा रहे और व्याघ्र परियोजना में कार्य कर रहे अधिकारियों/कर्मचारियों को एनटीसीए को अंतरित किया गया है।

5. एनटीसीए मुख्यालय और इसके नागपुर, गुवाहाटी और बंगलौर क्षेत्रीय कार्यालयों में संस्वीकृत पदों का ब्यौरा इस प्रकार है :

एनटीसीए मुख्यालय

क्र.सं.	**पद का नाम**	**पदों की संख्या**
1.	अपर वन महानिदेशक (व्याघ्र परियोजना) और सदस्य-सचिव (एनटीसीए)	1
2.	वन महानिरीक्षक	1
3.	वन उप-महानिरीक्षक	2
4.	सहायक वन महानिरीक्षक,	4
5.	उप-निदेशक (वित्त)	1
	कुल	**9**

एनटीसीए क्षेत्रीय कार्यालय (नागपुर, गुवाहाटी और बंगलौर)

क्र.सं.	पद का नाम	पदों की संख्या
1.	वन महानिरीक्षक	3
2.	सहायक वन महानिरीक्षक,	3
	कुल	**6**

6. वर्ष 2006 में यथा-संशोधित वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38क्यू के तहत एनटीसीए के लिए अनुदान/ऋण इत्यादि जमा करने के लिए व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण कोष नामक एक कोष तैयार करने की व्यवस्था की गई है।

7. धारा 63 (छ 4) और (छ 5) में उक्त वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के क्रमश: धारा 38 द और 38 ध के तहत एनटीसीए के लेखाओं के वार्षिक विवरण तथा इसकी वार्षिक रिपोर्ट को प्रस्तुत करने से संबंधित नियमों की व्यवस्था की गई है।

8. एनटीसीए की तकनीकी समिति इसकी निधियन सहायता से संविदा आधारित सेवाओं / व्यावसायिक सेवाओं से संबंधित प्रस्तावों को अनुमोदित करता है। निदेशक (आईएफडी.) इस समिति के सदस्य होते हैं। किसी अपरिहार्य परिस्थिति में यदि एनटीसीए की तकनीकी समिति की बैठक में आईएफडी का कोई प्रतिनिधि नहीं हो तो प्रस्तावों को बहुमत निर्णय के आधार पर अनुमोदित किया जाता है और उक्त समिति की बैठक के कार्यवृत्त के माध्यम से निर्णय के बारे में आईएफडी को अवगत कराया जाता है।

9. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) के वर्ष 2020-21 लिए के लेखाओं को संकलित कर लिया गया है। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38 ई (5) और (6) के साथ पठित सीएजी (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1972 की धारा 19(2) के तहत प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, वैज्ञानिक विभाग द्वारा एनटीसीए के खातों की अंतिम लेखापरीक्षा की गई थी।

   वर्ष 2020-21 के खातों की प्रति, प्राप्ति और भुगतान खाता, आय और व्यय खाते और 31 मार्च 2021 को तुलन पत्र अनुसूचियों के साथ अनुलग्नक - (5) से (7) और अनुसूची 1 से 25 के रूप में प्रस्तुत की गई हैं। सीएजी के प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, वैज्ञानिक विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई लेखापरीक्षा रिपोर्ट भी दी गई है।

****

<u>अध्याय 8 : अनुपालना संबंधी मुद्दे</u>

1. व्याघ्र संरक्षण योजनाओं की स्थिति (दिनांक 31.3.2021 की स्थिति के अनुसार)

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम की धारा **38**ओ के अंतर्गत राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, राज्यों द्वारा तैयार की गई व्याघ्र संरक्षण योजनाओं को अनुमोदित करने के लिए प्राधिकृत है। राज्यों से प्राप्त व्याघ्र संरक्षण योजनाओं (टीसीपी) का विवरण निम्नानुसार है :

टाइगर रिजर्वों की कुल संख्या	51
अनुमोदित व्याघ्र संरक्षण योजनाएं	38*
अंतिम मसौदा व्याघ्र संरक्षण योजनाएं प्राप्त और समीक्षा अधीन	6
बाघ संरक्षण योजना का अंतिम मसौदा अप्राप्त है	3
अंतिम मसौदा व्याघ्र संरक्षण योजनाएं अप्राप्त	4

समीक्षाधीन और लंबित टीसीपी का ब्यौरा

क्र.सं.	**समीक्षाधीन**	**अप्राप्त**	**टिप्पणियों को शामिल करने के उपरांत अपेक्षित अंतिम मसौदा**
1.	कामलांग	बांधवगढ़	इंद्रावती
2.	काजीरंगा	रणथंभौर	नावेगांव - नागजीरा
3.	ओरांग	श्रीविल्लिपुथुर मेगामलाई	बोर
4.	पन्ना		पीलीभीत
5.	मुकुंद्रा		
6.	राजाजी		

अब तक अनुमोदित टीसीपी की सूची

निम्नलिखित बाघ अभयारण्यों की बाघ संरक्षण योजना (टीसीपी) को एनटीसीए द्वारा अनुमोदित किया गया है।

क्र.सं.	टाइगर रिजर्व	राज्य
1	अचानकमार	छत्तीसगढ़
2	अमराबाद	तेलंगाना
3	अनामलाई	तमिलनाडु
4	बांदीपुर	कर्नाटक
5	भद्रा	कर्नाटक
6	बिलिगिरि रंगनाथ मंदिर	कर्नाटक
7	बक्सा	पश्चिम बंगाल
8	कॉर्बेट	उत्तराखंड
9	डमपा	मिजोरम
10	डंडेली अंशी	कर्नाटक
11	दुधवा	उत्तर प्रदेश
12	कलाक्कड - मुंडनथुरइ	तमिलनाडु
13	कान्हा	मध्य प्रदेश
14	कावल	तेलंगाना
15	मानस	असम
16	मेलघाट	महाराष्ट्र
17	मुदुमलई	तमिलनाडु
18	नागरहोल	कर्नाटक
19	नागार्जुन सागर - श्री सैलम	आंध्र प्रदेश
20	नामधापा	अरुणाचल प्रदेश
21	नामेरी	असम
22	पाक्के	अरुणाचल प्रदेश
23	पलामाउ	झारखंड

24	परमबीकुलम	केरल
25	पेंच	मध्य प्रदेश
26	पेंच	महाराष्ट्र
27	पेरियार	केरल
28	सह्याद्री	महाराष्ट्र
29	संजय डुबरी	मध्य प्रदेश
30	सरिस्का	राजस्थान
31	सत्यमंगलम	तमिलनाडु
32	सतकोसिया	ओडिशा
33	सतपूड़ा	मध्य प्रदेश
34	सिमलीपाल	ओडिशा
35	सुंदरबन	पश्चिम बंगाल
36	तदोबा-अंधेरी	महाराष्ट्र
37	उदांती सीतानदी	छत्तीसगढ़
38	वाल्मीकि	बिहार

2. संचालन समिति (दिनांक 31. 3. 2021 की स्थिति के अनुसार) :

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की धारा 38यू के तहत, राज्यों को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय संचालन समिति का गठन करना आवश्यक है। संबंधित विवरण नीचे दिए गए है :

क्र.सं.	राज्य	संचालन समिति
1.	आंध्र प्रदेश	गठित
2.	छत्तीसगढ़	गठित
3.	मिजोरम	गठित
4.	कर्नाटक	गठित
5.	मध्य प्रदेश	गठित
6.	महाराष्ट्र	गठित
7.	उत्तर प्रदेश	गठित
8.	तमिलनाडु	गठित
9.	ओडिशा	गठित
10.	केरल	गठित
11.	राजस्थान	गठित
12.	पश्चिम बंगाल	गठित
13.	बिहार	गठित
14.	असम	गठित
15.	अरूणाचल प्रदेश	गठित
16.	उत्तराखंड	गठित
17.	झारखंड	गठित
18.	तेलंगना	गठित

इन संचालन समितियों की नियमित बैठकें सुनिश्चित करने के लिए इस प्राधिकरण के द्वारा राज्यों के साथ पत्राचार किया गया है।

3. व्याघ्र संरक्षण संस्थापना / प्रतिष्ठान (दिनांक 31. 3. 2021 की स्थिति के अनुसार)

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38एक्स के तहत, राज्यों को अपने प्रबंधन को सुविधाजनक बनाने और सहायता करने के लिए टाइगर रिजर्व हेतु बाघ संरक्षण फाउंडेशन का गठन करना आवश्यक है। बाघ संरक्षण फाउंडेशन के गठन की स्थिति निम्नानुसार है:

क्र. सं.	टाइगर रिजर्व	राज्य
1.	अचनकमार टाइगर रिजर्व	छत्तीसगढ़
2.	अमराबाद टाइगर रिजर्व	तेलंगाना
3.	अनामलाई टाइगर रिजर्व	तमिलनाडु
4.	बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व	मध्य प्रदेश
5.	बांदीपुर टाइगर रिजर्व	कर्नाटक
6.	भद्रा टाइगर रिजर्व	कर्नाटक
7.	बीआरटी टाइगर रिजर्व	कर्नाटक
8.	बोर टाइगर रिजर्व	महाराष्ट्र
9.	बक्सा टाइगर रिजर्व	पश्चिम बंगाल
10.	कॉर्बेट टाइगर रिजर्व	उत्तराखंड
11.	दमपा टाइगर रिजर्व	मिजोरम
12.	दुधवा टाइगर रिजर्व	उत्तर प्रदेश
13.	इंद्रावती टाइगर रिजर्व	छत्तीसगढ़
14.	काली (दांदेली अंशी) टाइगर रिजर्व	कर्नाटक
15.	कान्हा टाइगर रिजर्व	मध्य प्रदेश
16.	कावल टाइगर रिजर्व	तेलंगाना
17.	काजीरंगा टाइगर रिजर्व	असम
18.	कलक्काड़ मुंडनतुरई टाइगर रिजर्व	तमिलनाडु
19.	मदुमलाई टाइगर रिजर्व	तमिलनाडु
20.	मानस टाइगर रिजर्व	असम
21.	मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व	राजस्थान
22.	मेलघाट टाइगर रिजर्व	महाराष्ट्र
23.	नागरहोल टाइगर रिजर्व	कर्नाटक
24.	नागार्जुनसागर टाइगर रिजर्व	आंध्र प्रदेश
25.	नमदाफा टाइगर रिजर्व	अरुणाचल प्रदेश
26.	नामेरी टाइगर रिजर्व	असम
27.	नवेगांव-नागजीरा टाइगर रिजर्व	महाराष्ट्र
28.	ओरंग टाइगर रिजर्व	असम

29.	पाक्के टाइगर रिजर्व	अरुणाचल प्रदेश
30.	पलामाउ टाइगर रिजर्व	झारखंड
31.	पन्ना टाइगर रिजर्व	मध्य प्रदेश
32.	परम्बीकुलम टाइगर रिजर्व	केरल
33.	पेंच टाइगर रिजर्व	मध्य प्रदेश
34.	पेंच टाइगर रिजर्व	महाराष्ट्र
35.	पेरियार टाइगर रिजर्व	केरल
36.	रणथंभौर टाइगर रिजर्व	राजस्थान
37.	सह्याद्री टाइगर रिजर्व	महाराष्ट्र
38.	संजय दुबरी टाइगर रिजर्व	मध्य प्रदेश
39.	सरिस्का टाइगर रिजर्व	राजस्थान
40.	सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व	तमिलनाडु
41.	सतकोसिया टाइगर रिजर्व	ओडिशा
42.	सतपुड़ा टाइगर रिजर्व	मध्य प्रदेश
43.	सिमलीपाल टाइगर रिजर्व	ओडिशा
44.	सुंदरबन टाइगर रिजर्व	पश्चिम बंगाल
45.	तडोबा- अंधेरी टाइगर रिजर्व	महाराष्ट्र
46.	उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व	छत्तीसगढ़
47.	वाल्मीकि टाइगर रिजर्व	बिहार

लंबित टीसीएफ : -

निम्नलिखित टाइगर रिजर्वों के टीसीएफ अभी गठित किए जाने हैं।

1. पीलीभीत टाइगर रिजर्व (उत्तर प्रदेश)
2. राजाजी टाइगर रिजर्व (उत्तराखंड)
3. कामलांग टाइगर रिजर्व (अरुणाचल प्रदेश)
4. श्रीविल्लिपुथुर मेगामलाई टाइगर रिजर्व (तमिलनाडु)

मुख्य और बफर अधिसूचना (दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार) :

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38वी के तहत, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण को किसी क्षेत्र को बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने की सिफारिश करने की शक्ति प्राप्त है। राज्यों द्वारा मुख्य और बफर अधिसूचना की स्थिति निम्नानुसार है :

क्र. सं.	**निर्माण का वर्ष**	**टाइगर रिजर्व का नाम**	**राज्य**	**मूल /नाजुक व्याघ्र आवास क्षेत्र (वर्ग किमी में)**	**बफर / परिधीय क्षेत्र (वर्ग किमी में)**	**कुल क्षेत्रफल (वर्ग किमी में)**
1	1973 - 1974	बांदीपुर	कर्नाटक	872.24	584.06	1456.3
2	1973 - 1974	कॉर्बेट	उत्तराखंड	821.99	466.32	1288.31
		अमानगढ़ (कॉर्बेट टीआर का बफर)	उत्तर प्रदेश	-	80.60	80.60
3	1973 - 1974	कान्हा	मध्य प्रदेश	917.43	1134.361	2051.791
4	1973 - 1974	मानस	असम	526.22	2310.88	2837.10
5	1973 - 1974	मेलघाट	महाराष्ट्र	1500.49	1268.03	2768.52
6	1973 - 1974	पलामाउ	झारखंड	414.08	715.85	1129.93
7	1973 - 1974	रणथंभौर	राजस्थान	1113.364	297.9265	1411.291
8	1973 - 1974	सिमलीपाल	ओडिशा	1194.75	1555.25	2750.00
9	1973 - 1974	सुंदरबन	पश्चिम बंगाल	1699.62	885.27	2584.89
10	1978 - 1979	पेरियार	केरल	881.00	44.00	925.00
11	1978 - 1979	सरिस्का	राजस्थान	881.1124	332.23	1213.342
12	1982 - 1983	बुक्सा	पश्चिम बंगाल	390.5813	367.3225	757.9038
13	1982 - 1983	इंद्रावती	छत्तीसगढ़	1258.37	1540.70	2799.07
14	1982 - 1983	नमदाफा	अरुणाचल प्रदेश	1807.82	245.00	2052.82
15	1987 - 1988	दुधवा	उत्तर प्रदेश	1093.79	1107.9848	2201.7748
16	1988 - 1989	कालाकड - मुंडनथुरई	तमिलनाडु	895.00	706.542	1601.542
17	1989 - 1990	वाल्मीकि	बिहार	598.45	300.93	899.38
18	1992 - 1993	पेंच	मध्य प्रदेश	411.33	768.30225	1179.63225
19	1993 - 1994	तदोबा-अंधारी	महाराष्ट्र	625.82	1101.7711	1727.5911
20	1993 - 1994	बांधवगढ़	मध्य प्रदेश	716.903	820.03509	1536.938
21	1994 - 1995	पन्ना	मध्य प्रदेश	576.13	1021.97	1598.10

22	1994 - 1995	डमपा	मिजोरम	500.00	488.00	988.00
23	1998 - 1999	भद्रा	कर्नाटक	492.46	571.83	1064.29
24	1998 - 1999	पेंच	महाराष्ट्र	257.26	483.96	741.22
25	1999 - 2000	पक्के	अरुणाचल प्रदेश	683.45	515.00	1198.45
26	1999 - 2000	नामेरी	असम	320.00	144.00	464.00
27	1999 - 2000	सतपुड़ा	मध्य प्रदेश	1339.264	794.04397	2133.30797
28	2008 - 2009	अनामलाई	तमिलनाडु	958.59	521.28	1479.87
29	2008 - 2009	उदांति - सीतानदी	छत्तीसगढ़	851.09	991.45	1842.54
30	2008 - 2009	सतकोसिया	ओडिशा	523.61	440.26	963.87
31	2008 - 2009	काजीरंगा	असम	625.58	548.00	1173.58
32	2008 - 2009	अचानकमार	छत्तीसगढ़	626.195	287.822	914.017
33	2008 - 2009	डंडेली अनशी	कर्नाटक	814.884	282.63	1097.514
34	2008 - 2009	संजय - डुबरी	मध्य प्रदेश	812.571	861.931	1674.502
35	2008 - 2009	मुदुमलई	तमिलनाडु	321.00	367.59	688.59
36	2008 - 2009	नागरहोले	कर्नाटक	643.35	562.41	1205.76
37	2008 - 2009	परम्बिकुलम	केरल	390.89	252.772	643.662
38	2009 - 2010	सहयाद्री	महाराष्ट्र	600.12	565.45	1165.57
39	2010 - 2011	बिलिगिरी रंगनाथ मंदिर	कर्नाटक	359.10	215.72	574.82
40	2012 - 2013	कवल	तेलंगाना	892.23	1123.212	2015.44
41	2013 - 2014	सत्यमंगलम	तमिलनाडु	793.49	614.91	1408.40
42	2013 - 2014	मुकंदरा हिल्स	राजस्थान	417.17	342.82	759.99
43	2013 -2014	नवेगॉव - नगजिरा	महाराष्ट्र	653.674	1241.27	653.674
44	1982 - 1983	नागार्जुनसागर श्रीशैलम	आंध्र प्रदेश	2595.72	700.59	3296.31
45	2014	अमराबाद	तेलंगाना	2166.37	445.02	2611.39
46	2014	पीलीभीत	उत्तर प्रदेश	602.7980	127.4518	730.2498
47	2014	बोर	महाराष्ट्र	138.12	678.15	816.27
48	2015	राजाजी	उत्तराखंड	819.54	255.63	1075.17
49	2016 (24.02.2016)	ओरंग	असम	79.28	413.18	492.46
50	2016 (08.09.2016)	कामलांग	अरुणाचल प्रदेश	671.00	112.00	783.00
51	2021 (08.02.2021)	श्रीविल्लिपुथर मेगामलाई टाइगर रिजर्व	तमिलनाडु	641.86	374.41	1016.57
		कुल		40,787.16	32,978.43	73,765,59

अध्याय - 9 - अनुलग्नक

अनुलग्नक - 1 - भारत में स्थित टाइगर रिजर्वों की सूची

क्र.सं.	टाइगर रिजर्व	राज्य
1	नागार्जुन सागर	आंध्र प्रदेश
2	नामधापा	अरुणाचल प्रदेश
3	पाक्के	अरुणाचल प्रदेश
4	कामलांग	अरुणाचल प्रदेश
5	काजीरंगा	असम
6	मानस	असम
7	नामेरी	असम
8	ओरंग	असम
9	वाल्मीकि	बिहार
10	अचानकमार	छत्तीसगढ़
11	इंद्रावती	छत्तीसगढ़
12	उदांती सीतानदी	छत्तीसगढ़
13	पलामू	झारखंड
14	बांदीपुर	कर्नाटक
15	भद्रा	कर्नाटक
16	डंडेली अंशी	कर्नाटक
17	नागरहोल	कर्नाटक
18	बिलिगिरी रंगनाथ मंदिर	कर्नाटक
19	पेरियार	केरल
20	परमबी कुलम	केरल
21	बांधवगढ़	मध्य प्रदेश
22	कान्हा	मध्य प्रदेश
23	पन्ना	मध्य प्रदेश
24	पेंच	मध्य प्रदेश
25	संजय दुबरी	मध्य प्रदेश

26	सतपुड़ा	मध्य प्रदेश
27	मेलघाट	महाराष्ट्र
28	पेंच	महाराष्ट्र
29	तदोबा-अंधेरी	महाराष्ट्र
30	सह्याद्री	महाराष्ट्र
31	नावेगांव - नागजीरा	महाराष्ट्र
32	बोर	महाराष्ट्र
33	डमपा	मिजोरम
34	सतकोसिया	ओडिशा
35	सिमलीपाल	ओडिशा
36	रणथम्भोर	राजस्थान
37	सरिस्का	राजस्थान
38	मुकन्द्रा	राजस्थान
39	कालाकाड - मुंडानथुरइ	तमिलनाडु
40	मुदुमलई	तमिलनाडु
41	अनामलाई	तमिलनाडु
42	सत्यमंगलम	तमिलनाडु
43	कवल	तेलंगाना
44	अमराबाद	तेलंगाना
45	राजाजी	उत्तराखंड
46	कॉर्बेट	उत्तराखंड
47	दुधवा	पश्चिम बंगाल
48	पीलीभीत	पश्चिम बंगाल
49	बुक्सा	उत्तर प्रदेश
50	सुंदरबन	उत्तर प्रदेश
51	श्रीविल्लिपुथर मेगामलाई	तमिलनाडु

अनुलग्नक - 2 व्याघ्रों की मृत्यु (प्राकृतिक और अन्य कारण)

टाइगर रिजर्व के अंदर

(दिनांक 01.04.2020 से दिनांक 31.03.2021 तक) राज्यों द्वारा यथा सूचित

क्र.	तिथि/ माह/वर्ष	राज्य	टाइगर रिजर्व
1.	1 अप्रैल 2020	मध्य प्रदेश	कान्हा टाइगर रिजर्व
2.	4 अप्रैल 2020	मध्य प्रदेश	पेंच टाइगर रिजर्व
3.	8 अप्रैल 2020	तमिलनाडु	अनामलाई टाइगर रिजर्व
4.	8 अप्रैल 2020	तमिलनाडु	अनामलाई टाइगर रिजर्व
5.	9 अप्रैल 2020	मध्य प्रदेश	बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व
6.	11 अप्रैल 2020	मध्य प्रदेश	कान्हा टाइगर रिजर्व
7.	13 अप्रैल 2020	तमिलनाडु	मुदुमलाई टाइगर रिजर्व
8.	14 अप्रैल 2020	उत्तर प्रदेश	जसपुर मौजा बीट, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, यूपी
9.	16 अप्रैल 2020	असम	काजीरंगा
10.	17 अप्रैल 2020	महाराष्ट्र	पेंच टाइगर रिजर्व
11.	22 अप्रैल 2020	मध्य प्रदेश	बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व
12.	25 अप्रैल 2020	तमिलनाडु	सत्यमंगलम टाइगर रिज़र्व
13.	2 मई 2020	मध्य प्रदेश	बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व
14.	2 मई 2020	कर्नाटक	बिलिगिरी रंगनाथन मंदिर टाइगर रिजर्व
15.	3 मई 2020	उत्तर प्रदेश	पीलीभीत टाइगर रिजर्व, माला श्रेणी
16.	3 मई 2020	मध्य प्रदेश	पन्ना टाइगर रिजर्व
17.	10 मई 2020	असम	काजीरंगा टाइगर रिजर्व
18.	20 मई 2020	उत्तर प्रदेश	पीलीभीत टाइगर रिजर्व
19.	21 मई 2020	मध्य प्रदेश	पेंच टाइगर रिजर्व
20.	22 मई 2020	असम	काजीरंगा टाइगर रिजर्व

21.	23 मई 2020	आंध्र प्रदेश	नागार्जुनसागर-श्रीशैलम
22.	29 मई 2020	उत्तराखंड	कॉर्बेट टाइगर रिजर्व
23.	30 मई 2020	मध्य प्रदेश	पेंच टाइगर रिजर्व
24.	4 जून 2020	कर्नाटक	नागरहोल टाइगर रिजर्व
25.	10 जून 2020	महाराष्ट्र	तडोबा-अंधारी टाइगर रिजर्व
26.	14 जून 2020	मध्य प्रदेश	बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व
27.	14 जून 2020	मध्य प्रदेश	बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व
28.	14 जून 2020	महाराष्ट्र	तडोबा-अंधारी टाइगर रिजर्व
29.	14 जून 2020	महाराष्ट्र	तडोबा-अंधारी टाइगर रिजर्व
30.	27 जून 2020	मध्य प्रदेश	पन्ना टाइगर रिजर्व
31.	18 जुलाई 2020	महाराष्ट्र	मेलघाट टाइगर रिजर्व
32.	19 जुलाई 2020	कर्नाटक	न. बेगुर रेंज, बांदीपुर
33.	23 जुलाई 2020	राजस्थान	मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व
34.	24 जुलाई 2020	महाराष्ट्र	तडोबा-अंधारी टाइगर रिजर्व
35.	24 जुलाई 2020	उत्तराखंड	कॉर्बेट टाइगर रिजर्व
36.	27 जुलाई 2020	मध्य प्रदेश	पन्ना टाइगर रिजर्व
37.	3 अगस्त 2020	राजस्थान	मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व
38.	10 अगस्त 2020	मध्य प्रदेश	पन्ना टाइगर रिजर्व
39.	11 अगस्त 2020	उत्तर प्रदेश	दुधवा टाइगर रिजर्व
40.	25 अगस्त 2020	कर्नाटक	कालाहल्ला रेंज, नगरहोल टाइगर रिजर्व
41.	4 सितंबर 2020	केरल	थेकेडी रेंज, पेरियार टाइगर रिजर्व
42.	5 सितंबर 2020	असम	तेतेलीगुड़ी, कोहोरा, काजीरंगा
43.	16 सितंबर 2020	तमिलनाडु	तेलमलाई बीट, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व
44.	24 सितंबर 2020	मध्य प्रदेश	धमोकर बफर, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व

45.	1 अक्टूबर 2020	केरल	पेरियार टाइगर रिजर्व
46.	10 अक्टूबर 2020	मध्य प्रदेश	कॉम्पट. नंबर 301 गोहरी बीट ताला रेंज, बाधवगढ़ टाइगर रिजर्व
47.	10 अक्टूबर 2020	मध्य प्रदेश	कॉम्पट. नंबर 301 गोहरी बीट ताला रेंज, बाधवगढ़ टाइगर रिजर्व
48.	13 अक्टूबर 2020	तमिलनाडु	कोठामंगलम खंड, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व
49.	17 अक्टूबर 2020	मध्य प्रदेश	कॉम्पट. 145 पारसी बीट धमोकर रेंज, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व
50.	17 अक्टूबर 2020	मध्य प्रदेश	कॉम्पट. 145 पारसी बीट धमोकर रेंज, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व
51.	27 अक्टूबर 2020	कर्नाटक	तेगुर गुड्डा बीट, हेब्बे रेंज, भद्रा टीआर
52.	28 अक्टूबर 2020	महाराष्ट्र	खडसंगी रेंज, बफर, तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व
53.	11 नवंबर 2020	उत्तर प्रदेश	दुधवा टाइगर रिजर्व
54.	14 नवंबर 2020	मध्य प्रदेश	अमानगंज रोड, पन्ना टाइगर रिज़र्व
55.	15 नवंबर 2020	महाराष्ट्र	मुंडीपार राउंड, गोंदिया रेंज, एनएनटीआरओ
56.	17 नवंबर 2020	मध्य प्रदेश	किसली रेंज, कान्हा टाइगर रिजर्व, एमपी
57.	20 नवंबर 2020	तमिलनाडु	सिमरकुलुधई, सिंगारा बीट, तमिलनाडु
58.	13 दिसंबर 2020	कर्नाटक	अरेपल्या सेक्शन, कोल्लेगल रेंज, बीआरटी टीआर
59.	1 जनवरी 2021	महाराष्ट्र	कॉम्पट नं 1415 पी, एफ। हराना करहंडला, गोल नवेगांव [डीजे, रेंज उमरेड [डब्ल्यूएल], महाराष्ट्र
60.	1 जनवरी 2021	महाराष्ट्र	कॉम्पट नं 1415 पी, एफ। हराना करहंडला, गोल नवेगांव [डीजे, रेंज उमरेड [डब्ल्यूएल], महाराष्ट्र
61.	1 जनवरी 2021	महाराष्ट्र	कॉम्पट नं 1415 पी, एफ। हराना करहंडला, गोल नवेगांव [डीजे, रेंज उमरेड [डब्ल्यूएल], महाराष्ट्र
62.	2 जनवरी 2021	महाराष्ट्र	कॉम्पट नं 1415 पी, एफ। हरानाकरहंडला, गोल नवेगांव [डीजे, रेंज उमरेड [डब्ल्यूएल], महाराष्ट्र
63.	14 जनवरी 2021	मध्य प्रदेश	टोटलदोह, पेंच टाइगर रिजर्व
64.	19 जनवरी 2021	मध्य प्रदेश	मानपुर, दमन बीट, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व
65.	21 जनवरी 2021	महाराष्ट्र	कॉम्पट नं 271, रायपुर रेंज, सिपना डब्ल्यूएल डिवीजन, मेलघाट टाइगर रिजर्व

66.	23 जनवरी 2021	छत्तीसगढ़	नारायणपुर, धमतरी
67.	26 जनवरी 2021	मध्य प्रदेश	कॉम्पट नं 1104, बहमनी बीट, खापा रेंज, कान्हा टाइगर रिजर्व
68.	28 जनवरी 2021	मध्य प्रदेश	पेंच टाइगर रिजर्व, एमपी
69.	30 जनवरी 2021	बिहार	कॉम्पट नं 25 गोवर्धन रेंज डिवीजन-1, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व
70.	2 फरवरी 2021	असम	तज़ेंग अवैध शिकार विरोधी शिविर, काजीरंगा रेंज, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम
71.	9 फरवरी 2021	मध्य प्रदेश	मुधोली बीट, मोहरली बफर, महाराष्ट्र
72.	14 फरवरी 2021	मध्य प्रदेश	कॉम्पट नं 698, कोपेडाबरी बीट, किस्ली रेंज, मध्य प्रदेश
73.	14 फरवरी 2021	मध्य प्रदेश	कॉम्पट नं 395, पनपथ बफर, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व
74.	18 फरवरी 2021	बिहार	कॉम्पट नं 66, मानपुर बीट, मौग्रह रेंज, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व
75.	8 मार्च 2021	असम	ओरंग टाइगर रिजर्व, असम
76.	14 मार्च 2021	उत्तर प्रदेश	कॉम्पट नं 128, भैरो बीट, माला रेंज, पीलीभीत टाइगर रिजर्व
77.	14 मार्च 2021	महाराष्ट्र	उमरेड क्रांधला डब्ल्यूएलएस, महाराष्ट्र
78.	13 मार्च 2021	महाराष्ट्र	पेंच टाइगर रिजर्व
79.	19 मार्च 2021	कर्नाटक	नागरहोल टाइगर रिजर्व, कर्नाटक
80.	20 मार्च 2021	महाराष्ट्र	उमरेड क्रांधला डब्ल्यूएलएस, महाराष्ट्र
81.	21 मार्च 2021	उत्तर प्रदेश	किशनपुर डब्ल्यूएलएस, दुधवा टाइगर रिजर्व, उत्तर प्रदेश
82.	21 मार्च 2021	केरल	पेरियार टाइगर रिजर्व, केरल
83.	22 मार्च 2021	मध्य प्रदेश	कॉम्पट नं 1440, गुमतारा रेंज, पेंच टाइगर रिजर्व
84.	28 मार्च 2021	कर्नाटक	नुगु रेंज, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, कर्नाटक
85.	28 मार्च 2021	कर्नाटक	नुगु रेंज, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, कर्नाटक
86.	31 मार्च 2021	कर्नाटक	नागरहोल टाइगर रिजर्व (वीरनहोसल्ली रेंज)
87.	31 मार्च 2021	मध्य प्रदेश	रोहनिया बीट, मगधी रेंज, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व

टाइगर रिजर्व के बाहर (दिनांक 01.04.2020 से दिनांक 31.03.2021 तक)

क्र.सं.	तिथि/माह/वर्ष	राज्य	टाइगर रिजर्व / क्षेत्र
1.	11 अप्रैल 2020	मध्य प्रदेश	बुरहानपुर
2.	13 अप्रैल 2020	केरल	वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य
3.	14 अप्रैल 2020	उत्तराखंड	रामनगर
4.	17 अप्रैल 2020	मध्य प्रदेश	चित्रकूट
5.	3 मई 2020	केरल वायनाड	वन्यजीव अभ्यारण्य
6.	10 जून 2020	केरल	रानी डिवीजन
7.	10 जून 2020	केरल	वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य
8.	20 जून 2020	केरल	थेट्टूरोड क्षेत्र
9.	23 जून 2020	महाराष्ट्र	चटगांव रेंज
10.	26 जुलाई 2020	केरल	वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य
11.	15 अगस्त 2020	केरल	वायनाड दक्षिण विभाजन
12.	20 अगस्त 2020	कर्नाटक	एमएम हिल्स वन्यजीव अभ्यारण्य
13.	24 अगस्त 2020	कर्नाटक	बागमनाडाला रेंज
14.	12 सितंबर 2020	महाराष्ट्र	उमरेड क्रांधला वन्यजीव अभ्यारण्य
15.	20 सितंबर 2020	मध्य प्रदेश	मझगावा रेंज, सतना संभाग
16.	24 सितंबर 2020	उत्तर प्रदेश	हरदोई शाखा नहर, धौकोह बीट
17.	15 अक्टूबर 2020	कर्नाटक	मांड्या जिला
18.	22 अक्टूबर 2020	असम	दीफू, कार्बी आंगलोंग
19.	3 नवंबर 2020	महाराष्ट्र	रत्नापुर गांव, सिंधीवाही रेंज, चंद्रपुर/ब्रह्मपुरी विभाजन
20.	5 नवंबर 2020	मध्य प्रदेश	दक्षिण शहडोल संभाग
21.	12 नवंबर 2020	छत्तीसगढ़	कवर्धा
22.	15 नवंबर 2020	मध्य प्रदेश	पनपथा के बीच बफर और उत्तर शहडोल संभाग
23.	22 नवंबर 2020	महाराष्ट्र	उमरेड रेंज, उमरेड क्रांधला वन्यजीव अभ्यारण्य
24.	दिसंबर 2020	कर्नाटक	श्रीमंगला टाउन हुडीकी अनुभाग, पोन्नमपेट रेंज, विराजपेट डिवीजन
25.	12 दिसंबर 2020	महाराष्ट्र	कॉम्पट नं 45 रत्नापुर बीट, नवरगांव राउंड, सिंधीवाही रेंज, ब्रह्मपुरी मंडल

26.	17 दिसंबर 2020	मध्य प्रदेश	जामदाहा बीट, उमरिया रेंज, सीधी डिवीजन
27.	17 दिसंबर 2020	मध्य प्रदेश	दक्षिण सिवनी
28.	18 दिसंबर 2020	मध्य प्रदेश	खवासा प्रादेशिक क्षेत्र, सिवनी
29.	26 दिसंबर 2020	उत्तराखंड	प्लॉट नंबर 9, पूर्व गडप्पू ब्लॉक और बीट, पीपलपडव रेंज, तराई सेंट्रल
30.	1 मार्च 2021	उत्तर प्रदेश	ग्राम डोकरपुर, मोहम्मदी रेंज, का दक्षिण खीरी संभाग
31.	8 मार्च 2021	महाराष्ट्र	मुंडीपार राउंड ऑफ गोरेगांव रेंज, गोंदिया वन प्रभाग
32.	12 मार्च 2021	छत्तीसगढ़	बस्तर, छत्तीसगढ़
33.	16 मार्च 2021	मध्य प्रदेश	सिंघोरी डब्ल्यूएलएस, मध्य प्रदेश
34.	18 मार्च 2021	मध्य प्रदेश	रातापानी डब्ल्यूएलएस, मध्य प्रदेश
35.	21 मार्च 2021	महाराष्ट्र	वर्धा, महाराष्ट्र
36.	23 मार्च 2021	महाराष्ट्र	बडेगांव-सिरोनोजी- सर्रा-नागलवाड़ी, एफडीसीएम महाराष्ट्र
37.	23 मार्च 2021	महाराष्ट्र	सोनेगांव नाला, आसन शिवर सोनेगांव, तालुकी मारेनगांव, यवतमाल, पंडारखवाड़ा, महाराष्ट्र
38.	23 मार्च 2021	महाराष्ट्र	तुम्नी बीट, सहुरो गोल अस्ति रेंज, वर्धा, महाराष्ट्र
39.	30 मार्च 2021	केरल	कुप्पडी, वायनाड डब्ल्यूएलएस, केरल

*****

अनुलग्नक 3 - सीएसएस - व्याघ्र परियोजना : वर्ष 2020-21 के लिए संस्वीकृति विवरण

टाइगर रिजर्व वार संस्वीकृतियों का विवरण

क्र.सं.	**टाइगर रिजर्व**	**राज्य**	**वर्ष 2020-21 के दौरान निर्मोचन, जिसमें ग्राम पुनर्वास शामिल है (लाख रु. में)**
1.	नागार्जुनसागर	आंध्र प्रदेश	266.510
2.	कामलांग	अरुणाचल प्रदेश	160.170
3.	पाक्के	अरुणाचल प्रदेश	404.570
4.	नमदाफा	अरुणाचल प्रदेश	239.020
5.	ओरंग	असम	299.180
6.	मानस	असम	418.220
7.	नामेरी	असम	63.690
8.	काजीरंगा	असम	1732.810
9.	वाल्मीकि	बिहार	628.890
10.	इंद्रावती	छत्तीसगढ़	122.490
11.	अचानकमार	छत्तीसगढ़	195.940
12.	उदांति - सीतानदी	छत्तीसगढ़	152.730
13.	पलामू	झारखंड	128.453
14.	काली (डंडेली आंशी)	कर्नाटक	234.635
15.	नागरहोल	कर्नाटक	568.940
16.	भद्रा	कर्नाटक	370.060
17.	बांदीपुर	कर्नाटक	669.800
18.	बीआरटी	कर्नाटक	274.570
19.	पेरियार	केरल	212.190
20.	परम्बिकुलम	केरल	190.690
21.	पेंच	मध्य प्रदेश	450.900
22.	पन्ना	मध्य प्रदेश	458.540
23.	बांधवगढ़	मध्य प्रदेश	377.890
24.	कान्हा	मध्य प्रदेश	651.330
25.	संजय दुबरी	मध्य प्रदेश	246.350

26.	सतपुड़ा	मध्य प्रदेश	366.250
27.	मेलघाट	महाराष्ट्र	1426.380
28.	बोर	महाराष्ट्र	113.810
29.	नवेगांव - नागजीरा	महाराष्ट्र	255.220
30.	तदोबा - अंधारी	महाराष्ट्र	573.770
31.	पेंच	महाराष्ट्र	661.190
32.	सह्याद्री	महाराष्ट्र	67.660
33.	डमपा	मिजोरम	161.530
34.	सतकोसिया	ओडिशा	140.680
35.	सिमलीपाल	ओडिशा	539.390
36.	मुकुंदरा	राजस्थान	298.280
37.	रणथंभौर	राजस्थान	262.280
38.	सरिस्का	राजस्थान	448.330
39.	केएमटीआर	तमिलनाडु	238.430
40.	मुदुमलई	तमिलनाडु	447.630
41.	सत्यमंगलम	तमिलनाडु	383.630
42.	अनामलाई	तमिलनाडु	266.450
43.	कवल	तेलंगाना	238.200
44.	अमराबाद	तेलंगाना	133.770
45.	कॉर्बेट	उत्तराखंड	1123.850
46.	राजाजी	उत्तराखंड	547.450
47.	दुधवा	उत्तर प्रदेश	627.860
48.	पीलीभीत	उत्तर प्रदेश	295.430
49.	सुंदरबन	पश्चिम बंगाल	173.670
50.	बुक्सा	पश्चिम बंगाल	160.290
	कुल		**19449.998**

*****

संस्वीकृतियों का राज्यवार विवरण

क्र. सं.	राज्य	निर्मोचित राशि (लाख रु. में)
1.	आंध्र प्रदेश	266.510
2.	अरुणाचल प्रदेश	803.760
3.	असम	2513.900
4.	बिहार	628.890
5.	छत्तीसगढ़	471.160
6.	झारखंड	128.453
7.	कर्नाटक	2118.005
8.	केरल	402.880
9.	मध्य प्रदेश	2551.260
10.	महाराष्ट्र	3098.030
11.	मिजोरम	161.530
12.	ओडिशा	680.070
13.	राजस्थान	1008.890
14.	तमिलनाडु	1336.140
15.	तेलंगाना	351.970
16.	उत्तराखंड	1671.300
17.	उत्तर प्रदेश	923.290
18.	पश्चिम बंगाल	333.960
कुल		**19449.998**

<u>अनुलग्नक 4 - वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए योजना व्यय (दिनांक 31.03.2021 की यथास्थिति)</u>

क्र. सं.	बजट शीर्ष	बीई 2020-21	आरई 2020-21	व्यय	आरईकी तुलना में % व्यय
	योजना - व्याघ्र परियोजना		(करोड़ रु. में)		
1.	3601.06.101.02.01.31(राज्य सरकारों को सहायता) सामान्य अनुदान सहायता	206.10	114.50	114.50	100%
2.	3601.06.796.02.01.31 (राज्य सरकारों को सहायता) <u>जनजाति उप योजना</u> (**टीएसपी**), सामान्य अनुदान सहायता	35.00	30.00	30.00	100%
3.	3601.06.789.02.01.31 (राज्य सरकारों को सहायता) <u>अनुसूचित जाति उपयोजना</u> (**एससीएसपी**), सामान्य अनुदान सहायता	28.00	25.00	25.00	100%
4.	2552.00.114.06.03.31 (पूर्वोत्तर क्षेत्र को सहायता) सामान्य अनुदान सहायता	30.00	25.00	25.00	100%
5	2406.02.110.15.03	0.90	0.50	0.20	40%
	कुल	**300.00**	**195.00**	**194.70**	**99.85%**

2406.02.110.17.03 (राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण) (विस्तृत शीर्ष)

क्र. सं.	बजट शीर्ष	बीई 2020-21	आरई 2020-21	व्यय के लिये निधि उपलब्ध 2020-21 में	व्यय	आरईकी तुलना में % व्यय
(क)	17.03.31 सामान्य अनुदान समान्य	9.00	6.00	6.87#	6.85	99.71%
(ख)	17.03.36 अनुदान सहायता वेतन	1.50	1.40	1.31*	1.19	90.84%
	कुल	**10.50**	**7.40**	**8.18**	**8.04**	**98.29%**

रु 0.87 करोड़ के पुनर्वैधीकरण सहित।

* रु 0.10 करोड़ के पुनर्वैधीकरण और रु. 0.19 करोड़ वर्ष 2015-16 से 2017-18 के लिए जमा किया गया ब्याज की कटौती के सहित ।

अनुलग्नक 5 - वित्तीय विवरण / दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

(राशि रुपए में)

समग्र / पूंजीगत निधि एवं देयताएं	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
समग्र / पूंजीगत निधि	1	33,917,911.10	42,465,841.10
आरक्षिति एवं अधिशेष	2	-	-
उद्दिष्ट एवं स्थायी निधि	3	-	-
जमानती ऋण एवं उधार	4	-	-
गैर-जमानती ऋण एवं उधार	5	-	-
आस्थगित क्रेडिट देयताएं	6	-	-
चालू देयताएं एवं उपबंध	7	2,235,127.00	4,348,155.00
कुल		**36,253,038.10**	**46,813,996.10**
आस्तियां			
अचल आस्तियां	8	33,804,065.00	34,857,974.00
उद्दिष्ट एवं स्थायी निधियों से निवेश	9	-	-
निवेश - अन्य	10	-	-
चालू आस्तियां, ऋण, अग्रिमआदि	11	2,448,973.10	11,956,022.10
विविध व्यय (बट्टे खाते या समायोजित न करने की सीमा तक)		-	-
कुल		**36,253,038.10**	**46,813,996.10**
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं एवं लेखाओं संबंधी टिप्पणियां	25		

अनुलग्नक 6 -वित्तीय विवरण दिनांक 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा

(राशि रुपए में)

आय	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
बिक्री / सेवाओं से आय	12		
अनुदान/सहायता	13	74,000,000.00	84,986,937.00
शुल्क/अभिदान	14	-	-
निवेशोंसे आय (उद्दिष्ट / स्थायी निधियों से निवेश पर आय/ निधियां, निधियों मे अंतरित)	15	-	-
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	-	-
अर्जित ब्याज	17	230,234.00	-
अन्य आय	18	18,475.00	6,000.00
घटा: (सरकारी खाते में जमा)		-18,475.00	
तैयार माल और डब्ल्यूआईपी के भण्डार में वृद्धि (कमी)	19		
कुल (क)		**74,230,234.00**	**84,992,937.00**
व्यय			
स्थापना व्यय	20	25,740,673.00	32,857,983.00
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	12,009,159.00	6,987,108.20
अनुदान, उपदान आदि पर व्यय	22	98,045,800.00	44,801,000.00
ब्याज (पेशगी राशि की प्राप्ति)	23	142,630.00	1,128,194.00
मंत्रालय को वापसी योग्य ब्याज का प्रावधान	7	87,604.00	-
सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क का प्रावधान	7	100,000.00	-
मूल्यह्रास (वर्ष के अंत में कुल योग)	8	5,066,306.00	5,183,865.00
कुल (ख)		**81,192,172.00**	**90,958,150.20**
व्यय से अधिक आय (क - ख)		-6,961,938.00	-5,965,213.20
पूर्व अवधि समायोजन (निवल)		**-**	1,280,951.00
शेष राशि को समग्र/पूंजीगत निधि में आगे ले जाया गया		-	-
घाटे की शेष राशि को समग्र/पूंजीगत निधि अग्रेणित किया गया		-6,961,938.00	-4,684,262.20
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं एवं लेखाओं संबंधी टिप्पणियां	25		

अनुलग्नक 7 - 31.03.2021 को समाप्त अवधि/वर्ष की प्राप्तियां एवं भुगतान

(राशि रुपए में)

प्राप्तियां	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
I.प्रारंभिक रोकड़	-	-	**1. व्यय**		
(क) रोकड़ शेष	25,000.00	10,000.00	(क) स्थापना व्यय (अनुसूची 20 के अनुसार)	25,740,673.00	32,857,983.00
पेशगी	1,50,000.00	110,000.00	(वर्ष की शुरुआत में बकाया - बकाया साल के अंत में)	649,610.00	-2,330,895.00
(ख) बैंक शेष					
i) चालू खातों में जमा	-	-	(ख) प्रशासनिक व्यय (अनुसूची 21 के अनुसार)	8,618,886.00	6,144,504.20
ii) जमा खातों में	-	-	(वर्ष की शुरुआत में बकाया - बकाया साल के अंत में)	-22,902.00	
iii) बचत खातों में	10,013,032.10	7,449,460.30	(ग) संस्थाओं/संगठनों को सहायता अनुदान (अनुसूची 22 के अनुसार)	38,045,800.00	44,201,000.00
			(वर्ष की शुरुआत में देय - वर्ष के अंत में देय)	600,000.00	-
II. प्राप्त अनुदान			**II. विभिन्न परियोजनाओं की निधियों के लिए भुगतान**		
(क) भारत सरकार से	74,000,000.00	84,986,937.00	(प्रत्येक परियोजना के लिए किए गए भुगतान के विवरण के साथ निधि या परियोजना का नाम दर्शाया जाना चाहिए)	--	-
(ख) राज्य सरकार से	-	-			
(ग) अन्य स्रोतों से (विवरण सहित)	-	-			
(पूंजी के लिए अनुदान एवं राजस्व व्यय,अलग से दर्शाया जाए)	-	-	i) अनुसंधान परियोजनाएं	-	-
			ii) प्रशिक्षण, कार्यशाला, सम्मेलन	3,390,273.00	842,604.00

III. निम्नलिखित निवेश से आय	-	-	**III. किए गए निवेश एवं जमा**	-	-
(क) उद्दिष्ट / वृर्तिदान निधियां	-	-	(क) उद्दिष्ट / वृर्तिदान निधियों में से	-	-
(ख) स्व-निधियोंसे (अन्यनिवेश)	-	-	(ख) स्व-निधियों में से (अन्यनिवेश)	-	-
IV. **प्राप्त ब्याज**			**IV. अचल आस्तियों तथा चालू पूंजीगत कार्यों पर व्यय**		
(क) बैंक जमा से	230,234.00	327,324.00	(क) अचल आस्तियों की खरीद	3,735,416.00	575,900.00
(ख) ऋण, अग्रिम आदि से	-	-	(ख) चालू पूंजीगत कार्य पर व्यय	-	-
V. अन्य आय (निर्दिष्ट करें)	-	-	**V. अधिशेष राशि/ऋण की चुकौती**	-	-
बैंक प्रभारों की चुकौती	-	-	(क) भारत सरकार को	-	-
पुरानी वस्तुओं/वस्तुओं की बिक्री आय	18,475.00	6,000.00	(ख) राज्य सरकार को		
(सरकार के खाते में जमा)	-18,475.00	-	(ग) अन्य निधि प्रदाताओं को		
VI. **उधार ली गई राशि**			**VI. वित्तीय प्रभार (ब्याज)**	2,350,037.00	1,128,194.00
VII. **कोई अन्य प्राप्तियों (उल्लेख करें)**			**VII. अन्य भुगतान (निर्दिष्ट करें)**		
(क) विविध प्राप्तियां	-	-	(क) टीडीएस का भुगतान		
(i) सीपीडब्ल्यूडी द्वारा वापिस लौटाया गया शेष अप्रयोज्य अग्रिम	-	-	(ख) प्रतिभूति जमा/अवमुक्त		6,684.00
(ख) स्कूटर अग्रिम पर ब्याज	-	-	(ग) समायोज्य राशि (अन्य विभागों द्वारा)		
(ग) प्रतिभूति जमा	-	-	(घ) नकद वसूली योग्य अग्रिम अथवा वसूली मूल्य	2,743,386.00	693,584.00
(घ) अग्रिमों की वसूली	3,069,396.00	1,408,185.00	(घ) स्टाफ के लिए अग्रिम राशि	-	-
(ङ) टीडीएस की वसूली	--	-	(च) अन्य विभागों को भुगतान (वेतन बिल से वसूली)	-	-
(च) स्टाफ कार वसूली	-	-	(च) बैंक प्रभार	-	-

(छ) लाईसेंस शुल्क	-	-	(छ)-पेशगी अग्रिम की प्राप्ति	-	-
(ज) वेतन बिलों से वसूली, अन्य विभागों से समायोज्य	-	-			
(झ) आस्तियों की बिक्री से आय	-	-			
(ञ) वसूली गई जीआईए	-	-			
(ट) पिछले वर्ष किए गए छुट्टी वेतन एवं पेंशन अंशदान का वापिस प्राप्त होना	-	-	**VIII. अंतिम शेष**		
			(क) उपलब्ध नकद	25,000.00	25,000.00
			पेशगी	150,000.00	150,000.00
			(ख) बैंकशेष		
			(i) चालूखातोंमें		
			(ii) जमा खातों में	-	-
			(iii) बचत खातों में	1,461,483.10	10,013,032.10
कुल	**87,487,662.10**	**94,297,906.30**	**कुल**	**87,487,662.10**	**94,297,906.30**

अनुसूची 1 **-** वित्तीय विवरण - समग्र/पूंजीगत निधि

दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र में शामिल अनुसूचियां

(राशि रुपए में)

अनुसूची 1 - **समग्र / पूंजीगत निधि:**	**अनु.**	**चालू वर्ष**	**पिछले वर्ष**
वर्ष के प्रारंभ में शेष राशि		42,465,841.10	47,150,103.30
जोड़ें : निबल आय की शेष राशि		-	-
आय एवं व्यय लेखा से अंतरित		-	-
घटाएं : निबल व्यय की शेष राशि		6,961,938.00	4,684,262.20
आय एवं व्यय लेखा से अंतरित	23(क)	-1,585,992.00	
वर्षान्त में शेष राशि		**33,917,911.10**	**42,465,841.10**

अनुसूची 2 - आरक्षिति और अधिशेष

(राशि रुपए में)

क - आरक्षिति और अधिशेष:	**चालू वर्ष**		**पिछले वर्ष**	
1.<u>पूंजी आरक्षित निधि</u> :				
अंतिम लेखा के अनुसार	-	-	-	-
वर्ष के दौरान परिवर्द्धन	-	-	-	-
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां	-	-	-	-
2. <u>पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति निधि</u> :				
अंतिम लेखा के अनुसार	-	-	-	-
वर्ष के दौरान परिवर्द्धन	-	-	-	-
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां	-	-	-	-
3. **<u>विशेष आरक्षित निधि</u>** :				
अंतिम लेखा के अनुसार	-	-	-	-
वर्ष के दौरान परिवर्द्धन	-	-	-	-
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां	-	-	-	-
4. **<u>सामान्य आरक्षित निधि</u>** :				
अंतिम लेखा के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान परिवर्द्धन	-	-	-	-
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां	-	-	-	-
<u>कुल</u>		-		-

अनुसूची 3 - उद्दिष्ट / स्थायी निधियां

(राशि रु. में)

अनुसूची - 3 - उद्दिष्ट / स्थायी निधियां	निधिवार अलग अलग विवरण				कुल	
	निधि कक	निधि खख	निधि गग	निधि घघ	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
क) निधियों का प्रारंभिक शेष						
ख) निधियों में परिवर्द्धन	-	-	-	-	-	-
i) दान / अनुदान	-	-	-	-	-	-
ii) निधियों की राशि से किए गए निवेश से प्राप्त आय	-	-	-	-	-	-
iii) अन्य जोड़ (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-
कुल (क+ख)	-	-	-	-	-	-
ग) निधियों के प्रयोजन के मद में उपयोग / व्यय	-	-	-	-	-	-
i) पूंजीगत व्यय	-	-	-	-	-	-
- अचल आस्तियां	-	-	-	-	-	-
- अन्य	-	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-	-
ii) राजस्व व्यय						
- वेतन, मजदूरी और भत्ता इत्यादि						
- किराया	-	-	-	-	-	-
- अन्य प्रशासनिक व्यय	-	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-	-
कुल (ग)	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में निवल शेष (क + ख + ग)	-	-	-	-	शून्य	शून्य

टिप्पण :

(1) अनुदान से संबद्ध शर्तों के आधार पर संबंधित शीर्षों के अंतर्गत किए गए प्रकटन

(2) केंद्र / राज्य सरकारों से प्राप्त योजना निधियां पृथक निधि के रूप में दर्शाया जाना चाहिए और इसे किसी अन्य निधि में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

अनुसूची 4 - प्रतिभूत ऋण और उधार

(राशि रु. में)

क. प्रतिभूत ऋण और उधार:	**चालू वर्ष**		**पिछले वर्ष**	
अनुसूची - 4 - प्रतिभूत ऋण और उधार:				
1. केन्द्र सरकार	-	-	-	-
2. राज्य सरकार (नाम बताएं)	-	-	-	-
3. वित्तीय संस्थाएं	-	-	-	-
क) सावधि ऋण	-	-	-	-
ख) प्रोद्भूत ब्याज और देय	-	-	-	-
4. बैंक :	-	-	-	-
क) सावधि ऋण	-	-	-	-
- प्रोद्भूत ब्याज और देय	-	-	-	-
ख) अन्य ऋण (विनिर्दिष्ट करें)	-	-	-	-
- प्रोद्भूत ब्याज और देय	-	-	-	-
5. अन्य संस्थाएं और एजेंसियां	-	-	-	-
6. ऋण पत्र और बंध पत्र	-	-	-	-
7. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-	-	-
कुल		**-**	-	**-**
टिप्पणी : एक वर्ष के अंदर देय राशि				

अनुसूची 5 - अप्रतिभूत ऋण और उधार

(राशि रुपए में)

क. अप्रतिभूत ऋण और उधार :	**चालू वर्ष**	**पिछले वर्ष**
1. केन्द्र सरकार	-	-
2. राज्य सरकार (नाम बताएं)	-	-
3. वित्तीय संस्थाएं	-	-
4. बैंक :	-	-
क) सावधि ऋण	-	-
ख) अन्य ऋण (विनिर्दिष्ट करें)	-	-
5. अन्य संस्थाएं और एजेंसियां	-	-
6. ऋण पत्र और बंध पत्र	-	-
7. मियादी जमा	-	-
8. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-
कुल		
टिप्पणी : एक वर्ष के अंदर देय राशि		

अनुसूची 6 - आस्थगित ऋण देयताएं

(राशि रुपए में)

क - आस्थगित ऋण देयताएं	**चालू वर्ष**	**पिछले वर्ष**
क) पूंजीगत उपस्कर और अन्य आस्तियों के बंधक से प्रत्याभूत स्वीकृतियां	-	-
ख) अन्य	-	-
कुल	-	-
टिप्पण : एक वर्ष के अंदर देय राशि	-	-

अनुसूची 7 - चालू देयताएं एवं प्रावधान

क. चालू देयताएं	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1. स्वीकृतियां	-.	-.
2. विविध उधारकर्ता:	-.	-.
क) वस्तुओं के लिए	-.	-.
ख) अन्य	-.	-.
3. प्राप्त अग्रिम	-.	-.
4. प्रोदभूत ब्याज जो देय नहीं है	-.	-.
क) प्रतिभूत ऋण/उधार	-.	-.
ख) अप्रतिभूत ऋण/उधार	-.	-.
5. अन्य चालू देयताएं	-.	-.
(i) मंत्रालय को लौटाई जाने वाली अनुदान सहायता	-.	-.
(ii) मंत्रालय को लौटाई जाने वाली अव्ययित अनुदान सहायता	-.	-.
(iii) मंत्रालय को लौटाया जाने वाला ब्याज	87,604.00	327,324.00
(iv) लौटाई जाने वाली प्रतिभूति	3,794.00	25,394.00
(v) अन्य (निष्पादन पुरस्कार)	-	600,000.00
कुल (क)	**91,398.00**	**952,718.00**
ख. प्रावधान :		
1. कराधान के लिए	-.	-.
2. उपदान	-.	-.
3. अधिवर्षिता / पेंशन	-.	-.
(i) अधिवर्षिता स्कीम में अंशदान	-.	-.
4. संचित अवकाश नकदीकरण	-.	-.
5. अवकाश वेतन और पेंशन अंशदान	189,151.00	-
6. वेतन	1,931,676.00	3,395,437.00
7. देय अन्य व्यय	22,902.00	-
सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क का प्रावधान	100,000.00	-
कुल (ख)	**2,243,729.00.**	**3,395,437.00**
कुल योग (क+ख)	**2,335,127.00**	**4,348,155.00**

अनुसूची 8 - अचल आस्तियां

(राशि रु. में)

विवरण	सकल ब्लॉक					मूल्यह्रास						निवलब्लॉक	
	वर्ष के आरंभ में लागत/मूल्य (क)	वर्ष के दौरान संवर्धन (ख)		वर्ष के दौरान कटौतियां (ग)	वर्षान्त में लागत/मूल्य (घ)	मूल्यह्रास दर% (ड़)	वर्ष के आरंभ में (च)	निम्न के दौरान संवर्धन(छ)		वर्ष के दौरान कटौतियां (ज)	वर्षान्त तक कुल योग (झ)	चालू वर्ष के अंत में(घ-च-छ)	पिछले वर्ष के अंत में
		1.4.2020-30.9.2020	1.10.2020-31.3.2021					1.4.2020-30.9.2020	1.10.2020-31.3.2021				
मूर्त आस्तियां													
भवन	18,452,992	276,981	-	-	18,729,973	10%	1,845,299	27,698	-	-	1,872,997	16,856,976	18,452,992
फर्नीचर, फिक्सचर	1,617,545	-	315,469	-	1,933,014	10%	161,755	-	15,773	-	177,528	1,755,486	1,617,545
वाहन	1,266,656	1,583,643	-	-	2,850,299	15%	189,998	237,546	-	-	427,544	2,422,755	1,266,656
सचल एवं संवहन उपकरण	168,749	-	-	-	168,749	15%	25,312	-	-	-	25,312	143,437	168,749
कार्यालय उपकरण	1,569,207	25,499	90,658	-	1,685,364	15%	235,381	3,825	6,799	-	246,005	1,439,359	1,569,207
निगरानी इले. प्रणाली	10,142,082	-	-	-	10,142,082	15%	1,521,312	-	-	-	1,521,312	8,620,770	10,142,082
कंप्यूटर/पेरीफेरल	367,550	363,768	251,688	-	983,006	40%	147,020	145,507	50,338	-	342,865	640,141	367,550
लाईब्रेरी पुस्तकें	19,379	-	6,115	-	25,494	40%	7,752	-	1,223	-	8,975	16,519	19,379
वैज्ञानिक/ तकनीकी उपकरण	70,075	-	-	-	70,075	15%	10,511	-	-	-	10,511	59,564	70,075
अमूर्त आस्तियां													
सॉफ्टवेयर (एपीओ एप्लीकेशन)	1,183,739	-	-	-	1,83,739	25%	295,935	-	-	-	295,935	887,804	1,183,739
सॉफ्टवेयर (एमआईएस एप्लीकेशन)	0	-	1,098,576	-	1,098,576	25%	-	-	137,322	-	137,322	961,254	0
चालू वर्ष का कुल योग	34,857,974	**2,249,891**	**1,762,506**	**-**	**38,870,371**		**4,440,275**	**414,576**	**211,455**	**-**	**5,066,306**	**33,804,065**	**34,857,974**

अनुसूची 9 - उद्दिष्ट/स्थायी निधियों से निवेश

(राशि रु. में)

उद्दिष्ट/स्थायी निधियों से निवेश	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	-	-
3. शेयर	-	-
4. ऋणपत्र और बंधपत्र	-	-
5. समनुषंगी कंपनियां और संयुक्त उद्यम	-	-
6. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	-	-

अनुसूची 10 - अन्य निवेश

(राशि रु. में)

अन्य निवेश	**चालूवर्ष**	**पिछलेवर्ष**
1. सरकारी प्रतिभूतियों में		
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	-	-
3. शेयर	-	-
4. ऋणपत्र और बंधपत्र	-	-
5. समनुषंगी और संयुक्त उद्यम	-	-
6. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	-	-

अनुसूची 11 - चालू आस्तियां, ऋण, अग्रिम आदि

(राशि रु. में)

क. - **चालू आस्तियां :**	**चालू वर्ष**	**पिछले वर्ष**
1. सामान सूची :		
क) स्टोर्स तथा अतिरिक्त पुर्जे	-	-
ख) खुले औजार	-	-
ग) स्टॉक इन ट्रेड	-	-
तैयार वस्तुएं	-	-
चालू कार्य	-	-
कच्चा माल	-	-
2. विविध कर्जदार :		
क) 6 महीने से ज्यादा अवधि के लिए बकाया ऋण	-	-
ख) अन्य	-	-
3. उपलब्ध नकद (चैक/ड्राफ्ट तथा पेशगी सहित)	-	-
उपलब्ध नकदी	-	-
पेशगी	175,000.00	175,000.00
4. बैंक में शेष राशि		
क) अनुसूचित बैंकों में :		
- चालू खातों पर	-	-
- जमा खातों पर (मार्जिन राशि शामिल है)	-	-
- बचत खातों पर	1,461,483.10	10,013,032.10
ख) गैर अनुसूचित बैंकों में:	-	-
- चालू खातों पर	-	-
- जमा खातों पर	-	-
- बचत खातों पर	-	-
5. डाकघर - बचत लेखा	-	-
कुल (क)	**1,636,483.10**	**10,188,032.10**

अनुसूची 11 ख - चालू आस्तियां, ऋण, अग्रिम आदि

(राशि रु. में)

ख .ऋण, अग्रिम तथा अन्य आस्तियां	**चालू वर्ष**	**पिछले वर्ष**
1. ऋण :	-	-
क. कर्मचारी	-	-
खसंस्था के समान कार्यकलापों/उद्देश्यों में कार्यरत अन्य संस्थाएं	-	-
ग. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
2. नकद रुप में या प्राप्त होने वाले मूल्य के लिए वसूली योग्य अग्रिम एवं अन्य राशियों में		-
क. पूंजीगत लेखे पर	-	-
ख. पूर्व भुगतान	-	-
सीपीडब्ल्यूडी को अग्रिम भुगतान		316,000.00
राज्य पीडब्ल्यूडी, बेंगलुरु को अग्रिम		
अन्य	211,386.00	875,061.00
ग. अन्य		
प्रतिभूति जमा	62,184	62,184.00
स्रोत पर कर कटौती	538,920.00	514,745.00
3. प्रोद्भूत आय :		
क) उद्दिष्ट / स्थायी निधि से निवेश पर	-	-
ख) निवेश पर - अन्य	-	-
ग) ऋण एवं अग्रिम से	-	-
घ) अन्य (वसूली न जाने के कारण आय रु.... शामिल है)	-	-
4. प्राप्त हुए दावे	-	-
कुल (ख)	**812,490.00**	**1,767,990.00**
कुल योग (क + ख)	**2,448,973.10**	**11,956,022.10**

अनुसूची 12 - बिक्री / सेवाओं से आय

(राशि रु. में)

अनुसूची 12 - बिक्री / सेवाओं से आय	**चालू वर्ष**	**पिछले वर्ष**
1) **बिक्री से आय**		
क) तैयार माल की बिक्री	-	-
ख) कच्ची सामग्री की बिक्री	-	-
ग) स्क्रैप्स की बिक्री	-	-
2) **सेवाओं से आय**		
क) श्रम एवं संसाधन प्रभार	-	-
ख) पेशेवर / परामर्शी सेवाएं	-	-
ग) एजेंसी कमिशन एवं दलाली	-	-
घ) अनुरक्षण सेवाए (उपस्कर / संपत्ति)	-	-
ङ) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल (ख)	**-**	**-**

अनुसूची13 - अनुदान/सब्सिडी

(राशि रु. में)

(अप्रतिसंहरणीय अनुदान तथा प्राप्त सब्सिडी)	**चालू वर्ष**	**पिछले वर्ष**
1. केन्द्र सरकार	7,400,000.00	84,986,937.00
2. राज्य सरकार/सरकारें	-	-
3. सरकारी एजेंसियां	-	-
4. संस्थान / कल्याणकारी निकाय	-	-
5. अंतरराष्ट्रीय संगठन	-	-
6. अन्य (उल्लेख करें)/बैंक टीआरएफ विविध	-	-
कुल	**7,400,000.00**	**84,986,937.00**
अनुदानों का अव्ययित शेष	-	-
कुल	**7,400,000.00**	**84,986,937.00**

अनुसूची 14 - शुल्क/अभिदान

(राशि रु. में)

शुल्क/अभिदान	**चालू वर्ष**	**पिछले वर्ष**
1. प्रवेश शुल्क	-	-
2. वार्षिक शुल्क/अभिदान	-	-
3. सेमिनार / कार्यक्रम शुल्क	-	-
4. परामर्श शुल्क	-	-
5. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	.	.

अनुसूची 15 - निवेशों से आय

(राशि रु. में)

निवेशों से आय	**उद्दिष्ट निधि से निवेश**		**अन्य निवेश से**	
निधियों में अंतरित उद्दिष्ट / स्थायी निधि से निवेश पर आय	**चालू वर्ष**	**पिछले वर्ष**	**चालू वर्ष**	**पिछले वर्ष**
1. ब्याज	-	-	-	-
क. सरकारी प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
ख. अन्य बंध पत्र / ऋण पत्र	-	-	-	-
2. लाभांश	-	-	-	-
क) शेयरों पर	-	-	-	-
ख) म्युचुअल फंड प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
3. किराया	-	-	-	-
4. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-	-	-
कुल	**-**	**-**	-	**-**

उद्दिष्ट / अक्षय निधि में अंतरित

अनुसूची 16 - रॉयल्टी, प्रकाशन से आय

(राशि रुपए में)

अनुसूची 16 - रॉयल्टी / प्रकाशन से आय	**चालू वर्ष**	**पिछले वर्ष**
1) रॉयल्टी से आय	-	-
2)प्रकाशन से आय	-	-
3) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	**-**	**-**

अनुसूची 17 - सावधि जमा / बचत खातों / ऋण पर अर्जित ब्याज

(राशि रुपए में)

1. सावधिजमा पर	**चालू वर्ष**	**पिछले वर्ष**
(क) अनुसूचित बैंकों में	-	-
(ख) गैर अनुसूचित बैंकों में	-	-
(ग) संस्थानों में	-	-
(घ) अन्य	-	-
2. बचत खातों में		
(क) अनुसूचित बैंकों में	230,234.00	-
(ख) गैर अनुसूचित बैंकों में	-	-
(ग) डाक घर बचत खातों में	-	-
(घ) अन्य	-	-
3. ऋण पर		
(क) कर्मचारी	-	-
(ख) अन्य	-	-
4. देनदारों पर ब्याज एवं अन्य प्राप्तियां	-	-
कुल	**230,234.00**	**-**

अनुसूची 18 - अन्य आय

(राशि रुपए में)

	चालू वर्ष	**पिछले वर्ष**
1. आस्तियों की बिक्री / निपटान से लाभ		
क) स्वामित्व वाली आस्तियां	18,475.00	6,000.00
ख) अनुदानों से अधिग्रहित या नि:शुल्क प्राप्त आस्तियां	-	-
2. वसूली गयी निर्यात प्रोत्साहन राशि	-	-
3. विविध सेवाओं के लिए शुल्क	-	-
4. विविध		
(क) पिछले वर्ष के बट्टेखाते में डाले गए संभार	-	-
(ख) पहले जारी जीआईए जिसकी बाद में वसूली हुई	-	-
(ग) स्टॉफ अग्रिम पर प्राप्त ब्याज	-	-
(घ) मंत्रालय से वापिस प्राप्त आस्तियों का मूल्य	-	-
(ङ) विविध आय		-
कुल	**18,475.00**	**6,000.00**

अनुसूची 19 - तैयार माल के स्टॉक एवं प्रगतिधीन कार्य में वृद्धि / कमी

(राशि रुपए में)

तैयार माल के स्टॉक एवं प्रगतिधीन कार्य में वृद्धि / कमी	**चालू वर्ष**	**पिछले वर्ष**
क) अंतिम स्टॉक	-	-
. तैयार माल		
. प्रगतिधीन कार्य		
ख) घटाएं : प्रारंभिक स्टॉक	-	-
. तैयार माल	-	-
. प्रगतिधीन कार्य	**-**	**-**
कुल	**-**	**-**

अनुसूची 20 -स्थापना व्यय

(राशि रु. में)

	चालू वर्ष	**पिछ लेवर्ष**
क) वेतन तथा मजदूरी	24,118,992.00	32,833,576.00
ख) भत्ते तथा बोनस	-	-
ग) भविष्य निधि में अंशदान	-	-
घ) अन्य निधि में अंशदान (निर्दिष्ट करें)	-	-
ड) स्टॉफ कल्याण व्यय	-	24,407.00
च) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति एवं सेवांत लाभों पर व्यय	513,312.00	-
छ) अन्य	-	-
एलटीसी नकद योजना	288,179.00	-
सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क	484,140.00	
प्रतिपूर्ति (चिकित्सा, समाचार पत्र, संक्षिप्त मामला, एनटीसीए अधिकारियों के टेलीफोन शुल्क आदि)	336,050.00	40,000.00
कुल	**25,740,673.00**	**32,897,983.00**

अनुसूची 21 - अन्य प्रशासनिक व्यय आदि

(राशि रु. में)

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
क. खरीद		-
ख. सवारी भत्ता एवं गाड़ी भाड़ा	63,454.00	46,324.00
ग. मरम्मत एवं अनुरक्षण**		
भवन	365,118.00	19,320.00
अन्य	210,284.00	323,149.00
घ. वाहन चालन व्यय	268,256.00	310,802.00
ङ. वाहन अनुरक्षण	69,668.00	176,304.00
च. डाक खर्च, टेलीफोन तथा संप्रेषण प्रभार	224,315.00	313,127.00
छ. मुद्रण, प्रकाशन तथा पत्र-पत्रिकाएं	191,719.00	336,730.00
ज. यात्रा व्यय	3,065,808.00	2,403,056.00
झ. विधिक और व्यवसायिक प्रभार	726,123.00	132,091.00
ञ. आतिथ्य व्यय	182,219.00	468,217.00
ट. विज्ञापन तथा प्रसार	1,381,314.00	-
ठ. पेशेवर प्रभार	-	-
ड. बिजली और पानी प्रभार	163,257.00	192,908.00
ढ. वितरण व्यय	-	-
ण. टीडीएस	-	-
त. मुद्रण तथा लेखन सामग्री	327,210.00	561,206.00
थ. इम्प्रेस्ट व्यय	-	-
द. पुनर्स्थापन / संचलन व्यय	-	-
ध. बैंक प्रभार	-	282.20
न. अन्य कार्यालय व्यय	1,296,161.00	768,364.00
प. किराया	83,980.00	92,624.00
फ. अप्रयोज्य आस्तियों की बिक्रीसे घाटा	-	-
कुल (I)	**8,618,886.00**	**6,144,504.20**
II. विभिन्न परियोजनाओं के लिए भुगतान		
प्रशिक्षण, कार्यशाला एवं सम्मेलनों/बैठकों पर व्यय	3,390,273.00	842,604.00
अनुसंधान परि योजना और मॉनीटरिंग पर व्यय		
कुल (II)	**3,390,273.00**	**842,604.00**
III. मंत्रालय को वापसी योग्य जीआईए का शेष बकाया	-	-
कुल (I+II+III)	**12,009,159.00**	**6,987,108.20**

अनुसूची 22 - अनुदान

(राशि रु. में)

	चालू वर्ष	**पिछले वर्ष**
क. संस्थानों/संगठनों को दिया गया अनुदान	38,045,800.00	44,801,000.00
मंत्रालय को वापसी योग्य अव्ययित अनुदान राहत	-	-
ख. संस्थानों/संगठनों को दी गई सब्सिडी	-	-
कुल	**38,045,800.00**	**44,801,000.00**

अनुसूची 23 - ब्याज

(राशि रु. में)

	चालू वर्ष	**पिछले वर्ष**
क. सावधि ऋणों पर	-	-
ख. अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभार सहित)	-	-
ग. अन्य	142,630.00	1,128,194.00
कुल	142,630.00	1,128,194.00

अनुसूची 23 (क) - समग्र/पूंजीगत निधि समायोजन

(राशि रु. में)

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
क. पूर्व अवधि आय	-	-
अचल आस्तियों से संबंधित	276,981.00	1,367,068.00
व्यय से संबंधित	625,000.00	-
वर्तमान देयता से संबंधित (सुरक्षा धनवापसी।)	21,600.00	-
राजस्व प्राधिकरण के साथ शेष से संबंधित	24,175.00	-
कुल (क)	**947,756.00**	**1,367,068.00**
ख. पूर्व अवधि व्यय		
ऋण और अग्रिम संपत्ति से संबंधित	337,665.00	30,404.00
पीडब्ल्यूडी एडवांस से संबंधित	316,000.00	55,713.00
पिछले वर्षों से संबंधित ब्याज	1,880,083.00	-
कुल (ख)	**2,533,748.00**	**86,117.00**
कुल (क-ख)	**-1,585,992.00**	**1,280,951.00**

अनुसूची 24 - महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. <u>लेखांकन आधार</u>

वित्तीय विवरण, लेखांकन की आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन नीतियों के आधार पर तैयार किए जाते हैं।

2. <u>अचल आस्तियां</u>

अचल आस्तियों में प्रापण की लागत, जिसमें आवक भाड़ा, शुल्क और कर तथा अनुषंगी एवं प्रापण संबंधी प्रत्यक्ष व्यय समाहित हैं।

अचल आस्तियां गैर-आर्थिक अनुदान के रूप में प्राप्त (कॉर्पस निधि के अतिरिक्त) मूल्यगत पूंजी के रूप में संगत पूंजी रिजर्व के रूप में वर्णित हैं।

3. <u>अवमूल्यन</u>

अचल आस्तियों पर अवमूल्यन आयकर अधिनियम, 1961 में प्रदत्त दरों पर ह्रासित मूल्य पर किया गयाहै। सितंबर माह के पश्चात् प्राप्त की गयी आस्तियों को आस्ति के लिए विहित अवमूल्यन दर के आधे दर पर अवमूल्यन किया गया है।

4. सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदानों की गणना प्राप्ति आधार पर की गयी है।

5. सामान्य

लेखांकन नीतियां जो विशिष्ट रूप से उल्लिखित नहीं हैं, अन्यथा तालमेल में हैं।

अनुसूची 25 : लेखाओं संबंधी आकस्मिक देयताएं एवं टिप्पणियां

1. **आकस्मिक देयताएं :** संस्था के प्रति देय दावों को ऋण के रूप में स्वीकृति नहीं दी गई है-शून्य (पिछले वर्ष - शून्य)

2. **पूंजीगत प्रतिबद्धता :** पूंजीगत लेखे से निष्पादित नहीं हुई संविदाओं का प्राक्कलित मूल्य एवं जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है (अग्रिम के निवल) - शून्य (पिछले वर्ष शून्य)

3. **चालू आस्तियां, ऋण एवं अग्रिम**

   प्रबंधन के अनुसार, चालू आस्तियां, ऋण एवं अग्रिमों की कीमत कारोबार के सामान्य तरीके से वसूली करने पर पता लगती है, जो कम से कम तुलन-पत्र में दर्शायी गई संपूर्ण राशि के समान हो।

4. संलग्नअनुसूची 1 से 25, 31 मार्च, 2021 के तुलन पत्र तथा उस दिनांक को समाप्त हुए वर्ष के आय एवं लेखे का अनिवार्य भाग है।

5. जमापर ब्याज आय को प्रोद्भूत आधार पर और सकल आंकड़ों में दर्शाया गया है और स्रोत पर कटौती को पृथक रूप से दर्शाया गया है।

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा
पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग, नई दिल्ली 110021

सं. डीजीए/ईएसडी/ईए/192/एसएआर/एनटीसीए/2021-22/951 **दिनांक 16 मार्च 2022**

सेवा में,

डॉ. एस.पी. यादव
एडीजी (पीटी) और एमएस
राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, एमओईएफ और सीसी
सातवाँ तल, पंडित दीनदयाल अंतयोदया भवन, सी.जी.ओ.कॉम्पलेक्स,
लोधी रोड़, नई दिल्ली-110003

विषय: राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2020-21 के लेखों पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

महोदय,

मुझे वर्ष 2020-21 के लिए राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली का पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अग्रेषित करने का निर्देश हुआ है।

संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने से पहले वर्ष 2020-21 के वार्षिक लेखों को संस्थान के शासी निकाय द्वारा अनुमोदित किया अपनाया जाए तथा इस संबंध में शासी निकाय द्वारा जारी किया गया रेजोल्यूशन ऑडिट को भेजा जाए। प्रत्येक दस्तावेज जो संसद में प्रस्तुत किया जाए उसकी तीन प्रतियों इस कार्यालय तथा दो प्रतियाँ भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को अग्रेषित की जाए संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने की तिथियों भी इस कार्यालय को सूचित की जाए।

भवदीया

संलग्नक:- पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

--हस्ता.--
निदेशक (पर्या.ले.)

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2020-21 के लिए लेखों पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

स्वायत्त निकाय का नाम: राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली

1.	स्वायत्त निकाय द्वारा लेखों को लेखापरीक्षा को प्रस्तुत करने की तिथि	01.12.2021
2.	जहां लागू हो, खातों को पुनरीक्षण के लिए वापस करने के कारण यह दर्शाते हैं कि खातों को योग्यता के साथ प्रमाणित क्यों नहीं किया जा सका।	लागू नहीं
3.	लेखापरीक्षा को संशोधित लेखे प्रस्तुत करने की तिथि जहां संशोधन आवश्यक समझा गया था।	लागू नहीं
4.	तारीखें जिन पर लेखापरीक्षा की गई और पूरी की गई।	13.12.2021 से 24.12.2021 (10 कार्य-दिवस)
5.	उत्तर/टिप्पणियों के लिए स्वायत्त निकाय को मसौदा एसएआर जारी करने की तिथि।	04.01.2022
6.	स्वायत्त निकाय से उत्तर/टिप्पणियां प्राप्त होने की तिथि (यदि प्राप्त हो)	07.02.2022
7.	अनुमोदन के लिए सीएजी कार्यालय को एक सहयोगी-संस्मरण के साथ स्वायत्त निकाय के उत्तरों/टिप्पणियों सहित मसौदा एसएआर जारी करने की तिथि।	28.02.2022
8.	क) सीएजी के कार्यालय द्वारा अनुमोदित एसएआर को संप्रेषित करने वाले पत्र की तिथि। बी) पत्र और अनुमोदन प्राप्त होने की तिथि 8(ए).	09.03.2022
9.	भारत सरकार/राज्य सरकार/कैग का कार्यालय को अंतिम लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करने की तिथि। । अंग्रेजी संस्करण- हिंदी संस्करण (यदि आवश्यक हो) -	16.03.2022
10.	विभिन्न चरणों में विलम्ब का कारण, यदि कोई हो।	
11.	संसद/विधायिका के समक्ष पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथियां। (जहां पिछले वर्ष की लेखा परीक्षा रिपोर्ट नहीं रखी गई है, जिस वर्ष से ये संबंधित हैं, उन्हें भी इंगित किया जाए)।	**वर्ष** / **लोक सभा** / **राज्य सभा** 2018-19 / 18.09.2020 / 19.09.2020 2019-20 / 23.07.2021 / 19.07.2021

ह./-

निदेशक (ईए)

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली के लेखों पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 [समय-समय पर संशोधित] की धारा 38R के साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (2) के अंतर्गत हमने 31 मार्च 2021 को राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए), नई दिल्ली के संबद्ध तुलन पत्र तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाते और प्राप्तियां और भुगतान खाते की लेखापरीक्षा कर ली है। । ये वित्तीय विवरण रा.व्या.सं.प्रा. के प्रबंधन का उत्तरदायित्व हैं। हमारा उत्तरदायित्व, हमारी लेखापरीक्षा पर आधारित इन इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में केवल लेखांकन व्यवहारों के वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखांकन प्रथाओं के अनुरूप, लेखांकन मानकों और प्रकटीकरण मानदंडों, आदि के सम्बंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) की टिप्पणियां दी गई हैं। वित्तीय लेन-देन में नियमों और विनियमों (स्वामित्व और नियमितता) तथा दक्षता-सह-निष्पादन पहलुओं, आदि के अनुपालन के संबंध में लेखापरीक्षा टिप्पणियॉ, यदि कोई हो, को निरीक्षण रिपोर्ट/सीएजी की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के माध्यम से अलग से रिपोर्ट किया जाता है।

3. हमने भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। इन मानकों में अपेक्षा की जाती है कि हम, वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण मिथ्या बयानी से मुक्त होने संबंधी उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की आयोजना और निष्पादन करें। लेखापरीक्षा में राशियों का समर्थन करने वाले साक्ष्य और वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण के जांच आधार पर परीक्षण शामिल है। लेखापरीक्षा में, प्रबंधन द्वारा उपयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों और महत्वपूर्ण अनुमानों का आकलन करने के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है। हम विश्वास करते है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे अभिमत के लिए उचित आधार प्रदान करती है।

4. हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(i) हमने सभी सूचना और स्पष्टीकरण, जो कि हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे, प्राप्त कर लिए हैं।

(ii) इस रिपोर्ट के साथ सम्बंध रखने वाले तुलन पत्र, आय और व्यय लेखा और प्राप्तियां और भुगतान लेखा को वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रारूप में बनाया गया है।

(iii) हमारी राय में, रा.व्या.सं.प्रा. द्वारा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1922 की धारा 38R के अंतर्गत आवश्यक उचित लेखा पुस्तकों और अन्य संबंधित अभिलेखों का रख-रखाव किया गया है, जैसा कि उन पुस्तकों की जॉच से प्रतीत होता है।

(iv) हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

(अ) तुलन पत्र

1. संपत्तियां

1.1 अचल संपत्तियां (अनुसूची-8) राशि रुपये 338.04 लाख।

उपरोक्त में एन.आइ.सी. से परियोजना क्रमांक C151505WWDND कार्य आदेश दिनांक 21 नवंबर 2015 के अंतर्गत सॉफ्टवेयर (एमआईएस एप्लीकेशन) के विकास के लिए दी गई राशि रुपये 10.99 लाख शामिल है।

अभिलेखों की समीक्षा के दौरान, यह पता चला कि एनटीसीए ने वर्ष 2020-21 के दौरान अमूर्त संपत्ति-वेब विकास को पूंजीकृत किया, और 25% का मूल्यह्रास लगाया जो कि 137,322 है। हालांकि, एजेंसी सर्वर पर उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण (यूएटी) केवल 29 अगस्त 2019 को किया गया था और गो-लाइव किया जाना बाकी है। क्योंकि गो-लाइव किया जाना बाकी है इसलिए, अमूर्त संपत्ति को अमूर्त संपत्ति-सॉफ्टवेयर (एमआईएस अनुप्रयोग विकास) के बजाय कार्य प्रगति के रूप में दिखाया जाना चाहिए था। इस प्रकार, इसके परिणामस्वरूप 10.99 लाख रुपये से अमूर्त संपत्ति की अधिक बयानी और कार्य-प्रगति-पर को कम करके आंका गया है और मूल्यह्रास पर 1.37 लाख रुपये से अधिक वसूली की गई है।

(ब) आय और व्यय लेखा

1. आय

अनुदान, सहायिकी आदि पर व्यय (अनुसूची 22)

उपरोक्त में संस्थानों/संगठनों को दिए गए अनुदानों रु. 380.46 लाख शामिल है। एनटीसीए द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों की समीक्षा के दौरान यह पता चला कि पिछले वर्ष का अव्ययित अनुदान रु. 96.85 लाख और वर्ष 2020-21 के अंत में अव्ययित अनुदान रु. 13.74 लाख था। तथापि, अनुसूची 7 क्रमांक 5 (ii) मंत्रालय को वापसी योग्य अव्ययित अनुदान-सहायता में शून्य शेष दिखा रहा है। इसी प्रकार, अनुसूची 22 में मंत्रालय को वापसी योग्य अव्ययित अनुदान-सहायता शामिल नहीं था। इस प्रकार, इसके परिणामस्वरूप चालू देयताओं और व्यय प्रत्येक को रु.13.74 लाख रुपये से कम करके दिखाया गया है

(स) सहायता अनुदान:

अनुदान/सब्सिडी (अनुसूची 13)

वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान रु. 740 लाख और पिछले वर्ष अव्ययित शेष रू. 96.85 लाख थे। रू. 836.85 में से लाख रु. 823.11 लाख (पिछले वर्षों के वापस किए गए ब्याज के 18.80 लाख रुपये सहित) खर्च किया गया था एवं 13.74 लाख रुपये का अव्ययित शेष बचा था।

(द) प्रबंधन पत्र

उन कमियों को जिन्हें लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, को उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई के लिए एक प्रबंधन पत्र के माध्यम से अलग से जारी कर सदस्य सचिव, एनटीसीए के संज्ञान में लाया गया है।

(5) पूर्व के अनुच्छेदों में हमारी टिप्पणियों के अध्यधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन पत्र, आय और व्यय लेखा और प्राप्तियां और भुगतान लेखा, लेखा पुस्तकों से मेल खाते हैं।

(6) हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त वित्तीय विवरण लेखाओं की नीतियों और टिप्पणियों के साथ पठित तथा ऊपर दिए गए महत्वपूर्ण विषय तथा इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक में उल्लिखित अन्य विषय, भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।

अ. जहां तक 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार एनटीसीए के तुलन पत्र, मामलों की स्थिति का संबंध है **और**

ब. जहां तक उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखे में घाटे का संबंध है।

स्थान: नई दिल्ली **कृते और भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की ओर से**

ह./-

महानिदेशक लेखापरीक्षा (ई एंड एसडी)

<u>आंतरिक लेखा परीक्षा / नियंत्रण प्रणाली</u>

1. आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

आंतरिक लेखापरीक्षा मार्च 2020 तक आयोजित की गई थी। वर्ष 2020-21 के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा अभी की जानी बाकी है।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

लेखापरीक्षा में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कमियां पाई गईं:

i. **पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदानों से सृजित आस्तियों के अभिलेख का अनुरक्षण न करना**
प्राधिकरण ने संस्थानों को पूंजीगत संपत्ति सृजन के लिए प्रदान किए गए अनुदानों से अनुदान प्राप्तकर्ता द्वारा सृजित परिसम्पत्तियों का कोई अभिलेख नहीं रखा है।

ii. 2020-21 के दौरान नकदी की औचक जांच नहीं की गई।

iii. **बैंक समाधान विवरण**
रा.व्या.सं.प्रा. ने मार्च 2021 महीने के लिए एनटीसीए मुख्यालय नई दिल्ली का बैंक समाधान विवरण प्रस्तुत किया था। हालांकि, क्षेत्रीय कार्यालयों अर्थात नागपुर, गुवाहाटी और बेंगलुरु द्वारा संचलित बैंक खातों का कोई मिलान विवरण जांच के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया था।

iv. **उपयोगिता प्रमाणपत्रों की निगरानी**
अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि 2012-13 से 2019-20 तक जारी अनुदान राशि के संबंध में 15 संस्थाओं से रु. 185.84 लाख के उपयोगिता प्रमाणपत्र अभी भी प्रतीक्षित थे। रा.व्या.सं.प्रा. को बारह महीने के अंत में संस्थानों से उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से प्रयास करने की जरूरत है।

3. संपत्ति, सामग्री और पुस्तकालय के भौतिक सत्यापन की प्रणाली।

एनटीसीए की वर्ष 2020-21 की वार्षिक लेखाओं की जांच-पड़ताल से पता चला कि एनटीसीए द्वारा आस्तियों, भंडारों/उपभोज्यों वस्तुओं और पुस्तकालय का ना तो भौतिक सत्यापन किया गया और ना ही लेखा परीक्षा को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। यद्यपि, पिछले वर्षों के दौरान भी लेखा परीक्षा द्वारा इस विसंगति की ओर ध्यान दिलाया गया था, तथापि, प्राधिकरण द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी थी।

4. बकाया सांविधिक देयताएं

प्राधिकरण ने वर्ष 2020-21 के दौरान देय होने की तिथि से छह माह से अधिक समय तक सांविधिक देय बकाया का प्रतिवाद नहीं किया है।

ह./-

निदेशक (ईए)

महानिदेशक लेखापरीक्षा
पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग
ए.जी.सी.आर. भवन, इंद्रप्रस्थ एस्टेट,
नई दिल्ली- 110002
Director General of Audit
Environment & Scientific Departments
A.G.C.R. Building, I.P. Estate
New Delhi-110002

संजय कुमार झा
महानिदेशक

डीजीए (ईएसडी) / ईए / एसएआर / 192 / एनटीसीए / 2020-21/954
दिनांक: 16 मार्च 2022

प्रिय डॉ. यादव,

हमने राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2020-21 के वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा की है और दिनांक 16.03.22 के पत्र के तहत तत्संबंधी लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी की है। लेखापरीक्षा के आयोजन के दौरान अनुलग्नक - क के अनुसार कुछ कमियां देखी गयीं थी जो अपेक्षाकृत गौण थी और इसलिए इन्हें लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया था। इन्हें उपचारात्मक और सुधारात्मक कार्रवाई हेतु आपके संज्ञान में लाया जा रहा है।

सादर,

भवदीय,
ह./-

संलग्नक : यथोपरि

डॉ. एस पी यादव,
अपर महानिरीक्षक (व्याघ्र परियोजना) एवं सदस्य सचिव
राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
7वां तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सी जी ओ कॉम्प्लेक्स,
लोदी रोड, नई दिल्ली - 110003

अन्य आय- 18475 रुपये और 6000 रुपये (पिछले वर्ष)

उपरोक्त विवरण में वर्ष 2020-21 के दौरान पुरानी सामग्री / वस्तुओं की बिक्री से आय के मद में रुपये 18475 की राशि शामिल है। इतनी ही राशि सरकारी खाते में जमा करने के कारण इस मद से काट ली गई थी, जिसके परिणामस्वरूप शून्य शेष है। उसी मद में समायोजन कर प्रविष्टि करना सही नहीं है। इसे प्राप्ति पक्ष में नकारात्मक प्रविष्टि के बजाय प्राप्ति एवं भुगतान खाते के भुगतान पक्ष में लिखा जाना चाहिए था।

इसके अलावा, पिछले वर्ष 2019-20 के दौरान पुरानी सामग्री / वस्तुओं की बिक्री से आय के मद में रुपये 6000 की राशि को चालू वर्ष 2020-21 के प्राप्ति पक्ष में शामिल नहीं किया गया था। इस प्रकार, इसके परिणामस्वरूप 6000 रुपये से अन्य आय को कम और सरकार को देय देयता के साथ-साथ बैंक खाते को अधिक बताया गया।

चालू संपत्ति, ऋण, अग्रिम आदि, (अनुसूची 11) रु. 24,48,973.10

एनटीसीए के दिल्ली (मुख्यालय) में बैंकों में दो बचत खाते और क्षेत्रीय कार्यालयों में बैंकों में तीन चालू खाते हैं। एनटीसीए ने, अनुसूची 11 - बैंक शेष में चालू परिसंपत्ति में केवल दिल्ली (मुख्यालय) से संबंधित रु 14,61,483.10 का समापन शेष दिखाया है। एनटीसीए ने क्षेत्रीय कार्यालयों के बैंक में बैलेंस रु. 77,568 को नहीं दिखाया है। इससे चालू संपत्ति को 77,568 रुपये से कम और समान राशि से कॉर्पस पूंजी को भी कम बयानी की गई है।

ह./-
निदेशक (ईए)